IAS PCS

GS WORLD

Committed To Excellence

(15 जुलाई से 26 जुलाई तक)

आलेख सार

अंक - 14

संपादकीय

Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर...

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत् प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जी।एस। वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जी।एस। वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय।nalysis 3600 आरंभ किया है।

संपादकीय।nalysis 360⁰ में नया क्या है?

- इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सके।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जी.एस. वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।..

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जी.एस. वर्ल्ड)

GS World
Committed To Excellence

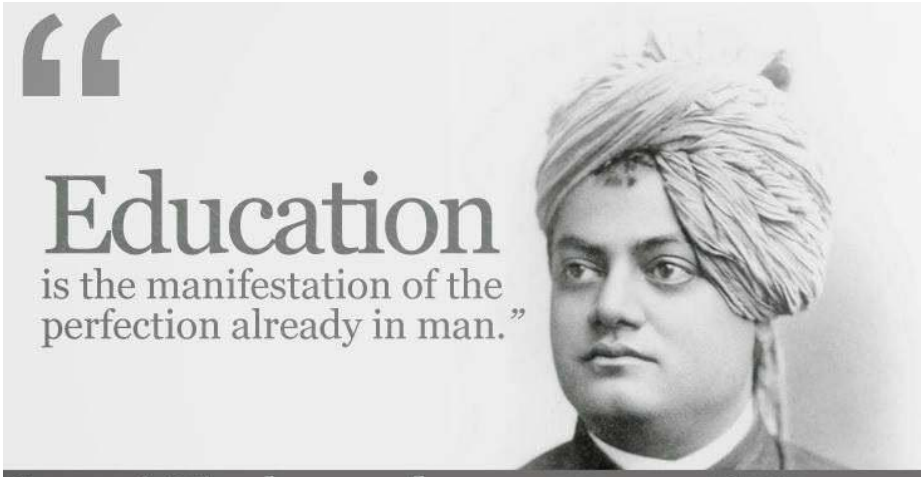

विषय-सूची

1. अविश्वास-प्रस्ताव पर चर्चा 4

2. गंगा की सफाई में नाकाम तंत्र 14

3. वर्तमान दौर में नाटो की प्रासंगिकता 20

4. 'हिन्दू-पाकिस्तान' की अवधारणा 25

5. बढ़ते प्रदूषण के हानिकारक परिणाम 33

6. सोशल मीडिया का दूसरा पहलू 37

7. भारतीय अर्थव्यवस्था की नई छलांग 42

8. भारतीय न्यायपालिका एवं पारदर्शिता 48

9. भारत में रोजगार की भयावह स्थिति 54

GS World
Committed To Excellence

अविश्वास-प्रस्ताव पर चर्चा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन प्रणाली) से संबंधित है।

भारतीय संसद में अविश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि सफल न हो सका। इस प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा सरकार ने संसद में अपना बहुमत साबित किया। इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता पर समीक्षा आवश्यक है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'राष्ट्रीय सहारा', 'दैनिक जागरण', 'पंजाब केसरी', 'अमर उजाला', 'हिन्दुस्तान', 'प्रभात खबर', 'नवभारत टाइम्स', तथा 'नई दुनिया' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

चुनावी चर्चा हावी (राष्ट्रीय सहारा)

मॉनसून सत्र के पहले की औपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की औपचारिक अपील की जिसे सबने माना और सदन शुरू हुआ तो सबसे पहले नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही रखा गया। कामकाज शुरू होने के साथ भीड़ द्वारा यत्र-तत्र कई लोगों की हत्या करने जैसे मुद्दों पर भी शोर-शराबा हुआ, पर लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना ही बताता है कि सरकारी पक्ष भी तैयार है। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा भी कि हमें एनडीए से बाहर के कई लोगों का समर्थन भी है। अब इस पर शुक्रवार को बहस और वोटिंग होगी और उसी दिन वोटिंग होगी। नतीजा सभी जानते हैं पर अविश्वास प्रस्ताव और वोटिंग दोनों की राजनीति जितनी प्रबल है, उसकी छाया संसद के मॉनसून सत्र पर बराबर पड़ेगी। जाहिर तौर पर मामला सिर्फ सदन भर का नहीं है, देश की राजनीति और उससे भी बढ़कर 2019 के आम चुनाव का है। अगर विपक्ष नतीजा जानकर भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो सिर्फ नरेन्द्र मोदी विरोधी राजनीति की एकजुटता के लिए, जो अभी तक कहीं नहीं दिखती थी और कर्नाटक चुनाव के बाद से राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गई है। दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी के नाम पर राजनीति कर रहा शासक जमात भी अब एनडीए और उससे बाहर के कांग्रेस विरोधियों का नाम लेने लगा है। शुक्रवार को कुछ नहीं होगा पर यह विभाजन और इसकी तस्वीर तो साफ होगी, जिसका संसदीय दायरे के लिए महत्त्व हो न हो चुनावी कार्य के लिए बहुत महत्त्व है। और शासक जमात भी इस गोलबंदी, उसमें मौजूद दरारों को पहचानने के लिए इसका उपयोग करना चहता है। कहने को तो संसद के सामने 68 बिल लम्बित हैं और इस बार पेश करने के लिए 18 नये बिल पेश किए गए हैं, पर इनमें से कितने पास होकर कानून बनेंगे, कितने हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे और कितने इस हाउस का मुंह ही नहीं देख पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। यह भी सम्भव है कि यह सत्र इस लोक सभा के लिए आखिरी हो-अगर चार राज्यों के चुनाव के साथ लोक सभा चुनाव भी आगे करा लिये तब, इसकी सम्भावना बनी हुई है। सदन के सामने पेश होने वाले या लटके पड़े बिलों की चर्चा में बार-बार चुनाव का जिक्र किसी गलती से नहीं किया जा रहा है। असल में जो बिल पेश होने को हैं या अटके पड़े बिलों में से दोबारा पेश होने के लिए लिस्टेड हैं, उनमें अधिकांश चुनावी प्रवृत्ति के ही हैं। उन पर चर्चा या हंगामे का स्वरूप भी कानूनी गुण-दोष की जगह चुनावी हवा बनाना होगा। वे पास हों या नहीं, उनमें से ज्यादातर का पेश होना,

किसे क्या मिला? (राष्ट्रीय सहारा)

अविश्वास प्रस्ताव के अंकगणितीय परिणाम को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं था। इसलिए विचार का यह विषय होना ही नहीं चाहिए कि सरकार नहीं गिरी तो अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब? हालांकि यह अभी तक के अविश्वास प्रस्तावों से इस मायने में भिन्न था कि किसी क्षेत्रीय पार्टी तेलुगू देशम ने अपने राज्य को विशेष दर्जा न दिए जाने को लेकर इसकी पहल की। विडम्बना देखिए कि उसे जिन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन मिलना चाहिए था, उनमें से ज्यादातर का नहीं मिला। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया जो अपने कार्यकाल में बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा देने से इनकार कर चुकी थी। आंध्र प्रदेश का विभाजन भी उसी ने किया था लेकिन पुनर्गठन कानून में विशेष राज्य का कोई प्रावधान नहीं डाला। बावजूद उसका सबसे उत्साहित होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना साबित कर रहा था कि उसकी निगाहें कहीं और हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव का विश्लेषण इसी आधार पर करना होगा कि आखिर लोक सभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की निगाहें कहां थी? या यह अवसर उसके लिए क्या साबित करने का था? इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस के सामने तीन प्रमुख लक्ष्य थे। एक, यह दिखाना कि नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। दूसरे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में वह क्षमता है कि वो मोदी को प्रभावी चुनौती दे सकें। तीसरे, ज्यादातर विपक्षी पार्टियाँ 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। अन्य कुछ पार्टियाँ के भी अपने लक्ष्य थे। लेकिन कुल मिलाकर 2019 को ध्यान में रखते हुए आम अपेक्षा तो यही थी कि लोक सभा से भविष्य के मोदी एवं भाजपा विरोधी एक महागठबंधन का संदेश निकलेगा। क्या ऐसा हो पाया? अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए तेलुगू देशम के सांसद जयदेव गल्ला ने भाषण आरंभ किया तो उनका पहला हमला कांग्रेस पर ही था। उन्होंने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश का अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक, निरंकुशता और अन्यायपूर्ण तरीके से बांटने का आरोप लगाया। किए गए वायदे को पूरा न करने का आरोप भी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर लगाया। उसके बाद वो मोदी सरकार पर आए। वे जब यह उदाहरण दे रहे थे कि आपने फलां क्षेत्र के लिए इतना किया, फलां जगह यह दिया और हमारे यहाँ नहीं दिया। इससे यह साबित होता था कि केंद्र सरकार ने अनेक राज्यों एवं क्षेत्रों के लिए काफी कुछ किया, पर आंध्र की अनदेखी कर दी। बहरहाल, जयदेव गल्ला के भाषण से साफ था कि तेदेपा को 2019 में कांग्रेस की महागठबंधन आकांक्षा से कोई लेनादेना नहीं। तो शुरुआत

तैयार होना और लिस्टेड होना भी चुनावी है और इनके ऊपर हंगामे वाले पर्याप्त मसले सत्र की बाट जोह ही रहे हैं, जिसमें मॉब-लिंचिंग प्रमख है। पर पिछला सत्र तो बैंकिंग घोटाले जैसे बड़े मसले की जगह पेरियार की मूर्ति के अपमान और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के हंगामे की भेंट ही चढ़ा था। पिछली बार तय समय का मात्र एक फीसद समय ही संसदीय कामों में इस्तेमाल हो पाया और सिर्फ 14 मिनट में जरूरी बिल निपटा दिए गए। बताने की जरूरत नहीं है कि पिछला सत्र बजट वाला था, जो कुछ ज्यादा ही चर्चा की मांग करता है। जिन बिलों की गिनती और चुनावी चरित्र की चर्चा ऊपर की गई है, उनमें तीन तलाक समाप्त करने संबंधी मुसलमान महिला विधेयक भी है। इसे लोक सभा ने पास कर रखा है पर राज्य सभा में अटका है। इसकी चिंता मुसलमान औरतों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाना है या चुनाव में लाभ देने के लिए हिन्दू-मुसलमान ध्रुवीकरण कराना यह कहना मुश्किल है। जाहिर है यह बिल अभी काफी हंगामा कराने की क्षमता रखता है। ऐसा ही मामला नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने वाले विधेयक हैं। यह मसले को सुलझाएगा या लटकाएगा, कहना मुश्किल है। पर पिछड़ों की नई जरूरतों का अध्ययन के नाम पर लाया जाने वाला यह कदम भी बिल से पहले विवाद में है-खास कर स्थापित पिछड़े नेताओं में। मीडिया कमीशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक, मोटर वाहन संशोधन विधेयक, अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम बिल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल, जीएसटी कानून में बदलाव के चार बिल, इंसाल्वेंसी और बैंकरप्सी संशोधन बिल, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार पर फांसी की सजा के प्रावधान का बिल, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय विधेयक, होमियोपैथी विश्वविद्यालय विधेयक जैसे विधेयकों में से चुनावी चरित्र वाले विधेयकों की संख्या भले ही कम हो पर तय मानिए कि सदन की चर्चा और हंगामे में यही पीछे छूटेंगे। इनके अलावा पेंडिंग 68 बिलों में से 25 लिस्टेड हैं। अब हम चाहें तो यह पूरा हिसाब-किताब लगा सकते हैं कि संसद के किस सत्र का कितना ''कीमती समय'' माननीयों ने बर्बाद किया है। कुछ ज्ञानी तो अब तक यह हिसाब भी लगाते हैं कि हमारी संसद का प्रति मिनट कितना कीमती है और बर्बाद हुए समय की कीमत कितनी हुई। मानो जो समय बर्बाद कर रहे हों, वे अज्ञानी हों, जबकि असलियत है कि यह काम बहुत सोची-समझी रणनीति से किया जाता है और आमतौर पर हंगामे के सूत्रधार वही होते हैं, जिन्हें सदन चलाने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। कई बार तो ये नेता सदन में बैठकर भी अपने जूनियरों को उकसाते दिख जाते हैं। असल में जनता के धन की जितनी बर्बादी होती है, जितना लोक-लाज मरता है, हंगामे का लाभ उससे ज्यादा होता है। बोफोर्स दलाली का एक पैसा भी वापस नहीं आया, जांच, मुकदमे में दलाली से ज्यादा रकम खर्च हुई, पर उसकी राजनैतिक फसल काफी अच्छी रही है। 2जी घोटाले के नतीजे से सरकार ही शर्मिदा हुई है पर उसने एक सरकार तो बदल दी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी सदन के लिए ''खतरा'' बनकर आया मगर उसके राजनैतिक लाभ-घाटे किस्से छुपे हैं और जब हमारी राजनीति को इस तरह का चस्का लग जाए तो संसद का सत्र क्या चीज है? आज तो पूरी राजनीति चुनाव जीत रणनीति में बदल गई है। सिद्धांत, सादगी, नियम, कायदा, आचरण ही नहीं सत्ता मिलने पर ठीक से शासन चलाना भी ''मूर्खता'' या ''भोलेपन'' की चीज मान लिये गए हैं। चुनाव जीतना सर्वोपरि महत्त्व की चीज बन गई है। इसकी चर्चा भी पहले हमें और फिर संसद को करनी चाहिए। बिल पर चर्चा तो उसके बाद लाइन पर आ ही जाएगी।

ही कांग्रेस की दृष्टि से धक्का पहुंचाने वाला था। तेलंगना राष्ट्र समिति ने अविश्वास प्रस्ताव में मतदान करने से अपने को अलग कर लिया। बीजू जनता दल ने भी सदन से बहिगर्मन किया। अन्नाद्रमुक ने मोदी सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया। तो कहां निकला मोदी और भाजपा विरोधी कांग्रेस के छाते से विपक्षी महागठबंधन का संदेश? हालांकि भाजपा के लिए भी शिवसेना का अविश्वास प्रस्ताव से बाहर रहना और राहुल के भाषण की प्रशंसा करना धक्का था। बावजूद इसके आश्चर्यजनक रूप से 325 मत प्राप्त हो गए। इसके समानांतर विपक्ष के हिस्से केवल 126 मत आए, जबकि गणना कम-से कम 140 की थी। जाहिर है, यह अविश्वास प्रस्ताव भाजपा से ज्यादा चिंता का कारण कांग्रेस के लिए होना चाहिए। राहुल की कसौटी पर देखें तो वे पहले से थोड़ा ज्यादा आक्रामक थे। किंतु ऐसी कोई बात नहीं कही जो पहले नहीं बोला गया हो। संसद में आरोपों के साथ तय अपरिहार्य है। ऐसा न होने पर विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाता है। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान खरीद पर एक विशेष उद्योगपति के हक में सौदा करने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से अपनी कथित बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा कोई गोपनीय समझौता नहीं है, जिसकी बात रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कर रहीं हैं। रक्षा मंत्री ने 25 जून 2008 के समझौते के कागजात रख दिए, जिस पर यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के हस्ताक्षर थे। क्या राहुल का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी संवाद नहीं होता, जिससे उनको सही जानकारी मिल सके? फ्रांस का भी स्पष्टीकरण आ गया। राहुल से ज्यादा तयात्मक एवं तार्किक भाषण तो माकपा के मो. सलीम का था। हालांकि अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि क्या जिस संवेदनशील और वर्गीकृत सूचना को सार्वजनिक न करने की बात समझौते में है, उसमें उसका मूल्य शामिल है या नहीं। किंतु जब मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा समय पर शासन करने वाली पार्टी देश की सुरक्षा के मामले पर ऐसी बचकाना हरकत करेगी तो कांग्रेस के खेमे में पूरी खामोशी थी। इसी तरह डोकलाम पर भी राहुल ने बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह अपने करीब डेढ़ घंटे के जवाब में तथ्यों के साथ पूर्व कांग्रेस सरकारों को कठघरे में खड़ा किया, उसका असर लोगों पर ज्यादा हुआ। उन्होंने और भी तथ्यों के साथ कांग्रेस को घेरा। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ राहुल के भाषण में कोई नई बात नहीं थी, वहीं मोदी के भाषण में भी पुरानी बातें थीं, पर काफी तय नये थे और उन्होंने हमले का जवाब प्रतिहमले से देते समय जिस तरह व्यंग्य, इतिहास, नेहरू परिवार के राजनीतिक आचरण, विपक्षी नेताओं के साथ किए गए छल आदि को रखा, उससे ऐसा लगा मानो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव मुंहमांगा वरदान जैसा हो। राहुल गांधी के गले मिलने और यह कहने कि आप हमसे नफरत करिए हम आपसे नफरत नहीं करने को उनकी उदारता का प्रमाण बताकर प्रचारित किया जा रहा है वो भी एकपक्षीय सच है। राहुल ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष सत्ता जाना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद उनके खिलाफ कुछ और प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। यानी इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। एक ओर आप धमकी दें और दूसरी ओर कहें कि हमारे दिलों में आपके लिए प्रेम है। इसका क्या मतलब है? आंख मारकर राहुल ने जता दिया कि विपक्ष के नेता के नाते उनमें जितनी परिपक्वता होनी चाहिए उसमें कमी है। मोदी ने जिस तरह इसका वर्णन किया वह मौका स्वयं राहुल ने ही उन्हें प्रदान किया। तो कुल मिलाकर राहुल खुद को साबित करने के सबसे बड़े अवसर से चूक गए और मोदी ने इसका भरपूर और प्रभावी इस्तेमाल किया।

Committed To Excellence

संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष अपनी ही चाल में फंसा (दैनिक जागरण)

मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव का वही हश्र हुआ जो पहले से तय दिख रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम से विपक्ष के साथ सत्तापक्ष भी परिचित था, लेकिन उसने जिस आनन-फानन में अविश्वास प्रस्ताव की मांग मंजूर की उसकी उम्मीद विपक्ष को शायद ही रही हो। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान यह झलका भी कि विपक्षी दल इतनी जल्दी उस पर बहस के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी नेताओं की दलीलें सुनकर देश के लोग शायद ही किसी नतीजे पर पहुंचे हों, क्योंकि उनके पास घिसे-पिटे आरोपों को दोहराने के अलावा और कुछ नहीं था।

विपक्ष के आक्रामक, किंतु आधारहीन आरोपों का जवाब सत्तापक्ष और खासकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रभावी तरीके से दिया उससे समझना कठिन है कि विपक्षी दलों को अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या हुआ? सरकार के जवाब से यह साफ हो गया कि विशेष दर्जे के बहाने आंध्र के लोगों को बरगलाने की राजनीति की जा रही थी और प्रधानमंत्री के आगाह करने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू वाइएसआर कांग्रेस की चाल में जा फंसे थे।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी सबके केंद्र में थे। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या वह वाकई ऐसा कुछ बोलेंगे जिसका असर भूकंप सरीखा होगा? अफसोस कि वह ऐसा कुछ नहीं बोल सके। उलटे उन्हें अपनी कुछ बातों के लिए शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने भाषण के अंत में भले ही यह कहा हो कि उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, लेकिन पूरे भाषण के दौरान उनकी भावभंगिमा आक्रोश और अंहकार से भरे नेता की रही। उनकी ओर से प्रधानमंत्री को जबरन गले लगाना बेहद नाटकीय रहा।

पीएम को गले लगाने के बाद राहुल ने अपने सहयोगियों की ओर देखकर जिस तरह आंख मारी उससे गले मिलने के उनके नाटकीय आचरण की पोल ही खुली। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उनके इस व्यवहार की जमकर खबर भी ली। राहुल ने प्रधानमंत्री को यह जो चुनौती दी थी कि वह उनकी आंख में आंख डाल कर बात नहीं कर सकते उस पर भी उन्हें इस करारे तंज का सामना करना पड़ा कि भला एक कामदार व्यक्ति एक नामदार से कैसे आंखें मिला सकता है?

प्रधानमंत्री ने राहुल के साथ विपक्षी दलों को भी यह याद दिलाया कि आंख में आंख डालकर बात करने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस ने कैसा व्यवहार किया? इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस किस तरह सरकारों को गिराने का खेल खेलती रही है। उन्होंने राहुल के साथ सोनिया गांधी को भी उनके उस बयान के लिए निशाने पर लिया कि कौन कहता है कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है? राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत में सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलकर भी मुसीबत ही मोल ली। लगता है कि उन्होंने इसी मसले पर खून की दलाली वाले अपने बयान से कोई सबक नहीं सीखा।

कांग्रेस को राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वह पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सरकार के समक्ष तगड़ी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाते हुए जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति से अपनी बातचीत का हवाला देकर दावा किया कि इस सौदे में गोपनीयता का कोई प्रावधान नहीं है उससे यही जाहिर हुआ कि उन्हें बिना सोचे-विचारे बयान देने की आदत पड़ गई है।

मोदी सरकार पास, केवल वक्त की हुई बर्बादी (दैनिक जागरण)

मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से पता था। बावजूद इसके इस उत्कंठा ने उसके प्रति दिलचस्पी बढ़ा दी थी कि इस दौरान संसद में कौन कितनी जोरदारी से अपनी बात कहता है? इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निगाहें कुछ ज्यादा ही थीं। शायद वह भी यह जान रहे थे और इसीलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रामक भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री के पास जाकर सहसा उन्हें गले लगा लिया।

अच्छा होता कि वह इससे भी परिचित होते कि कैमरे की निगाह से कुछ छिपता नहीं। प्रधानमंत्री से गले मिलने के तत्काल बाद उन्होंने जैसी मुख मुद्रा अपनाई उससे अविश्वास प्रस्ताव एक तरह के तमाशे में तब्दील हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा ने यही अधिक इंगित किया कि संसद में बहस का स्तर सचमुच गिर गया है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस गिरावट की एक वजह संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी है। हैरत नहीं कि राहुल इसी मकसद से प्रधानमंत्री के गले लगे हों कि उनका यह कथित मैत्री भाव चर्चा का विषय बनेगा। जब कुछ ढंग का कहने की जरूरत थी तब वह कुछ बेढंगा कर बैठे। उनके भाषण में कोई नई बात खोजना मुश्किल रहा। उन्होंने मोदी सरकार पर वही पुराने घिसे-पिटे आरोप नए सिरे से मढ़े जिनका इस्तेमाल वह पहले भी कर चुके हैं। हमेशा की तरह उनके ज्यादातर आरोप आधारहीन ही थे।

यह सामान्य बात नहीं कि इधर राहुल ने राफेल विमान सौदे में गड़बड़ी का पुराना आरोप उछाला और उधर फ्रांस सरकार ने उसका न केवल खंडन किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इस सौदे में गोपनीयता बरते जाने का समझौता संप्रग सरकार के समय ही किया गया था। इस स्पष्टीकरण के बाद राहुल के लिए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर यह बोल दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि राफेल सौदे में गोपनीयता संबंधी कोई समझौता नहीं हुआ? आलोचना और तथ्यपरक आरोपों का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन निराधार आरोपों का जवाब देना एक तरह से तू तू-मैं मैं करना ही है। यह निराशाजनक रहा कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष मोदी सरकार की कायदे से आलोचना भी नहीं कर सका।

अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता न देने को तूल दिया गया उससे यह साबित हुआ कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दों का चयन करने में भी नाकाम रहा। क्या तेलुगु देशम पार्टी इससे इन्कार कर सकती है कि केंद्र सरकार आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय अन्य तरीके से सहायता करने को तैयार थी? अब तो इससे आंध्र की जनता भी परिचित है कि तेलुगु देशम पार्टी की दिलचस्पी केंद्र से सहायता हासिल करने के बजाय इसमें थी कि इस मसले को राजनीतिक रूप से भुनाया कैसे जाए?

विपक्ष ने नोटबंदी सरीखे दो साल पुराने मसले को उठाकर जिस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की उससे यही जाहिर हुआ कि उसने पर्याप्त तैयारी नहीं कर रखी थी। उसने एक तरह से अपना और साथ ही देश का वक्त बर्बाद किया।

GS World
Committed To Excellence

राहुल के बयान के दो घंटे के भीतर फ्रांस सरकार ने साफ किया कि इस तरह का कोई प्रावधान न होने की बात सही नहीं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राफेल सौदे को लेकर संप्रग सरकार द्वारा किए गए समझौते का जिक्र कर कांग्रेस अध्यक्ष के दावे को झुठला दिया। प्रधानमंत्री भी यह कहने से नहीं चूके कि एक पारदर्शी रक्षा सौदे पर उलटे-सीधे आरोप लगाना बचकाना व्यवहार है। प्रधानमंत्री ने बैंकों के फंसे कर्जे पर भी विपक्षी दलों को आईना दिखाते हुए जिस तरह अनुत्तरित किया उससे यही लगा कि अविश्वास प्रस्ताव उनके और खासकर कांग्रेस के ही गले पड़ा।

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अन्य मामलों के साथ भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। नि:संदेह यह एक गंभीर मसला है, लेकिन यह कानून एवं व्यवस्था से जुड़ा है, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। विपक्ष यह जानते हुए भी एक अर्से से इस मसले पर मोदी सरकार को घेर रहा है कि कानून एवं व्यवस्था पर केंद्र राज्यों को निर्देश देने तक ही सीमित है। विपक्ष भीड़ की हिंसा के मामलों को लेकर यह कहने की कोशिश करता दिखा कि ये मामले मोदी सरकार के रुख-रवैये के चलते बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर कोई भी सरकार यह क्यों चाहेगी कि उसके शासन में समाज और देश को शर्मिंदा करने वाली घटनाएं घटें। बेहतर होता कि भीड़ की हिंसा पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इस तरह की वारदातों को रोकने के उपायों पर कोई ठोस और सकारात्मक चर्चा होती ताकि समाज को कोई सही संदेश जाता।

राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को आर्थिक मसलों पर भी कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि नोटबंदी के दो साल बाद उसे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। नोटबंदी के बाद जीएसटी आए हुए एक साल बीत चुका है और यह एक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था को जो झटके लगे थे उससे उबर आया गया है। अब जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और पांचवां स्थान अर्जित करने की ओर बढ़ रही है तब उसकी खराब हालत का जिक्र करने का औचित्य समझना कठिन था।

भले ही अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की हो, लेकिन वह अच्छे से नजर नहीं आई। सत्तापक्ष की ओर से विपक्षी एकता पर जमकर चुटकी ली गई तो इसीलिए कि जहाँ कई विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं वहीं कुछ खुद को उससे ताकतवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से यही अधिक प्रकट हुआ कि विपक्ष के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिन पर वह सरकार को घेरकर जनता का ध्यान आकर्षित कर सके। ऐसा लगता है कि वह अपने ही दांव में फंस गया।

विपक्षी दलों की ओर से जो मुद्दे उठाए गए उन पर सरकार आसानी के साथ जोरदार पलटवार करने में समर्थ रही।

अभी आम चुनाव में देर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर विपक्ष को सरकार के सामने ढंग की चुनौती पेश करनी है तो उसे अपुष्ट आरोप लगाने से आगे बढ़ना होगा। यह अच्छी बात नहीं कि विपक्ष उन मुद्दों को गंभीरता के साथ सामने नहीं ला पा रहा जो आम जनता को कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष इसलिए राजनीतिक गंभीरता का परिचय देने की जरूरत नहीं समझ रहा, क्योंकि वह यह जानता है कि अपने देश में चुनाव भावनात्मक मसलों पर लड़े जाते हैं।

'अविश्वास प्रस्ताव' के कारण देश एवं पार्टियों को 'हुआ लाभ' (पंजाब केसरी)

अब जबकि 20 जुलाई को 'टी.डी.पी.' द्वारा भाजपा नीत केंद्र सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का शोर थम चुका है, लोगों में बहस छिड़ गई है कि इस कवायद का देश को क्या लाभ हुआ? इस बारे में कहा जा सकता है कि एक लिहाज से इसके देश को चंद लाभ हुए हैं और आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार एवं सभी दल अब सक्रिय होने लगे हैं।

अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान जहाँ बीजद, शिवसेना और टी.आर.एस. के 48 सदस्य अनुपस्थित रहे तथा 35 सदस्य मतदान से दूर रहे, वहीं भाजपा, अन्नाद्रमुक, शिअद, रालोसपा, अपना दल, जद (यू), एन.पी.पी. तथा सिक्किम डैमोक्रेटिक फ्रंट के अलावा 3 निर्दलियों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। इसी प्रकार कांग्रेस, तेदेपा, टी.एम.सी., माकपा, राकांपा, सपा, आप, राजद, ए.आई.यू. डी.एफ., लोकदल, मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ए.आई.एम.आई.एम., भाकपा, जद (एस) तथा वाई.एस.आर. कांग्रेस के तीन विद्रोहियों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव के लाभों का संबंध है, इस पर मतदान के अगले ही दिन 21 जुलाई को जी.एस.टी. कौंसिल की बैठक में 100 उत्पादों पर जी.एस.टी. की दरें घटाकर लोगों को राहत देने की घोषणा कर दी।

इसमें सैनेटरी नैपकिन व राखी को गुड्स व सर्विसिज टैक्स से बाहर करने के अलावा 28 प्रतिशत जी.एस.टी. वाले अनेक उत्पादों पर जी.एस.टी. घटा कर 28 से 18 प्रतिशत, 18 प्रतिशत वाले उत्पादों पर घटा कर 12 प्रतिशत व 12 प्रतिशत वाले उत्पादों पर घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सभी दल अगले चुनावों की तैयारी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। नई दिल्ली में 22 जुलाई को हुई नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को राजनीतिक दलों से गठबंधन करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देते हुए उन्हें पार्टी का चेहरा घोषित किया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए समविचारक दलों के महागठबंधन की जरूरत है जो निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़ कर आगे आएं।

ममता बनर्जी ने अगले वर्ष 19 जनवरी को कोलकाता में भाजपा विरोधी रैली को सफल बनाने के लिए इस वर्ष नवम्बर और दिसम्बर में देश व्यापी दौरा करने का निर्णय लिया है। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, लालू और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती और के. चंद्रशेखर राव आदि से मिल कर कोलकाता रैली में आने के लिए उन्हें निमंत्रित करेंगी। पहले जहाँ लोकसभा के चुनाव 2019 में निर्धारित समय से पूर्व ही करवाए जाने की चर्चा सुनाई दे रही थी, वहीं अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव नियत समय पर 2019 में ही करवाने की बात कह दी है। दूसरी ओर भाजपा से नाराज शिव सेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अगला चुनाव अकेले लडने का अपना पहला स्टैंड दोहराया है जो इस बात का संकेत है कि संभवत: उद्धव ठाकरे भाजपा से गठबंधन जारी नहीं रखेंगे।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का भाषण एक बड़ा मुद्दा बना जिसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा तो कुछ ने आलोचना भी की है। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का उठाया और आरोप लगाया कि राफेल विमान का यू.पी.ए. की डील में दाम 520 करोड़ रुपए प्रति विमान था जो एन.डी.ए. में 1600 करोड़

GS World
Committed To Excellence

राहुल बनाम मोदी की लड़ाई (अमर उजाला)

पिछले दिनों संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सदन ने 126 के मुकाबले 325 मतों से सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बहस के दौरान कांग्रेस ने जहाँ खुद को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्थापित किया, वहीं भाजपा ने इसका इस्तेमाल अपने कामकाज की उपलब्धियों के गुणगान और राहुल गांधी तथा कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने के लिए किया। इस तरह बहस मुख्यत: राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होकर रह गई और बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। आंध्र प्रदेश का मुद्दा गौण हो गया, जिसे लेकर तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तो क्षेत्रीय विपक्षी दलों की एकजुटता का मुद्दा भी गौण हो गया। अपनी उपलब्धियों के गुणगान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हमला बोला।

लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान जो कुछ हुआ, उससे आने वाले दिनों में राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसके बारे में कुछ दिलचस्प संकेत मिलते हैं। खासकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्या संबंध हो सकते हैं, जो कि 2019 के लिए निर्णायक होंगे। कुल मिलाकर एनडीए के नंबर अपेक्षा से ज्यादा रहे, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना मतदान से बाहर रही। एनडीए के नंबर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है-अन्नाद्रमुक। जयललिता की मृत्यु के बाद अन्नाद्रमुक भाजपा का सहयोग करती रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भी उसने सरकार के पक्ष में मतदान किया। पर सवाल उठता है कि क्या 2019 के चुनाव में अन्नाद्रमुक भाजपा के साथ जाएगी। इसके बारे में ठीक-ठीक कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में रजनीकांत भी कूद पड़े हैं। हो सकता है कि भाजपा वहाँ रजनीकांत का पल्लू पकड़कर अपने लिए नई जगह बनाने की कोशिश करे।

दूसरा संकेत जो मिलता है, वह यह कि शिवसेना, बीजद और टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहीं। इन पार्टियों ने मतदान से बाहर रहकर परोक्ष रूप से सरकार की ही मदद की है। हालांकि सरकार यह मान रही थी कि शिवसेना उसके पक्ष में मतदान करेगी और ऐसे संकेत भी मिले थे, लेकिन जिस व्हिप ने सरकार के पक्ष में मतदान का निर्देश दिया था, पार्टी ने उसकी ही छुट्टी कर दी। जाहिर है, ऐसा उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ होगा। इससे यही संकेत मिलता है कि शिवसेना और भाजपा के बीच में सौदेबाजी हो रही थी, लेकिन शिवसेना जैसा चाहती थी, वैसा नहीं हो पाया, तो उसने यह रास्ता अपनाया। इसलिए शिवसेना के रवैये से लगता है कि वह 2019 के मद्देनजर भाजपा को अपना तेवर दिखा रही है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खुद को वरिष्ठ सहयोगी के रूप में पेश करने के लिए उच्च स्तरीय सौदेबाजी करेगी, लेकिन वह अभी भाजपा के साथ ही है।

दूसरी तरफ आपको याद होगा कि टीआरएस ने सबसे पहले महागठबंधन के लिए ममता बनर्जी से बात की थी, लेकिन उसी टीआरएस ने भाजपा की मदद करने के लिए मतदान से वॉकआउट किया। उसके रवैये से लगता है कि वह भाजपा के खिलाफ नहीं है, लेकिन 2019 में वह चुनाव से पहले भाजपा से हाथ नहीं मिलाना चाहेगी, क्योंकि उसका जनाधार मुस्लिम मतों पर पर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव के बाद अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह उसके साथ सहयोग कर सकती है।

लेकिन सबसे अजीब रवैया बीजद का था, उसने भी वॉकआउट करके भाजपा की मदद की, जबकि ओडिशा में भाजपा उसे सबसे बड़ी चुनौती दे रही है। इससे पता चलता है कि बीजद यह सोच रही है कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार आए, वह उसके साथ संबंध रखेगी और उसे न तो भाजपा से मतलब है और न ही कांग्रेस से। चूंकि आज भाजपा सत्ता रुपए प्रति विमान हो गया। राहुल के उठाए हुए इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि उन्हें फ्रांस से इस बारे स्पष्टीकरण लेकर अपना पक्ष पेश करना पड़ा, जिससे आगे होने वाले रक्षा सौदों में पारदर्शिता आएगी।

इस बीच महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने यह कह कर भाजपा को फंसा दिया है कि तीन तलाक विरोधी विधेयक में महिला के लिए (पति की गिरफ्तारी की स्थिति में) गुजारा भत्ते का प्रावधान करने पर कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन अवश्य करेगी। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से यह सिद्ध हो गया है कि यदि कांग्रेस और भाजपा ने जीवित रहना है तो उन्हें छोटे दलों को साथ लेकर ही चलना होगा और छोटे दलों को भी पता चल गया है कि अब बड़े दलों से जुड़े बिना उनका कल्याण नहीं है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को चल रही योजनाओं के कार्यों में तेजी लाकर उन्हें चुनावों से पूर्व पूरा करना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ लोकप्रिय निर्णय और करने पड़ेंगे ताकि लोगों के मन में पैदा नाराजगी दूर हो सके।

अविश्वास प्रस्ताव के इस कोलाहल से उभरते कुछ यक्ष-प्रश्न (हिन्दुस्तान)

आप पूछ सकते हैं कि जब संख्या बल पास नहीं था, तब विपक्ष इतने हो-हल्ले के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों? जवाब साफ है- राजनीति में सब कुछ सिर्फ हार-जीत के लिए नहीं किया जाता। कुछ दांव दूर की सोच कर खेले जाते हैं। राजनीति के पंडित इसे 'पोजीशनिंग' भी कहते हैं। क्या विपक्ष इसमें सफल हुआ? इसका जवाब बाद में।

सबसे पहले कांग्रेस की बात। राहुल गांधी जिस अंदाज में बोले वह उनके चाहने वालों के लिए नया था। इस लय-ताल के साथ वे सार्वजनिक तौर पर कभी अपने उद्‌गार व्यक्त करते नहीं दिखाई पड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला। उम्मीद के अनुरूप भाजपा की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ और लोकसभा की कार्यवाही कुछ मिनटों के लिए रोकनी पड़ी।

व्यवधान के बाद पुराने जोश-ओ-खम को बरकरार रखना मुश्किल होता है पर शायद राहुल गांधी आज तय करके आए थे कि उन्हें देश के मतदाताओं को संकेत देना है कि कांग्रेस कोई दब्बू और भीरु लोगों की पार्टी नहीं है। यह बात अलग है कि उनके बयानों से रक्षामंत्री सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता आग-बबूला हो गए। निर्मला सीतारमण ने बाद में संसद में उन्हें गलत बताया, तो अनंत कुमार ने कहा कि हम गलतबयानी के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे।

हालांकि यह सारी बयानबाजी राहुल के एक 'जेस्चर' के आगे धूमिल पड़ गई। हुआ यह कि अपना भाषण खत्म कर वे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उनके गले लग गए। लोकसभा सदस्यों और इस कार्रवाई को टी.वी. पर देख रहे दर्शकों के लिए यह अनोखा दृश्य था। पहले तो प्रधानमंत्री थोड़ा अचकचाए पर बाद में उन्होंने परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए लौटते राहुल गांधी को वापस बुलाया और हंसते हुए उनके कान में कुछ कहा।

काश! यह सौजन्यता हर पार्टी और हर नेता में हमेशा बनी रहे पर आनन-फानन में इसकी धज्जियां उड़ती नजर आईं। अब राहुल का बयान विवाद के केंद्र में है कि उन्होंने झूठ बोला या सच। शायद कांग्रेस चाहती भी यही थी कि चर्चाओं के बगूले अधिक से अधिक उठें।

लोकसभा की कार्यवाही पर लौटते हैं।

बाद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इतिहास के उदाहरणों के जरिये गांधी परिवार की सत्ता का औचित्य कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया।

Committed To Excellence

में है, इसलिए वह उसके साथ सहयोग कर रही है। अन्नाद्रमुक, बीजद और टीआरएस, तीनों का लगभग यही रवैया था।

लेकिन असली नुकसान भाजपा को टीडीपी का हुआ है। वह आंध्र के बंटवारे के कारण कांग्रेस के खिलाफ रही है, और भाजपा की सबसे मजबूत सहयोगी थी, लेकिन वह उसे छोड़कर अलग चली गई है और वही अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। स्पष्ट है कि राजनीतिक रूप से टीडीपी का एनडीए से बाहर होना भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है और जो क्षेत्रीय पार्टियां अभी उसकी सहयोगी हैं, वे आगे ज्यादा सौदेबाजी करेंगी। शिवसेना भी पूरी तरह घर वापस नहीं आई है, यानी भाजपा को आगे सहयोगी दलों को भाव देना होगा। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति कड़ा रवैया नहीं अपनाया, बल्कि उनको चेतावनी देते रहे कि कांग्रेस से बचिए। उन पार्टियों को उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से एक और चीज दोबारा निकल कर आई कि विपक्षी दलों का महागठबंधन बनना बहुत मुश्किल है। टीआरएस और टीडीपी के बीच, ममता और वामदलों के बीच समस्या है। शरद पवार ने तो यह कह ही दिया है और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने फिर से कोलकाता में सिर्फ फेडरल फ्रंट बनाने की बात कही।

राहुल गांधी ने विपक्षी नेता के तौर पर सरकार पर बहुत आक्रामक हमला बोला और लोगों ने उसे पसंद भी किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि 'दे मारा'। जाहिर है, राहुल का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखा और उन्होंने यह दिखाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। इस तरह से 2019 का चुनाव राहुल बनाम मोदी होने वाला है, जिसका भाजपा फायदा उठाना चाहेगी। लेकिन आक्रामक भाषण और गले मिलने (हालांकि बेहतर होता कि उन्होंने आंख नहीं मारी होती, क्योंकि आजकल टीवी सब कुछ पकड़ लेता है) से पता चलता है कि राहुल सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए और फासला तय करना होगा। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है।

अविश्वास प्रस्ताव का हश्र (प्रभात खबर)

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का आंकड़ा 325 के मुकाबले 126 रहा, जो नि:संदेह विपक्ष के विरुद्ध है। इसे देखते हुए यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस प्रस्ताव के मुद्दे का क्या हुआ. इस मतदान से किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ होगा। शिवसेना को छोड़कर (उसके अभिप्राय पर हम बाद में चर्चा करेंगे) सदन में लगभग सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में था। विपक्ष द्वारा इस कदम को उठाने का वास्तविक कारण संभवत: इसके माध्यम से साल 2019 चुनाव अभियान की शुरुआत करना था। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रयास सफल रहा? आइए, इसकी पड़ताल करते हैं।

अगर अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य इस मौके का इस्तेमाल करना और एक यादगार व जोरदार हमले की शुरुआत करना तथा बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना था, तो मेरा मानना है कि इस अवसर का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ.

दोनों तरफ से समान मुद्दे थे और उसे प्रस्तुत करने का तरीका भी समान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वे पिछले छह सालों से उसी सफल ढांचे पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के लिए यह बड़ी समस्या थी और यदि इस कथानक में बदलाव लाना है, तो उसे रचनात्मक होना ही होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तो आखिर इसका मतलब मैं क्या समझूं?

छह वर्ष या उससे भी पहले की बात है, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और उसके बाद निर्भया मामले ने तत्कालीन भारतीय राजनीति वे भी आज पूरे 'फॉर्म' में थे। उन्होंने आंकड़े दिए कि हमारी सरकार ने पिछले चार साल चार महीने में ऐसा क्या किया है, जो अभूतपूर्व है।

जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शंबूक, एकलव्य आदि के उदाहरण के जरिये भारतीय जनता पार्टी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने की कोशिश की। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला ने जो कुछ कहा, वह देश के बजाय उनके अपने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश थी। खड़गे ने उनकी मांगों का समर्थन कर आंध्र के मतदाताओं को जताया कि मेरी पार्टी भी आपके साथ है।

अविश्वास प्रस्ताव: सियासी संदेश की आशंकाओं से बदलते रहे नेताओं के हावभाव

परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री सबसे अंत में संसदीय सहभागियों के सामने बोलने खड़े हुए। उन्होंने बारी-बारी से हर आरोप का जवाब दिया। उनके प्रशंसकों की सूची में यकीनन आज उनका एक और भाषण जुड़ गया। वे एक साथ चुटीले, तार्किक और गर्मजोश लग रहे थे। उनके इस अंदाज के आगे सबसे पुरानी साथी शिवसेना का बहिर्गमन फीका पड़ गया।

संसद में पहली बार उन्हें टीडीपी सदस्यों के संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा पर वे बोलते रहे, बेपरवाह। भारतीय राजनीति में इसे 'मोदी शैली' कहते हैं।

मानसून सत्र: मोदी सरकार के खिलाफ दो तिहाई से ज्यादा मतों से लोकसभा में गिरा अविश्वास प्रस्ताव

लगभग आधी रात तक चली इस सारी कवायद के बावजूद यह यक्ष-प्रश्न कायम है कि इसका फायदा किसे हुआ? कांग्रेस को, प्रादेशिक पार्टियों को अथवा भाजपा को? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करनी होगी पर तय है कि 2019 की जंग कैसी होगी, इसका अंदाज आज आपको भी लग गया होगा।

अविश्वास के बहाने (नवभारत टाइम्स)

आज मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान होगा। मुकाबले का नतीजा सबको पता है लेकिन दोनों ही पक्ष इसे लेकर उत्साहित हैं। सत्तापक्ष के लिए उत्साह की बात यह है कि बहस के दौरान उसे अपनी सफलता के गीत गाने का पूरा मौका मिलेगा। विपक्ष के लिए यह कि उसके खेमे में किसी भी दल के पास लोकसभा की 10 फीसदी सीटें भी न होने के बावजूद वह एकजुट होकर सरकार के प्रति अपने अविश्वास की अभिव्यक्ति तो कर पा रहा है! ध्यान रहे, इस तरह का प्रस्ताव संसद में 15 साल बाद आ रहा है। इससे पहले यह 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ आया था और गिर गया था।

2008 में मनमोहन सिंह सरकार अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर विश्वास प्रस्ताव लाई थी और जीत गई थी। इस कसरत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया गया है, उसी पर सबसे कम बात होने की आशंका है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन सरकार और ऑपोजिशन दोनों इसे 2019 के चुनावी प्रचार के रिहर्सल के तौर पर ले रहे हैं। संसद के पिछले सत्र, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ही जाया हुआ था, लेकिन इस बार सरकार शुरू में ही मान गई। मोदी सरकार इसे देश के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाने के अवसर के रूप में ले रही है। संभव है, इस मौके पर कुछ लोकलुभावन संकेत भी दिए जाएं। लोकसभा का अंकगणित उसके पक्ष में है, लिहाजा वह एक दिन की बहस का मनचाहा इस्तेमाल कर सकती है।

दूसरी तरफ विपक्ष को लगता है कि मीडिया पर सरकार के दबदबे की काट वह संसद में टीवी कैमरों के सामने अपनी बात रखकर कर सकता है। विपक्ष मॉब लिंचिंग, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं, किसानों

के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया था। उस आंदोलन का आशय था कि तत्कालीन सरकार भ्रष्ट और अक्षम है, वह अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ है और केवल कुछ ही लोगों के लिए काम कर रही है।

नरेंद्र मोदी ने इस माहौल में खुद को उतारा और उस पर पकड़ बना ली। उन्होंने तब भी और अब भी कुछ हद तक खुद को उस आरोप से बचाये रखा है। अगर राजनीति भ्रष्ट है, तो वे भ्रष्टाचार मिटाने कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीति वंशवादी है, तो वे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद या पाकिस्तान के खिलाफ अगर तंत्र कमजोर या नरम है, तो अपने व्यक्तित्व की ताकत के जरिये वे उसे बदलेंगे. ऐसी अनगिनत चीजों का दिखावा किया जा रहा है।

एक व्यक्ति देश नहीं बदलता है और न ही बदल सकता है, खासकर भारत जैसे जटिल व बड़े आकारवाले देश को। लेकिन, अगर इस पटकथा पर विराम लगा है, तो इसका कारण सम्राट के कपड़ों का सामने आ जाना नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे इससे हाथ खींच लेना है। यही वे बातें हैं, जिनके लिए संसद का उपयोग करना चाहिए था और मेरी समझ से ऐसा नहीं किया गया।

आमतौर पर हमारे देश में प्रेस संसदीय कार्यवाही को पूरी परिपक्वता से नहीं दिखाता है। ब्रिटेन में संसद की रिपोर्टिंग की एक खास परंपरा है। इसके लिए वहाँ के तमाम अखबारों के रिपोर्टर नेताओं के व्यक्तित्व के जरिये संसद की कार्यवाही का विश्लेषण करते हैं। एक तरह से देखें, तो यह एक दिलचस्प रिपोर्टिंग होती है, जो पढ़ने में बेहद मजेदार लगती है। भारतीय पाठकों को ऐसी रिपोर्टिंग नियमित तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संसदीय सत्र के दौरान यहाँ बहुत शोरगुल होता है। उन दिनों जब संसद में वास्तव में काम हो रहा था, (मान लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन) तो उस क्षण का पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

संसद में अपने भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगने के मौके के अलावा मीडिया को वहाँ ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा, जिसे वह चर्चा से बाहर निकाल पाता।

गले लगने की घटना ने मोदी को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और वे वैसी शारीरिक अंतरंगता के अभ्यस्त नहीं है, जिसकी पहल वे खुद नहीं करते। इससे नरेंद्र मोदी कुछ असहज दिखे और यह सच है कि बिना पूर्व तैयारी के अगर कोई काम होता है, तो उसमें वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं।

नयी पटकथा लिखने की बजाय विपक्ष जो दूसरा काम कर सकता था, वह था- भाजपा के खिलाफ अधीर विपक्ष को एक सूत्र में पिरोने का कार्यक्रम तैयार करना। इस मौके पर जब विचारधारा या महत्वाकांक्षा के आधार पर विपक्ष को एकजुट किया जा सकता था, वह बहुत कमजोर दिखा। यहाँ स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत थी।

एक ऐसा दृष्टिकोण, जो भले ही अस्पष्ट और खुला हो, पर लुभावने तरीके से पेश किया गया हो। श्रेष्ठ राजनेता यही काम करते हैं। और, निश्चित तौर पर साल 2014 में मोदी ऐसा करने में सफल रहे थे। यदि साल 2019 चुनाव का प्रमुख विषय देशभर में हुए गठबंधन बनाम भाजपा होना है, तो इसके लिए तर्क या इसकी आवश्यकता के बारे में भाषणों में बातें नहीं आ सकीं।

वहीं दूसरी ओर, गठबंधन बनाने में भाजपा खासतौर से अच्छी नहीं रही है और वह इस तथ्य को स्वीकार करती है। जिद्दी सहयोगी से सामना होने पर वह उसके आगे झुकती नहीं है। मैंने 1995 से शिवसेना और भाजपा के बीच लगातार होते रहे गठबंधन से लेकर, जब वे महाराष्ट्र चुनाव जीत गये, तब तक के तरीकों को देखा है। तब से अब तक जब भी चुनाव का एलान हुआ है, शिवसेना ने इसी तरह का व्यवहार किया है, जैसा उसने अभी किया है।

की आत्महत्या, एमएसपी, बेरोजगारी और आतंकवाद के मुद्दों पर सरकार को घेरकर उसकी नाकामियां गिनाएगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोशिश अपनी एकजुटता दिखाने की होगी, ताकि बीजेपी अगले आम चुनाव में अपनी एकतरफा ताकत न जाहिर कर सके। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का एक मकसद एनडीए के गैर-बीजेपी घटकों की कशमकश सामने लाना भी है। खासकर शिवसेना की ओर से उसको किसी अचंभे का इंतजार रहेगा।

इसके अलावा एआईडीएमके, बीजेडी और टीआरएस जैसे दलों की स्थिति भी स्याह-सफेद में सामने आ सकेगी। इनके कुछ नेता जब-तब मोदी सरकार की आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को लेकर इनका रवैया अगले आम चुनाव तक के लिए पुख्ता माना जाएगा। वैसे, कार्यवाही देखने वालों की नजर काफी कुछ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी रहेगी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से 2019 के चुनाव में विपक्ष के आत्मविश्वास को लेकर एक अंदाजा लगाया जा सकेगा।

अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य (नई दुनिया)

यह आश्चर्यजनक है कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का वह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया, जिसे पिछले सत्र में हंगामे के बीच लाने की कोशिश हो रही थी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बजट सत्र के दौरान न तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर था और न ही सत्तापक्ष उसे स्वीकार करने को लेकर। नि:संदेह विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आमतौर पर यह प्रस्ताव तो तब आता है, जब इसे लेकर संदेह होता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल है या नहीं? भले ही सोनिया गांधी ने आत्मविश्वास दिखाते हुए यह कहा हो कि कौन कहता है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि संख्या के खेल में विपक्ष सत्तापक्ष से पीछे है।

तथ्य यह भी है कि कुछ विपक्षी दलों ने अभी यह तय नहीं किया कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर किसका साथ देंगे? स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया है कि सरकार को संख्याबल के खेल में मात दी जा सके। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भाजपा के सहयोगी के रूप में गिने जा रहे उन दलों की निष्ठा की परख भर कर सकता है, जो मोदी सरकार से नाखुश माने जा रहे हैं, लेकिन इस क्रम में खुद उसकी एकजुटता की भी परीक्षा होगी। पता नहीं विपक्ष इससे चकित है या नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव की उसकी मांग तत्काल स्वीकार हो गई, लेकिन उसका यह दावा दमदार नहीं कि वह इस प्रस्ताव के जरिये उन मसलों पर बहस करा सकेगा, जिन पर सरकार चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि वह तो हर मसले पर चर्चा की चुनौती दे रही है।

यह एक विडंबना ही है कि विपक्ष की ओर से जिस तेलुगु देशम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को मंजूरी मिली, वह कुछ समय पहले तक न केवल सत्तापक्ष के साथ थी, बल्कि सत्ता में भागीदार भी थी। विडंबना यह भी है कि यह अविश्वास प्रस्ताव नोटिस इस शिकायत पर केंद्रित है कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता पैकेज नहीं दिया। आंध्र की विशेष सहायता पैकेज की मांग को सही ठहराने का मतलब है बिहार, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की ऐसी ही मांग को समर्थन देना। क्या केंद्र सरकार के लिए एक साथ कई राज्यों को विशेष सहायता पैकेज देना संभव है? क्या यह विचित्र नहीं कि जिस मांग को पूरा करना संभव नहीं और जो न्यायसंगत भी नहीं, उसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है?

GS World
Committed To Excellence

वह स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात करती है और भाजपा की निंदा करती है, जबकि भाजपा और इसके नेता चुप्पी साधे रहते हैं। भाजपा पर सभी तरह के हमले करने के बाद अंततः शिवसेना अपने रुख से पलट जाती है और अपने हित साधने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन कर लेती है और इस बार भी वह यही संकेत दे रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2019 में भी यही होगा।

यह स्पष्ट नहीं है कि साल 2019 के आम चुनाव से पहले हमारी राजनीति में एक बार फिर से टकराव का क्षण देखने को मिलेगा। भारत में उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन बहस की परंपरा नहीं है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री और उनसे प्रश्न करने की चाह रखनेवाले दूसरे नेताओं के बीच एक-एक करके बहस करने का कोई दूसरा अवसर उपलब्ध नहीं होगा। हमारे पास सबसे अच्छी चीज अविश्वास प्रस्ताव है और दुर्भाग्यवश, यह प्रस्ताव भी साल 2019 के आम चुनाव का मुख्य विषय क्या होगा, इसे अधिक स्पष्ट करने में सहायक नहीं हो पाया।

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष जिन अन्य मसलों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है, उनमें भीड़ की हिंसा और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन का भी मामला है। विपक्ष इन मसलों को उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भीड़ की हिंसा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का जो निर्देश दिया है, उसे पूरा करने में विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। इसी तरह उसे इससे भी अवगत होना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया है।

सारांश

- अधिकांश विपक्षी दलों के समर्थन वाला तेलुगु देशम पार्टी की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव मूलत: इस शिकायत पर केंद्रित था कि केंद्र ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया?
- यह अभी तक के अविश्वास प्रस्तावों से इस मायने में भिन्न था कि किसी क्षेत्रीय पार्टी तेलुगू देशम ने अपने राज्य को विशेष दर्जा न दिए जाने को लेकर इसकी पहल की।
- कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया जो अपने कार्यकाल में बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा देने से इनकार कर चुकी थी। आंध्र प्रदेश का विभाजन भी उसी ने किया था लेकिन पुनर्गठन कानून में विशेष राज्य का कोई प्रावधान नहीं डाला।
- तेलंगना राष्ट्र समिति ने अविश्वास प्रस्ताव में मतदान करने से अपने को अलग कर लिया। बीजू जनता दल ने भी सदन से बहिर्गमन किया। अन्नाद्रमुक ने मोदी सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया।
- संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सदन ने 126 के मुकाबले 325 मतों से सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया।
- शिवसेना, बीजद और टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहीं। इन पार्टियों ने मतदान से बाहर रहकर परोक्ष रूप से सरकार की ही मदद की है।
- भाजपा, अन्नाद्रमुक, शिअद, रालोसपा, अपना दल, जद (यू), एन.पी.पी. तथा सिक्किम डैमोक्रेटिक फ्रंट के अलावा 3 निर्दलियों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया।
- इसी प्रकार कांग्रेस, तेदेपा, टी.एम.सी., माकपा, राकांपा, सपा, आप, राजद, ए.आई.यू. डी.एफ., लोकदल, मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ए.आई.एम.आई.एम., भाकपा, जद (एस) तथा वाई.एस.आर. कांग्रेस के तीन विद्रोहियों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला।
- अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का भाषण एक बड़ा मुद्दा बना जिसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा तो कुछ ने आलोचना भी की है। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का उठाया और आरोप लगाया कि राफेल विमान का यू.पी.ए. की डील में दाम 520 करोड़ रुपए प्रति विमान था जो एन.डी.ए. में 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान हो गया।
- इस तरह का प्रस्ताव संसद में 15 साल बाद आ रहा है। इससे पहले यह 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ आया था और गिर गया था।

अविश्वास प्रस्ताव

- सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहती हैं
- जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तब वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है।
- अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब सदन में उसे कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो।
- अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों निचले सदन यानी केंद्र सरकार के मामले में लोकसभा और राज्य सरकारों के मामले में विधानसभा में लाए जा सकते हैं।
- विश्वास प्रस्ताव- ये केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री पेश करता है, सरकार के बने रहने के लिए इस प्रस्ताव का पारित होना मतलब मंजूर होना जरूरी है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। विश्वास प्रस्ताव दो स्थिति में लाया जाता है। जब सरकार को समर्थन देने वाले घटक समर्थन वापसी का ऐलान कर दें, ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सदन का भरोसा हासिल करने को कह सकते हैं।
- अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अदंर इस पर चर्चा जरूरी है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है।
- भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
- संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा या 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया।
- चौबीस बार ये प्रस्ताव असफल रहे हैं लेकिन 1978 में ऐसे एक प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया। सबसे ज्यादा या 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गाँधी की काँग्रेस सरकार के खिलाफ आए। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया।
- अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गाँधी की सरकार के विरुद्ध रखे।
- एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए दो बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। वाजपेयी जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भी दो बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इनमें से पहली बार तो वो सरकार नहीं बचा पाए लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने हरा दिया।
- आमतौर पर जब संसद अविश्वास पर वोट करती है या वह विश्वास मत में विफल रहती है, तो किसी सरकार को दो तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है : त्यागपत्र देना, संसद को भंग करने और आम चुनाव का अनुरोध करना।

* * *

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय संसद में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
   (a) 1963 (b) 1972
   (c) 1957 (d) 1970
   (उत्तर-A)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
   2. इसे प्रस्तुत करने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों की संस्तुति चाहिए।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
   (उत्तर-B)

3. भारतीय संसद में हाल ही में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का कारण क्या था?
   (a) आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय का न मिलना
   (b) आंध्र प्रदेश का बंटवारा
   (c) आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना
   (d) आंध्र प्रदेश को राज्य सभा में अतिरिक्त हिस्सेदारी न मिलना।
   (उत्तर-C)

4. अविश्वास-प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इसे प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति चाहिए।
   2. इसके पारित होने की स्थिति में सरकार को 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
   (उत्तर-A)

5. भारतीय संसद में अविश्वास-प्रस्ताव के प्रावधानों एवं इसकी प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. भारत की संसद किसके/किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है?
   1. स्थगन प्रस्ताव
   2. प्रश्न काल
   3. अनुपूरक प्रश्न
   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-D)

2. संसदीय प्रणाली की सरकार की मुख्य विशेषता है-
   (a) कार्यपालिका एवं विधायिका स्वतंत्र कार्य करती हैं।
   (b) यह नीतियों को तारतम्यता देता है एवं ज्यादा सक्षम है।
   (c) कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।
   (d) सरकार के मुखिया को बिना चुनाव के नहीं बदला जा सकता।
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-C)

3. भारत में संसदीय व्यवस्था की सरकार है, क्योंकि-
   (a) लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुनी जाती है।
   (b) संसद, संविधान में बदलाव कर सकती है।
   (c) राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता।
   (d) मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-D)

4. एक अविश्वास-प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत के संविधान में अविश्वास-प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।
   2. एक अविश्वास-प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-C)

5. कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल-परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है?
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2013)

6. "भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।" चर्चा कीजिए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2016)

7. भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

गंगा की सफाई में नाकाम तंत्र

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

गंगा नदी की सफाई के क्रम में व्यवस्था एवं सरकार अपने तमाम दावों के बावजूद असफल रही है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सरकार को अब और अधिक पैसे खर्च करने से मना करने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'अमर उजाला', 'जनसत्ता', 'दैनिक जागरण' और 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

गंगा की मुक्ति का सत्याग्रह (अमर उजाला)

गंगा की आजादी के लिए पिछले बारह वर्षों से प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल स्वामी सानंद जी गंगा तपस्या कर रहे हैं। गंगा की अविरलता व निर्मलता एक सत्य है। इसका आग्रह अहिंसा में, तरीका तपस्या है। इसलिए यह गंगा का सत्याग्रह बन गया है। भारत की आजादी के लिए 70 वर्षों तक सत्याग्रह चला था। उस काल में अंग्रेजों से भारतीय आजादी का आग्रह कर रहे थे। अंग्रेज भारत की आजादी के सत्य को टाल नहीं सके, इसलिए आजादी का सत्याग्रह सफल हुआ था। गंगा की आजादी का सत्याग्रह सफल होगा या नहीं, यह सवाल गंगा प्रेमियों के मन में है, क्योंकि गंगा की आजादी देने वाले भारतीय हैं और आजादी का आग्रह करने वाले भी भारतीय हैं। सत्ता जब झूठ को पोषित करती है, तो जन सामान्य के मन से सत्य की आस्था हिल जाती है।

स्वामी सानंद जी का कहना है, 'मेरा काम मां गंगा के लिए तपस्या करते हुए प्राणों का बलिदान देना है। मैं वही करूंगा। मुझसे पहले स्वामी निगमानंद मातृ सदन, हरिद्वार, स्वामी नागेश्वर नाथ, मणिकर्णिका घाट, बनारस ने भी गंगा मां के लिए अपना बलिदान देकर मोक्ष की प्राप्ति की है। मेरी भी अंतिम इच्छा मां गंगा के लिए तपस्या करते हुए प्राणों का बलिदान देकर मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन झूठ बोलकर धोखा देने वालों को अभिशाप देकर जाऊंगा। जिससे झूठमेव जयते रुक सके और सत्यमेव जयते पुनर्स्थापित हो सके। इसकी स्थापना तभी होगी, जब भारत सरकार गंगा को राष्ट्रीय दर्जा देने वाला अविरलता व निर्मलता का कानून पास कर देगी।'

मंत्रालय में बहुत दिनों से इस बिल पर चर्चा करके संसद में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी तक यह बिल संसद के दरवाजे तक नहीं गया है। कानून नहीं बनने से ठेकेदार, नेताओं और इंजीनियरों सबके मजे हैं। इसीलिए पिछले छह वर्षों से गंगा के कानून का प्रारूप दर-दर की ठोकर खा रहा है।

सरकार में गंगा मैया के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाई पड़ रही है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री खुद गंगा स्वच्छता अभियान की बात करते थे। अब उनके राज्य मंत्री ही संसद में लिखित में जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि 2016 के मुकाबले 2017 में मां की हालत में सुधार हुआ था, लेकिन आज की हालत नहीं बता पाते। जबकि 2018 आधे से ज्यादा बीत गया है। इस वर्ष गरमी में गंगा सूख गई या मर गई है। वहीं बारिश में बाढ़ का शिकार बन रही है। आज वह मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। मैला नदी में गिरकर उसे बीमार बना देता है। मां कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है। हम एसटीपी लगाकर बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल खिलाकर स्वस्थ बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। जब रोगी का निदान होता है, तभी चिकित्सा संभव है।

गंगा के लिए (जनसत्ता)

इन दिनों एक संत स्वामी सानंद गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर हैं। हालांकि उनका यह पहला अनशन नहीं है। वे पहले भी कई बार गंगा के संकट के मसले पर सरकार को ऐसी कई परियोजनाओं से हटने पर मजबूर कर चुके हैं, जो इस नदी के लिए घातक साबित होतीं। स्वामी सानंद लंबे समय से गंगा संरक्षण के लिए अलग कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसका मसविदा भी तैयार किया था। लेकिन इस दिशा में अब तक प्रगति सिर्फ इतनी हो पाई कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बना दी थी। लेकिन कानून अब तक नहीं बन पाया। इस बार स्वामी सानंद का आमरण अनशन इसी मांग को लेकर है। स्वामी सानंद खुद एक पर्यावरणविद् और इंजीनियर रहे हैं। डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक वे आइआइटी-कानपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी के प्रोफेसर रहे। गंगा के लिए उन्होंने अब तक जो कुछ किया है, वह इस नदी के प्रति उनके समर्पण की मिसाल है।

गंगा की सफाई के लिए पिछले तीन दशक से लंबे-चौड़े अभियान चलते रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए फूंके जा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज से चार साल पहले 'नमामि गंगे' नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना शुरू की गई थी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 2037 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके बाद केंद्र ने सात जुलाई, 2016 को नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी और गंगा नदी को संरक्षित और स्वच्छ करने के काम पर अगले पांच साल में बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस रफ्तार के साथ यह काम शुरू होना था, वह नहीं हो पाया। पिछले साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आबंटित किए गए 2600 करोड़ रुपए से अधिक का सरकार उपयोग ही नहीं कर सकी। यह वह पैसा था जो 31 मार्च 2017 तक खर्च होना था। जाहिर है, काम शुरू ही नहीं हुआ, और जो हुआ भी वह इतनी मंथर गति से कि उसके नतीजे नहीं के बराबर सामने आए। यह हमारे सरकारी तंत्र की कार्य-संस्कृति का एक उदाहरण है।

लेकिन सवाल है कि क्या गंगा सिर्फ कानून या अलग महकमा बना देने भर से बच जाएगी। इसके लिए जो इच्छाशक्ति और कार्य-संस्कृति सरकारों में दिखनी चाहिए, वह नजर नहीं आती। वरना ऐसा क्यों होता कि पैसा होने के बाद भी युद्धस्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया। गंगा में खनन गतिविधियों को रोक पाने में सरकारें नाकाम रही हैं। गंगा के प्रवाह को बनाए रखना है तो उस पर बिजली परियोजनाएं लगाना बंद करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की रुचि गंगा को बचाने में

भारत की संसद में 21 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों ने अपने बौद्धिक घोड़े दौड़ाते हुए सभी वायदों को पूरा करने का बखान किया, लेकिन किसी भी दल ने गंगा से किए अपने वायदों का तनिक भी उल्लेख नहीं किया। इससे पता चलता है कि भारत की 132 करोड़ जनता की आस्था गंगा पर किसी का भी ध्यान नहीं है। गंगा केवल वोट दिलाने वाली मशीन है। जब चुनाव का वक्त आता है, तब तो गंगा का नाम लेना कोई नहीं भूलता। चुनाव जाने के बाद कोई नाम भी याद करना नहीं चाहता। प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल और देश के गिने-चुने गंगा भक्त गंगा की आजादी के सत्याग्रह में जुटे हैं। यह सत्याग्रह गंगा की आजादी पाने तक चलेगा, रुकेगा नहीं। पिछले 12 सालों से गंगा की अविरलता निर्मलता का सत्याग्रह चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा।

गंगा की सुध (जनसत्ता)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा तट से पांच सौ मीटर की दूरी तक कचरा डालने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने गुरुवार को दिए एक विस्तृत फैसले में केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह गंगा सफाई अभियान पर अब और पैसा खर्च न करे। यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज पर भी सवालिया निशान लगाता है। मगर फैसले का त्रासद पहलू यह भी है कि सुनवाई पूरी होने में इकतीस साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अब क्रियान्वयन पर कितना वक्त लगेगा? देश में नदियों की बदहाली को लेकर मुद्दा लंबे समय से जेरे-बहस है। लेकिन जिस ईमानदारी और विश्वसनीयता से कार्य होना चाहिए था, वह कहीं दिखाई नहीं देता। सरकारें गंगा को लेकर चिंतातुर भले दिखती हों, मगर हकीकत यह है कि गंगा की सफाई को लेकर जितनी राशि पिछले तीन दशक में खर्च की गई है वह अपने आप में भ्रष्टाचार की एक अलग ही कहानी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आखिरकार एनजीटी को खर्च रोक देने का आदेश देना पड़ा है।

एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव तक सौ मीटर की दूरी को 'नो-डेवलपमेंट जोन' घोषित करते हुए पांच सौ मीटर की दूरी तक कचरा वगैरह डालने की मनाही की है। यह लंबाई करीब पांच सौ किलोमीटर है। कचरा फेंकने वाले को पचास हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। अधिकरण ने इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। हरिद्वार उत्तराखंड में और उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। दोनों सरकारों से कहा गया है कि वे दो साल के अंदर जलमल शोधन संयंत्र लगा लें तथा जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था कर लें। साथ ही छह महीने के भीतर जाजमऊ के चमड़ा कारखानों को उन्नाव या कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए भी कहा गया है। याचिकाकर्ता ने 1985 में यह अपील दाखिल की थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को सुनवाई के लिए भेज दिया था। एनजीटी ने याचिकाकर्ता की सीबीआई या कैग से जांच की मांग पर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना कि इस पर अब तक सात हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुका है।

असल में गंगा सफाई का काम सबसे पहले राजीव गांधी के कार्यकाल में करीब नौ सौ करोड़ रुपए के बजट से 'गंगा कार्य योजना' नाम से शुरू हुआ था। मौजूदा केंद्र सरकार 'नमामि गंगे' नामक एक विस्तृत परियोजना चला रही है, जिसका बजट बीस हजार करोड़ रुपए रखा गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई नाम से अब एक अलग मंत्रालय है। मगर, गंगा सफाई की वास्तविकता क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। एनजीटी का फैसला सरकारों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर अब भी सरकारों की आंख खुल जाए और वे पारदर्शिता व जिम्मेदारी के कम, उसे बचाने की मांग करने वालों का उत्पीड़न करने में ज्यादा है। स्वामी सानंद ने अलग से गंगा प्रबंधन तंत्र की बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग का कोई दखल न हो। यह सुझाव इसलिए व्यावहारिक लगता है कि ज्यादा प्रशासनिक अड़चनें लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने में बाधा खड़ी करती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कह भी चुका है कि गंगा और यमुना को अब जीवित प्राणी माना जाएगा और उनको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलेगा। अगर हम समय रहते गंगा को नहीं बचा पाए तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।

अविरलता-निर्मलता के साम्य को समझे बिना गंगा की चिकित्सा नहीं हो सकती (दैनिक जागरण)

गंगा को हमारे समाज में मां का दर्जा हासिल है। इसीलिए उसे गंगा मैया भी कहते हैं। बहरहाल गंगा के विकास के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं ही आज इस नदी का बंटाधार कर रही हैं। आधुनिक घाटों, बांधों, बैराजों और एसटीपी के निर्माण से गंगा की अविरलता-निर्मलता में बाधा पैदा हुई है। जैसे हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में बाधा आने से हार्ट अटैक होता है वैसे ही गंगा पर बैराज बनने से नदी का जल प्रवाह रुक गया है। विडंबना यही है कि गंगा के रक्त प्रवाह की बीमारी का इलाज दंत चिकित्सक से कराया जा रहा है। परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन गंगा की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। जबकि इलाज के नाम पर बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है। गंगा प्राधिकरण ने जिन कामों को दस वर्ष पहले रोक दिया था अब नमामि गंगे में उन्हीं कार्यों को टुकड़ों-टुकड़ों में किया जा रहा है।

वर्ष 2014 में गंगा के लिए सबसे ज्यादा समर्पित और सक्षम व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते थे, लेकिन अब चार वर्ष बीत जाने के बाद इस प्रतिबद्धता के ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। अब गंगा के उपचार के लिए हमें प्रो. जी.डी. अग्रवाल जैसे सक्षम और समर्पित व्यक्ति चाहिए जो गंगा को निर्मल बनाने का विज्ञान समझते हैं। वह गंगा के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलू को भी जानते हैं। वही गंगा की अविरलता और निर्मलता के विज्ञान को भी जानते हैं। अविरलता-निर्मलता के साम्य को समझे बिना गंगा की चिकित्सा नहीं हो सकती।

गंगा दुनिया की दूसरी नदियों से अलग विशिष्टताओं वाली नदी है। गंगा जल विशिष्ट है। आधुनिक भारत में सैकड़ों शोध हुए हैं जिनसे यह विशिष्टता सिद्ध हुई है। जैसे कानपुर से 20 किलोमीटर ऊपर बिठूर से लिए गंगाजल में कोलीफॉर्म नष्ट करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है जो कानपुर के जल आपूर्ति कुएं में आधी रह जाती है और यहाँ के भूजल में यह शक्ति शून्य हो जाती है। यह गंगाजल में मौजूद सूक्ष्म कणों (बायोफाज्म) के कारण है। हरिद्वार के गंगा जल में बीओडी को नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता है। इसका क्षय करने वाले तत्वों का सामान्य जल से 16 गुना अधिक है।

यह हिमालय की वनस्पतियों से आए अंशों के कारण संभव है। भागीरथी के जल में धातुओं के एक विशिष्ट मिश्रण की शक्ति का पता चला है। ऐसा मिश्रण संसार में अभी तक कहीं नहीं मिला है। टिहरी बांध से ऊपर गंगा जल में जिन विशेष तत्वों की मौजूदगी थी वे अब गाद के साथ पीछे बैठ गए और बांध के नीचे आने वाले जल में कोलीफॉर्म नाशक या सड़न नाशक क्षमता शून्य रह गई है।

2017 में गंगा के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि ऊपरी गंगा गाद में बीसों रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। इसमें 18 रोगाणु प्रजातियां जिनमें टीबी, हैजा, पेट की बीमारियां और

Committed To Excellence

साथ गंगा सफाई अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं तो देर से ही सही एक महत्त्वाकांक्षी योजना को साकार किया जा सकता है। आखिरकार गंगा की सफाई का मामला करोड़ों लोगों के जीवन, रोजगार और आस्था से भी जुड़ा है।

गंगा की फिक्र (दैनिक जागरण)

गंगा का प्रदूषण इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि उत्तर भारत में इसका जल पीने और सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यह आवश्यक है कि गंगा की अविरलता और पवित्रता को हर देशवासी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे।

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के तटों पर 100 मीटर दूरी तक किसी भी तरह का निर्माण न करने और 500 मीटर तक कचरा फेंकने पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने का जो आदेश दिया है, उसके दूरगामी नतीजे प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते वे संस्थाएं इसे दृढ़तापूर्वक लागू करवाएं जिन पर इस फैसले का क्रियान्वयन करवाने की जिम्मेदारी है। गंगा को प्रदूषणमुक्त करने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों की सरकारें तथा न्यायालय लंबे समय से प्रयासरत हैं लेकिन अब तक कोई भी कवायद सिरे नहीं चढ़ी। इसका मुख्य कारण कार्यकारी एजेंसियों में व्याप्त भ्रष्टाचार है जो गंगा प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों और अन्य संगठनों के साथ मिलीभगत करके सरकार और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करती हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब किसी न्यायालय ने गंगा के तटों पर निर्माण कार्य न करने तथा कचरा न फेंकने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के लिए सरकारें भी समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी करती हैं लेकिन धरातल पर इन आदेशों का प्रभाव नहीं दिखता। उम्मीद की जानी चाहिए कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के आदेश को कार्यकारी संस्थाएं गंभीरता से लेगी तथा गंगा की धारा और पवित्रता के साथ खिलवाड़ पर अंकुश लगाएगी। तकनीकी दृष्टि से एनजीटी का आदेश हरिद्वार से उन्नाव तक के लिए हैं लेकिन यूपी और बिहार की सरकारों को इस आदेश की मंशा का सम्मान करते हुए इसी तरह की व्यवस्था उन्नाव से आगे भी करना चाहिए। गंगा के प्रवाह में बाधाएं और जल में प्रदूषण बड़ी राष्ट्रीय चिंता है।

केंद्र और संबंधित राज्यों की सरकारें गंगा को प्रदूषणमुक्त करने के लिए खरबों रुपये खर्च कर चुकीं लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय बदतर ही होती जा रही। मौजूदा केंद्र सरकार ने इसी दृष्टि से नमामि गंगे परियोजना शुरू की है। इस योजना को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। सबकी शुभकामना है कि ये दावे सही साबित हों और गंगा की धारा निर्मल हो जाए। इसके लिए सरकार के साथ-साथ सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। हिंदू समुदाय गंगा को मां और गंगाजल को मोक्षदायी मानता है। ऐसी पवित्र नदी को प्रदूषणमुक्त रखना आवश्यक है। यह असंभव नहीं, बशर्ते सभी लोग इसे अपनी जिम्मेदारी मानें।

फिर भी गंगा मैली (दैनिक ट्रिब्यून)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने चिंता जाहिर की है कि अधिकारियों के दावों के बावजूद गंगा के पुनर्जीवन के लिये जमीनी स्तर पर प्रयास नजर नहीं आते। सौ करोड़ लोगों के लिये सम्माननीय गंगा के हालात असाधारण रूप से खराब हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के.गोयल की अध्यक्षता टाइफाइड शामिल है। गंगा जल की ये सभी विशेषताएं पहले गढ़मुक्तेश्वर तक कुछ अंशों में मिलती थीं, लेकिन अब उद्योगों से निकले रासायनिक कचरे के कारण हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के जल में अब काफी समानताएं देखने को मिलती हैं।

केंद्रीय जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी गंगा जल की विशिष्टताओं को समझकर गंगा का इलाज करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए जी.डी. अग्रवाल जैसे व्यक्ति ही सक्षम हैं। चूंकि मौजूदा सरकार के साथ उनकी पटरी मेल नहीं खाती, लिहाजा यह जुगलबंदी नहीं बन पा रही है। गंगा नदी का सही इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारें गंगा के लिए चिकित्सक ढूंढते समय अपना और पराया देखती हैं।

गंगा को स्वच्छ बनाने पर सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वह रकम एक तरह से बर्बाद ही कही जाएगी। कोई भी जल संशोधन संयंत्र ठीक से नहीं चल रहा है। सभी संयंत्रों के स्थान चयन में भी गड़बड़ हुई है। शायद संयंत्र स्थापना में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जहाँ संयंत्र लग सकता है वहाँ घाट बनाए जा रहे हैं। घाटों का निर्माण भी वैज्ञानिक तरीकों से गलत है। इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती यदि उनके साथ सख्ती की गई होती तो शायद दूसरे भी मुस्तैदी दिखाते। अधिकारियों के लिए गंगा माई नहीं कमाई है। इसीलिए अधिकारी माई से कमाई करके फल-फूल रहे हैं। एक भी अधिकारी को जेल नहीं भेजा गया। यदि ऐसे कुछ अधिकारियों पर सख्ती कर दी गई होती तो बाकियों की अकल भई ठिकाने आ जाती।

अब गंगा के लिए जहाँ जिस काम की जरूरत है, वहाँ वह काम नहीं होता है। आज गंगा के नाम पर सारा पैसा स्मार्ट सिटी के तहत एसटीपी बनाने और घाटों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। यह तो शहरों का काम है गंगा का नहीं। जो अधिकारी इस मुहिम में लगे हैं उन्हें प्रधानमंत्री सीधे दंडित करें। वहीं गंगा को अविरल-निर्मल बनाने वाले की दिशा में काम करने के लिए सक्षम और समर्पित लोगों को जुटाकर गंगा के काम में लगाए। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का पहला काम संसद में कानून पास करना है। इस कानून का प्रारूप सरकार के पास मौजूद है। इस गंगा कानून को सभी दल पारित कराने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन भारत सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।

मानसून सत्र में यह अभी तक पेश नहीं हुआ है जबकि इसका प्रारूप सरकार के पास तैयार है। शायद मंत्रालय के अधिकारी यह प्रारूप मंत्री को नहीं सौंप रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। गंगा एवं राष्ट्र हित में अपना फर्ज निभाएं। सरकार को गंगा की संवेदनाओं को समझकर अविरलता-निर्मलता सुनिश्चित करने वाला एक अधिनियम बनाना चाहिए तभी प्रो. जी.डी. अग्रवाल के प्राण बचेंगे।

गंगा जल विशिष्टता को संरक्षण प्रबंधन में अनदेखी और देरी करने वाले को जेल हो। गंगा के प्रवाह को समझे बिना गंगा के किनारों पर जो घाट बने हैं उनसे गंगा के प्रवाह में बाधाएं पैदा हुई हैं। जलशोधन के नाम पर बन रहे शोधन संयंत्रों में मल-जल को संयंत्र तक पहुंचाने की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण वह पहले की ही तरह गंगा में जाता है। एक तरफ संयंत्र बनाने, दूसरी तरफ पाइप लाइन बिछाने और तीसरी तरफ संयंत्र को चलाने वाली व्यवस्था पर जो खर्च होता है उसे उठाने के लिए स्थानीय तंत्र तैयार नहीं होता। उसमें भयावह तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इससे गंगा कार्यों में सफलता नहीं मिली है।

गंगा को निर्मल बनाने का काम देश के बड़े नेताओं को असंभव लगने लगा है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले गंगा को अपनी प्राथमिकता बताया था, लेकिन अब उन्होंने गंगा का नाम लेना बंद कर दिया है। गंगा का बीओडी और सीओडी का स्तर बढ़ गया है। उसे ठीक करने के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो गंगा के लिए पूरी तरह समर्पित हो।

वाली पीठ ने गुरुवार को गंगा की सफाई को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि इन हालात में सुधार के लिये नियमित निगरानी की जरूरत है। सफाई के लिये प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति जावेद रहीम और आर.एस. राठौड़ की खंडपीठ का कहना था कि गंगा की वास्तविक दशा सुधारने के लिये जमीनी स्तर पर लोगों की राय ली जानी चाहिए। यह राय संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के जरिये भी भेजी जा सकती है। इससे पहले एनजीटी ने गोमुख से उन्नाव के बीच गंगा नदी की सफाई के लिये केंद्र, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर निपटारा रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की खिंचाई की। एनजीटी ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि अब तक गंगा की सफाई सात हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद गंगा पर्यावरण के लिये चुनौती बनी हुई है।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार ने जोरशोर से गंगा के उद्धार के दावे किये थे। योजना के नये नामकरण 'नमामि गंगे' व अलग मंत्रालय तथा बड़े बजट के प्रावधानों के बावजूद यदि गंगा की दुर्दशा कम नहीं हुई तो कहीं न कहीं व्यवस्था के तौर-तरीकों और सत्ताधीशों की नीतियों में खोट जरूर है। इससे पहले एनजीटी की पहल पर गंगा को चार क्षेत्रों में बांटकर स्वच्छता अभियान को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा गंगा की धारा के सौ मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित करके ग्रीन बेल्ट बनाने का भी प्रावधान था। साथ की पांच सौ मीटर के दायरे में कूड़ा डालने पर जुर्माने व सजा का प्रावधान किया गया। मगर इसके बावजूद गंगा की दशा में कोई खास बदलाव नहीं आया। यहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि आप गंगा को गंदा करना बंद कीजिये, वह शुद्ध व निर्मल तो अपने आप हो जायेगी। दरअसल, गंगा के प्रदूषित होने के मूल में जहाँ शासन-प्रशासन की अकर्मण्यता है वहीं लोगों का स्वच्छता के प्रति जागरूक न होना भी है। कई दशकों पहले शहरों के गंदे नालों को सीधे गंगा की तरफ मोड़ देने तथा औद्योगिक इकाइयों की आपराधिक लापरवाही ने समस्या को जटिल बना दिया है, जिसको रोकने के लिये सख्त कानून व दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है।

GS World टीम...

सारांश

- पिछले बारह वर्षों से प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल 'संत स्वामी सानंद' गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर हैं। स्वामी सानंद खुद एक पर्यावरणविद और इंजीनियर रहे हैं। डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक वे आइआइटी-कानपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी के प्रोफेसर रहे।
- इस दिशा में अब तक प्रगति सिर्फ इतनी हो पाई कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बना दी थी।
- चार साल पहले 'नमामि गंगे' नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना शुरू की गई थी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 2037 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके बाद केंद्र ने सात जुलाई, 2016 को नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी और गंगा नदी को संरक्षित और स्वच्छ करने के काम पर अगले पांच साल में बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही।
- पिछले साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आबंटित किए गए 2600 करोड़ रुपए से अधिक का सरकार उपयोग ही नहीं कर सकी। यह वह पैसा था जो 31 मार्च 2017 तक खर्च होना था।
- नैनीताल हाईकोर्ट अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कह भी चुका है कि गंगा और यमुना को अब जीवित प्राणी माना जाएगा और उनको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलेगा।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा तट से पांच सौ मीटर की दूरी तक कचरा डालने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने गुरुवार को दिए एक विस्तृत फैसले में केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह गंगा सफाई अभियान पर अब और पैसा खर्च न करे। फैसले का त्रासद पहलू यह भी है कि सुनवाई पूरी होने में इकतीस साल से ज्यादा का वक्त लग गया।
- एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव तक सौ मीटर की दूरी को 'नो-डेवलपमेंट जोन' घोषित करते हुए पांच सौ मीटर की दूरी तक कचरा वगैरह डालने की मनाही की है। यह लंबाई करीब पांच सौ किलोमीटर है। कचरा फेंकने वाले को पचास हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- अधिकरण ने इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। हरिद्वार उत्तराखंड में और उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। दोनों सरकारों से कहा गया है कि वे दो साल के अंदर जलमल शोधन संयंत्र लगा लें तथा जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था कर लें। साथ ही छह महीने के भीतर जाजमऊ के चमड़ा कारखानों को उन्नाव या कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए भी कहा गया है।
- याचिकाकर्ता ने 1985 में यह अपील दाखिल की थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को सुनवाई के लिए भेज दिया था। एनजीटी ने याचिकाकर्ता की सीबीआई या कैग से जांच की मांग पर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना कि इस पर अब तक सात हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुका है।
- गंगा सफाई का काम सबसे पहले राजीव गांधी के कार्यकाल में करीब नौ सौ करोड़ रुपए के बजट से 'गंगा कार्य योजना' नाम से शुरू हुआ था।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई नाम से अब एक अलग मंत्रालय है।

- गंगा दुनिया की दूसरी नदियों से अलग विशिष्टताओं वाली नदी है। गंगा जल विशिष्ट है। आधुनिक भारत में सैकड़ों शोध हुए हैं जिनसे यह विशिष्टता सिद्ध हुई है। जैसे कानपुर से 20 किलोमीटर ऊपर बिठूर से लिए गंगाजल में कॉलिफोर्म नष्ट करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है जो कानपुर के जल आपूर्ति कुएं में आधी रह जाती है और यहाँ के भूजल में यह शक्ति शून्य हो जाती है।
- यह गंगाजल में मौजूद सूक्ष्म कणों (बायोफाज्म) के कारण है। हरिद्वार के गंगा जल में बीओडी को नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता है। इसका क्षय करने वाले तत्वों का सामान्य जल से 16 गुना अधिक है।
- यह हिमालय की वनस्पतियों से आए अंशों के कारण संभव है। भागीरथी के जल में धातुओं के एक विशिष्ट मिश्रण की शक्ति का पता चला है। ऐसा मिश्रण संसार में अभी तक कहीं नहीं मिला है।
- टिहरी बांध से ऊपर गंगा जल में जिन विशेष तत्वों की मौजूदगी थी वे अब गाद के साथ पीछे बैठ गए और बांध के नीचे आने वाले जल में कोलीफॉर्म नाशक या सड़न नाशक क्षमता शून्य रह गई है।
- 2017 में गंगा के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि ऊपरी गंगा गाद में बीसों रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। इसमें 18 रोगाणु प्रजातियां जिनमें टीबी, हैजा, पेट की बीमारियां और टाइफाइड शामिल है। गंगा जल की ये सभी विशेषताएं पहले गढ़मुक्तेश्वर तक कुछ अंशों में मिलती थीं, लेकिन अब उद्योगों से निकले रासायनिक कचरे के कारण हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के जल में अब काफी समानताएं देखने को मिलती हैं।

गंगा

- गंगा भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है। गंगा, भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2,510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग एक-चौथाई भू-क्षेत्र को प्रवाहित होती है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड भी कहा गया है।
- गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में इसमें आकर अलकनंदा नदी आकर मिलती है जिसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है इसके बाद यह प्रथम बार हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है
- हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं - यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी आदि नदी है।
- प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, केन, सिंध, बेतवा हैं, जो यमुना में मिल जाती है इसके बाद यमुना इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। दक्षिण से निकलने वाली सोन नदी गंगा की एकमात्र उत्तरमुखी नदी है।
- गंगा नदी में बाएँ तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बँट जाती है, भागीरथी हुगली (जो इसकी एक वितरिका है) दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद् नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
- बहुत से पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुये हैं जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है।
- सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवम्बर, 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच (1600 किलोमीटर) गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।
- गंगा अपनी उपत्यकाओं (घाटियों) में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग तो करती ही है, यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के बारहमासी स्रोत भी हैं। इन क्षेत्रों में उगायी जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यत: धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवम् गेहूँ हैं।
- गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जन-जीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इनमें प्रमुख हैं– फरक्का बांध, टिहरी बांध, तथा भीमगोडा बांध।
- फरक्का बांध (बैराज) भारत के पश्चिम बंगाल प्रान्त में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद (सिल्ट) से मुक्त कराने के लिए किया गया था
- दूसरा प्रमुख टिहरी बांध, टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखण्ड प्रान्त के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है।
- भीमगोडा बांध हरिद्वार में स्थित है जिसको सन् १८४० में अंग्रेजों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर में मोड़ने के लिए बनवाया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोडा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. 'गंगा' नदी को जीवित प्राणी का दर्जा किसने दिया है?
   (a) सर्वोच्च न्यायालय
   (b) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
   (c) भारत सरकार
   (d) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (उत्तर-B)

2. गंगा नदी प्रथम बार मैदान में कहाँ पर प्रवेश करती है?
   (a) हरिद्वार (b) देवप्रयाग
   (c) कर्णप्रयाग (d) रूद्रप्रयाग
   (उत्तर-A)

3. निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है?
   (a) रामगंगा (b) गोमती
   (c) घाघरा (d) चंबल
   (उत्तर-D)

4. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है?
   (a) कोसी (b) केन
   (c) बेतवा (d) सोन
   (उत्तर-A)

5. दशकों से कई योजनाओं एवं हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद गंगा-नदी की सफाई असफल रही है। समीक्षा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण (बायोरेमीडिएशन) तकनीक के कौन-कौन से लाभ है/हैं?
   1. यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव-निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्द्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है।
   2. कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है।
   3. जैवोपचारण के लिए विशेषत: अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी (जेनेजिटक इंजीनियरिंग) का उपयोग किया जा सकता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-C)

2. जैव ऑक्सीजन माँग (BOD) किसके लिए एक मानक मापदण्ड है?
   (a) रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए
   (b) वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए
   (c) जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए
   (d) उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-C)

3. निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है?
   (a) खारे पानी की मगरमच्छ
   (b) ओलिव रिडले कछुआ
   (c) गंगा नदी की डॉल्फिन
   (d) घड़ियाल
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-C)

4. यहाँ एक चिंता है कि भारत के नदी-जल में हानिकारक शैवाल-प्रस्फूटन बढ़ा है। इस प्रक्रिया का कारक क्या हो सकता है?
   1. ज्वारनदमुख से पोषकों का रिसाव
   2. मानसून के दौरान भूमि से बहाव
   3. समुद्रों का उमड़ना (अपवेलिंग)

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2011, उत्तर-A)

5. भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। स्पष्ट कीजिए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2016)

6. भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए, नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अवशेषों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान हैं?
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

7. नमामी गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.सी.जी.) कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन-सी प्रमात्र छलांगे, क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज्यादा सहायक हो सकती है?
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2015)

GS World
Committed To Excellence

वर्तमान दौर में नाटो की प्रासंगिकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

शीत-युद्ध के समय में सक्रिय रहे नाटो के बजट के प्रावधान में शिरकत करने पर बहस जारी है। अमेरिका अकेले 50 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान नाटो के कुल बजट में देता है, वहीं यूरोपीय राष्ट्र अपनी घोषित हिस्सेदारी भी नहीं देते। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'अमर उजाला', 'हिन्दुस्तान' और 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

खतरे में पश्चिमी गठबंधन (अमर उजाला)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच पश्चिमी गठबंधन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व करते हुए अमेरिका ने सत्तर वर्ष से ज्यादा समय तक उदार विश्व व्यवस्था को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। हालांकि यह विश्व व्यवस्था हमेशा उदार नहीं रही, और कई बार इसने व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था ही पैदा की।

बड़े पैमाने पर यूरोपीय शक्तियों से लैस 29 नाटो सदस्य देशों ने साम्यवाद के प्रसार और सोवियत साम्राज्य के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए यह गठबंधन बनाया, जो अमेरिका के वित्तीय और सैन्य समर्थन के चलते बना रहा। भले यह अस्तित्व के संकट से नहीं जूझ रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते चरमरा रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन का मुख्य खिलाड़ी अमेरिका अब मुफ्त में यूरोप को सुरक्षा देने को अनिच्छुक है। जाहिर है, डोनाल्ड ट्रंप नोबेल विजेता मिल्टन फ्रीडमैन के मंत्र का अनुपालन करते हैं-मुफ्त जैसी कोई चीज नहीं होती।

अतीत में भी अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद रहे हैं, आइजनहावर के नेतृत्व में अमेरिका ने 1956 में स्वेज नहर पर फ्रेंच-ब्रिटिश-इजरायली हमले का विरोध किया था और जर्मनी व फ्रांस ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का खुलेआम विरोध किया था। प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं मानती हैं कि 2008-09 में पूरी दुनिया को अपने घेरे में लेने वाली आर्थिक मंदी अमेरिका की गलत वित्तीय नीति का परिणाम थी। तो फिर इसमें नया क्या है? नयापन मतभेद को जाहिर करने के तरीके और उसकी तीव्रता में है, राजनयिक तौर-तरीकों का पालन करने से हटने और चौराहे पर गंदे कपड़े साफ करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हाल ही में कनाडा में संपन्न हुआ जी-7 सम्मेलन इसकी पूरी कहानी बयान करता है।

अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने सोवियत साम्राज्य के पतन के बाद नाटो को 'जर्जर' एवं 'अप्रासंगिक' बताया था। हैरानी की बात नहीं कि उनका ट्वीट नाटो सहयोगियों के लिए बेहद आलोचनात्मक है। उन्होंने नाटो सहयोगियों को 'मुफ्तखोर' बताया, जो रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का दो फीसदी खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते हैं। इसी तरह से उन्होंने यूरोपीय संघ की आलोचना की, जो अमेरिका के साथ व्यापार में 137 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिशेष का फायदा उठाता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के खिलाफ बाधाएं बढ़ाता है।

जर्मनी ने यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह पर्यावरणीय आधार पर अपने कोयला और परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिए हैं, लेकिन इसकी

यहाँ से निकल सकती है नई राह (हिन्दुस्तान)

शीत युद्ध के बाद क्या विश्व-व्यवस्था एक नए बदलाव का गवाह बनने जा रही है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की एक सार्थक मुलाकात हुई है। इस 'वन टु वन टॉक' का पूरा ब्योरा तो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, पर जितनी बातें फिनलैंड के राष्ट्रपति भवन से छनकर बाहर आई हैं, उनसे यही लगता है कि दोनों नेता एक स्थिर विश्व की दिशा में काम करना चाहते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर बैठक में खासतौर से चर्चा हुई होगी, जिसकी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक शुरू होने से पहले ही इशारा किया था। चूंकि परमाणु हथियारों का करीब 90 फीसदी जखीरा इन्हीं दोनों देशों के पास है, इसलिए अगर दोनों देश इसे थामने को लेकर एक राय बना पाए, तो निश्चय ही वैश्विक शांति की दिशा में यह मुलाकात मील का पत्थर साबित होगी। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकवाद से निपटने और मध्य-पूर्व (भारत के लिए पश्चिम एशिया) में सीरिया जैसे देशों की अस्थिरता को खत्म करने के लिए भी लेकर दोनों नेता संजीदा हैं। यह खबर हमारे लिए भी सुखद है, क्योंकि इन मसलों से नई दिल्ली भी जूझ रही है।

इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें यूं ही नहीं लगी थीं। माना जा रहा था कि इसमें क्रीमिया और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मसला उठेगा, जिनकी वजह से वाशिंगटन और मॉस्को के रिश्ते हाल के वर्षों में बिगड़े हैं। क्रीमिया का तनाव तब बढ़ा था, जब रूस ने 2014 में उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। मॉस्को पर साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप भी हैं। मगर ट्रंप ने रूस के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में आई गिरावट की वजह किसी राष्ट्रपति चुनाव या क्रीमिया को नहीं, बल्कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को माना है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? मेरा मानना है कि इसकी वजह यूरोपीय देश हैं, जिनके अंदर उथल-पुथल का दौर जारी है। यूरोपीय संघ के कारण इटली, यूनान जैसे देशों की आर्थिक हालत काफी बिगड़ गई है। वे नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में अपनी आर्थिक भागीदारी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं, जबकि शीत युद्ध के बाद से नाटो का लगातार विस्तार हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नाटो में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी कमजोर हो रही है और एक गठबंधन के रूप में वे बंट-से गए हैं। ऐसे में, अमेरिका पर भार बढ़ गया है, जिसके खिलाफ घरेलू मोर्चों पर आवाजें उठने लगी हैं। ट्रंप भी इसका

GS World
Committed To Excellence

अनदेखी करते हुए ट्रंप ने उसे रूस का गुलाम बताते हुए हमला किया कि 'हम जर्मनी की रक्षा करते हैं, हम फ्रांस की रक्षा करते हैं, हम यूरोपीय संघ के सभी देशों की रक्षा करते हैं और फिर इनमें से कई देश बाहर जाते हैं और रूस के साथ पाइपलाइन सौदे करते हैं तथा रूस के खजाने में अरबों डॉलर भुगतान करते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित है।'

वह रूसी गैस आयात करने के लिए 11 अरब अमेरिकी डॉलर के बाल्टिक सागर पाइपलाइन का जिक्र कर रहे थे। हालांकि नाटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया कि 2017 में नाटो सदस्यों द्वारा रक्षा व्यय में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, वे रक्षा पर अपनी जीडीपी का चार फीसदी खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसकी मांग ट्रंप ने की है।

ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर डोनाल्ड टस्क, और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने याद दिलाया, 'यूरोपीय संघ की तुलना में अमेरिका के पास बेहतर सहयोगी नहीं है और न होगा। हम रूस और चीन से कहीं ज्यादा रक्षा पर खर्च करते हैं। प्रिय अमेरिका, अपने सहयोगियों की प्रशंसा करें, आपके पास बहुत सहयोगी नहीं हैं।' इसके जवाब में ट्रंप ने एक ठेठ ट्वीट किया-नाटो देशों को ज्यादा भुगतान करना होगा और अमेरिका को कम भुगतान करना होगा।

ओबामा के जोरदार प्रयासों, सावधानीपूर्वक बातचीत और राजनयिक कौशल ने शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को मनाया और सीओपी 21 पेरिस समझौता अक्तूबर 2015 में हुआ। अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों समेत 195 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अरबपति व्यापारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका के लिए अनुचित था और समझौते से बाहर निकल गया।

ईरान परमाणु सौदे जेसीपीओए (संयुक्त व्यापक कार्रवाई की योजना) को अमेरिका, ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी के बीच श्रमसाध्य समझौता किया गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया और उस पर फिर से मजबूत प्रतिबंध लगाकर अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए इजरायली लॉबी को खुश किया।

अमेरिकी दूतावास को येरूशलम स्थानांतरित करने के ट्रंप के फैसले की यूरोपीय सहयोगियों ने अनदेखी कर दी। ईरान और रूस से सौदा करने वाले तीसरे देशों के खिलाफ प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने का ट्रंप का फैसला भारत समेत कई देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। कई लोग ट्रंप पर मित्रों और दुश्मनों के बीच अंतर करने में विफल होने, मानवाधिकारों और मानवीय चिंताओं की अनदेखी करने और संकीर्ण आर्थिक और सुरक्षा हितों पर विदेशी नीति पर ध्यान केंद्रित करने में विफल होने का आरोप लगाते हैं।

क्या यह अमेरिका-यूरोपीय आर्थिक संबंधों के लिए आत्मघाती नहीं होगा? यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में कुल एफडीआई का 63 फीसदी निवेश करती हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय देशों में कुल एफडीआई का 50 फीसदी निवेश करती हैं। ये निवेश मिलकर अमेरिका और यूरोप में चालीस लाख रोजगार पैदा करते हैं। स्वघोषित स्थायी जिनियस ट्रंप क्या पश्चिमी गठबंधन की यह बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते? समर्थन कर चुके हैं।

वैसे अमेरिका की मौजूदा व्यवस्था की एक सच्चाई यह है कि कई मामलों में राष्ट्रपति ट्रंप और वहाँ के सत्ता-प्रतिष्ठान की राय बिल्कुल अलग होती है। यूरोपीय नीति को लेकर भी मसला कुछ ऐसा ही है। अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान यूरोपीय गठबंधन की दोबारा मजबूती चाहता है; फिर चाहे कारोबारी रिश्ता आज जैसा ही क्यों न हो। मगर ट्रंप इसके खिलाफ रहे हैं। दूसरी तरफ, यूरोप भी अपने तरीके से रूस और ईरान के साथ संबंध बनाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि सर्दी के महीनों में यूरोप को तेल और गैस की ज्यादा जरूरत होती है। लिहाजा वह भी इन देशों के साथ अपने संबंध बिगड़ने देने के पक्ष में नहीं है। उसके लिए रूस और ईरान, दोनों महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाते हैं।

एक मसला मध्य-पूर्व यानी पश्चिम एशिया भी है। वहाँ की स्थिरता अमेरिका के लिए काफी मायने रखती है। रूस का सीरिया में बेस है, जबकि वहाँ ऐसे आतंकी समूह भी सक्रिय हैं, जो पश्चिम एशिया को अस्थिर कर सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पश्चिम एशिया में और अधिक उथल-पुथल न बढ़े। वह आतंकवाद के मसले पर एक समग्र बातचीत के पक्षधर दिखे, जो न सिर्फ पश्चिम के नजरिये से हो, बल्कि उसमें रूस के दृष्टिकोण को भी पर्याप्त जगह मिले। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी नए रिश्ते बनाने की कोशिश में ट्रंप दिखते हैं।

इस मुलाकात के बहाने सिंगापुर से आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई है। सिंगापुर में पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम-जोंग-उन की मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि उत्तर कोरिया को मुख्यधारा में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक ट्रंप की चीन व रूस के साथ एशिया के अन्य देशों के साथ इस मसले पर फैसलाकुन बातचीत न हो जाए। इसका मतलब यह भी है कि ट्रंप पारंपरिक नजरिये से अलग हटकर चीजों को नए चश्मे से देखना चाहते हैं, जिसमें जाहिर तौर पर कई चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें घरेलू चुनौतियों से जूझना होगा, जो आसान काम नहीं है। हालांकि ट्रंप जिस रवैये के लिए जाने जाते हैं, उसमें अभी कुछ भी ठोस रूप से कहना गलत होगा।

रूस ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड की मेजबानी करके मौजूदा तनातनी को काफी नरम करने का काम किया है। उसने न सिर्फ मुफ्त वीजा की पेशकश की, बल्कि वीजा आगे बढ़ाने जैसी उदारता भी दिखाई। यही नहीं, सबके सत्कार पर भी उसने पर्याप्त ध्यान दिया। लगे हाथ पुतिन ने 'फुटबॉल डिप्लोमेसी' के तहत 2026 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के अमेरिकी दावे का समर्थन भी किया।

साफ है, एक नए संबंध की शुरुआत हो चुकी है। इसका एशिया, खासतौर से पश्चिम एशिया पर खासा असर पड़ेगा। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम अमेरिका, रूस और चीन के बीच नए रिश्ते बनते देखें, जिनका हमें भी फायदा होगा। अमेरिका-रूस तल्खी की वजह से ही मास्को की निकटता बीजिंग (चीन) से बढ़ चली थी, जिसका लाभ पाकिस्तान को मिल रहा था। यह हमारे लिए चिंता की बात थी। उम्मीद है, अब अमेरिका और रूस के रिश्तों में आई नई गरमाहट पाकिस्तान सहित उन तमाम चुनौतियों से पार पाने में मददगार होगी, जो हमारे लिए परेशानी का सबब रही हैं।

Committed To Excellence

नाटकीय सद्भाव (नवभारत टाइम्स)

हेलसिंकी में सोमवार को हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की शिखर वार्ता आश्चर्यजनक रूप से सौहार्द्रपूर्ण रही। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश, जिन्हें लंबे समय से एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा है और जो दुनिया में कई मोर्चों पर आज भी एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों, उनके प्रमुख मिलें और सारे मतभेद भुलाकर दोस्ती की वकालत करें तो विश्व शांति के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दिक्कत बस यही है कि इस दोस्ती को संभव बनाने के लिए कोई ठोस कूटनीतिक प्रयास अब तक दोनों ओर से शुरू भी नहीं हो पाए हैं। मुलाकात से ठीक पहले तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शिखर वार्ता इस कदर गर्मजोशी भरी रह सकती है। तमाम नाटकीयता के बावजूद इस बातचीत में किसी भी सवाल पर दोनों पक्षों की कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं उभर कर सामने आई है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों में किसी मामले को लेकर असहमति कम हुई या सहमति बढ़ी। इसका कारण यह है कि टकरावाले मसले उठाए ही नहीं गए। डॉनल्ड ट्रंप ने यह जरूर माना कि हाल में रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे बुरे रूप में नजर आए, लेकिन इसका ठीकरा उन्होंने अपने ही देश की 'बेवकूफाना नीतियों' पर फोड़ा। रूस के लिए इससे बेहतर कोई और बात हो ही नहीं सकती। क्रीमिया पर रूसी कब्जे का सवाल हो या यूक्रेन सीमा पर रूसी फौज के जमाव का, या ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूसों को जहर देकर मारे जाने का- ऐसी कोई भी बात ट्रंप की जुबान पर नहीं आई, जिससे पुतिन जरा सी भी असुविधा महसूस करते। साफ है कि मुलाकात को सद्भावपूर्ण बनाने की पूरी जिम्मेदारी ट्रंप ने अपने कंधों पर उठा रखी थी।

अमेरिका के अंदर और बाहर उनके इस अतिशय उदार रुख को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा संदर्भों तक ही सीमित रहें तो उनका यह रुख यूरोपीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है, जिसे वार्ता से ठीक पहले उन्होंने अपना 'एनमी नंबर वन' बताया। पिछले हफ्ते नाटो शिखर सम्मेलन में वह इस बात पर रौद्र रूप धारण किए हुए थे कि मित्र देश रक्षा पर कम खर्च कर रहे हैं। ट्रंप के इस रवैये का और चाहे जो भी मतलब हो, साल के शुरू में घिरे हुए लग रहे पूतिन का कूटनीतिक कद उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है।

GS World टीम...

सारांश

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच पश्चिमी गठबंधन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व करते हुए अमेरिका ने सत्तर वर्ष से ज्यादा समय तक उदार विश्व व्यवस्था को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की।
- यूरोपीय शक्तियों से लैस 29 नाटो सदस्य देशों ने साम्यवाद के प्रसार और सोवियत साम्राज्य के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए यह गठबंधन बनाया, जो अमेरिका के वित्तीय और सैन्य समर्थन के चलते बना रहा।
- भले यह अस्तित्व के संकट से नहीं जूझ रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते चरमरा रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन का मुख्य खिलाड़ी अमेरिका अब मुफ्त में यूरोप को सुरक्षा देने को अनिच्छुक है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल विजेता मिल्टन फ्रीडमैन के मंत्र का अनुपालन करते हैं-मुफ्त जैसी कोई चीज नहीं होती।
- आइजनहावर के नेतृत्व में अमेरिका ने 1956 में स्वेज नहर पर फ्रेंच-ब्रिटिश-इजरायली हमले का विरोध किया था और जर्मनी व फ्रांस ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का खुलेआम विरोध किया था।
- प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं मानती हैं कि 2008-09 में पूरी दुनिया को अपने घेरे में लेने वाली आर्थिक मंदी अमेरिका की गलत वित्तीय नीति का परिणाम थी।
- अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने सोवियत साम्राज्य के पतन के बाद नाटो को 'जर्जर' एवं 'अप्रासंगिक' बताया था। उन्होंने नाटो सहयोगियों को 'मुफ्तखोर' बताया, जो रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का दो फीसदी खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते हैं। इसी तरह से उन्होंने यूरोपीय संघ की आलोचना की, जो अमेरिका के साथ व्यापार में 137 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिशेष का फायदा उठाता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के खिलाफ बाधाएं बढ़ाता है।
- जर्मनी ने यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह पर्यावरणीय आधार पर अपने कोयला और परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिए हैं
- ओबामा के जोरदार प्रयासों, सावधानीपूर्वक बातचीत और राजनयिक कौशल ने शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को मनाया और सीओपी 21 पेरिस समझौता अक्तूबर 2015 में हुआ। अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों समेत 195 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अरबपति व्यापारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका के लिए अनुचित था और समझौते से बाहर निकल गया।
- ईरान परमाणु सौदे जेसीपीओए (संयुक्त व्यापक कार्रवाई की योजना) को अमेरिका, ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी के बीच श्रमसाध्य समझौता किया गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था।
- ईरान और रूस से सौदा करने वाले तीसरे देशों के खिलाफ प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने का ट्रंप का फैसला भारत समेत कई देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।

- यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में कुल एफडीआई का 63 फीसदी निवेश करती हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय देशों में कुल एफडीआई का 50 फीसदी निवेश करती हैं। ये निवेश मिलकर अमेरिका और यूरोप में चालीस लाख रोजगार पैदा करते हैं।
- फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की एक सार्थक मुलाकात हुई है। इस 'वन टु वन टॉक' का पूरा ब्योरा तो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- चूंकि परमाणु हथियारों का करीब 90 फीसदी जखीरा इन्हीं दोनों देशों के पास है, इसलिए अगर दोनों देश इसे थामने को लेकर एक राय बना पाए, तो निश्चय ही वैश्विक शांति की दिशा में यह मुलाकात मील का पत्थर साबित होगी।
- सिंगापुर में पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन की मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि उत्तर कोरिया को मुख्यधारा में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक ट्रंप की चीन व रूस के साथ एशिया के अन्य देशों के साथ इस मसले पर फैसलाकुन बातचीत न हो जाए।
- रूस ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड की मेजबानी करके मौजूदा तनातनी को काफी नरम करने का काम किया है। उसने न सिर्फ मुफ्त वीजा की पेशकश की, बल्कि वीजा आगे बढ़ाने जैसी उदारता भी दिखाई। पुतिन ने 'फुटबॉल डिप्लोमेसी' के तहत 2026 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के अमेरिकी दावे का समर्थन भी किया।

नाटो

- उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन (नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो)) एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नार्वे, आइसलैंड तथा लक्जमबर्ग) द्वारा वाशिंगटन संधि (उत्तर अटलांटिक संधि) पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप हुई।
- संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।
- इसका मुख्यालय हररेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, इसका एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय मोन्स के पास है, नाटो की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है।
- गठन के शुरुआत के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था। लेकिन कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और दो अमरीकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशानिर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई।
- नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15 % खर्च करते हैं।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुल्टन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएँ अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके।
- नाटों का उद्देश्य 'स्वतंत्र विश्व' की रक्षा के लिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया, यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना। पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना।

इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है:

1. **परिषद :** यह नाटों का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद् का मुख्य उत्तरायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है।
2. **उप परिषद् :** यह परिषद् नाटों के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद् है। ये नाटो के संगठन से सम्बद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं।
3. **प्रतिरक्षा समिति :** इसमें नाटों के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा, रणनीति तथा नाटों और गैर नाटों देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है।
4. **सैनिक समिति :** इसका मुख्य कार्य नाटों परिषद् एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
   (a) बेल्जियम
   (b) बर्लिन
   (c) न्यूयार्क
   (d) पेरिस

(उत्तर-A)

2. नाटो के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है?
   (a) 26
   (b) 27
   (c) 29
   (d) 30

(उत्तर-C)

3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक-
   (a) आर्थिक संगठन है।
   (b) सैन्य संगठन है।
   (c) व्यापार संगठन है।
   (d) सामाजिक संगठन है।

(उत्तर-B)

4. नाटो के कुल बजट में से कितने प्रतिशत का योगदान अमेरिका द्वारा दिया जाता है?
   (a) 25 प्रतिशत
   (b) 50 प्रतिशत
   (c) 15 प्रतिशत
   (d) 35 प्रतिशत

(उत्तर-B)

6. वर्तमान समय में नाटो जैसे समूहों की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. 'New START' संधि खबरों में थी। यह संधि क्या है?
   (a) यह एक द्विपक्षीय सामरिक परमाणु हथियारों में कमी के लिए यू.एस.ए. और रूसी संघ के बीच संधि है।
   (b) यह एक बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है, जो पूर्वी एशिया समिट के सदस्यों के बीच है।
   (c) यह रूसी संघ एवं यूरोपीयन यूनियन के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग के लिए संधि है।
   (d) यह एक बहुपक्षीय सहयोग संधि है जो ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए है।

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2011, उत्तर-A)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. नार्थ एटलांटिक को-ऑपरेशन काउंसिल (एन.ए.सी.सी.) नए संगठन का नाम है जिसने नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (एन.ए.टी.ओ.) की जगह ली।
   2. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम नाटो के सदस्य बने थे, जब 1949 में इसका गठन हुआ।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 2
   (d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-B)

3. 'चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।' इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2017)

हिन्दू, पाकिस्तान की अवधारणा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन प्रणाली) से संबंधित है।

हाल ही में शशि थरूर ने हिन्दू-पाकिस्तान की अवधारणा के संबंध में भारत में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वरूपों एवं आयामों को समझे जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'प्रभात खबर', 'राष्ट्रीय सहारा', 'बिजनस स्टैंडर्ड', 'अमर उजाला' और 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

शशि थरूर : 'बीच बहस में' (प्रभात खबर)

चरम स्वीकार-अस्वीकार के इस दौर में विचार-बहस, तर्क-वितर्क, संवाद-परिसंवाद के लिए अब बहुत कम जगह बच रही है। भारतीय विश्वविद्यालयों को बौद्धिक बहसों और संवादों से दूर किया जा रहा है।

स्वतंत्र-स्वायत्त संस्थाओं में भी पहले की तरह का बौद्धिक वातावरण नहीं है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ पर प्रहार किया जा रहा है। तर्क और तथ्य को, धैर्य और सहिष्णुता को शोर और हंगामे से खत्म किया जा रहा है। यह माहौल एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए सर्वाधिक हानिकारक और चिंताजनक है।

शशि थरूर ने 11 जुलाई को तिरुअनंतपुरम में 'इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म' पर अपने भाषण में भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनने-बनाने की एक संभावना प्रकट की। पिछले वर्ष 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में राज्यसभा में सेकुलर भारत को शक्तिशाली बनाने की बात कही थी, न कि भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनाने की।

'हिंदू पाकिस्तान' मुहावरे के प्रयोग का श्रेय सीताराम येचुरी को जाता है। साल 2017-18 के पहले 'हिंदू पाकिस्तान' मुहावरे का प्रयोग क्या किसी ने किया था। क्यों नहीं किया था, जबकि 19वीं सदी के अंत से दशकों बाद तक 'हिंदू राष्ट्र' का प्रयोग किया जाता रहा है?

सर्वप्रथम 19वीं सदी में राजनारायण बसु (7 सितंबर, 1826-18 सितंबर, 1899) (अरबिंदो घोष के नाना) ने 'हिंदू राष्ट्र' को नींद से जागने की बात कही थी। साल 1899 में ही लाला लाजपत राय (28 जनवरी, 1865-17 नवंबर, 1928) ने हिंदुओं को अपने आप में एक 'राष्ट्र' बताया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म (1925) के एक वर्ष पहले (1924) में 'संयुक्त भारत' की बात न कहकर 'हिंदू और मुस्लिम इंडिया' की बात कही थी।

संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार (1 अप्रैल, 1889-21 जून, 1940) के गुरु बालकृष्ण शिवराम मुंजे (12 दिसंबर, 1872-3 मार्च, 1948) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के दो वर्ष पहले 1923 में स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और जर्मन नागरिकों का देश है, उसी प्रकार भारत हिंदुओं का देश है। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी धार्मिक राष्ट्र नहीं हैं, जबकि भारत को धार्मिक राष्ट्र के रूप में देखने का चलन पुराना है।

बीडी ग्राहम ने 'हिंदू नेशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स' (1993, पृष्ठ-11) में नाथूराम गोडसे के 'हिंदू राष्ट्र दल' से जुड़े होने की बात कही है। साल 1943 में 'हिंदू राष्ट्र दल' के गठन की बात वाल्टर के एंडरसन और श्रीधर डी डामले ने अपनी पुस्तक 'द ब्रदरहुड इन सैफरन' (1943) के पृष्ठ 43 पर कही है।

धर्मनिरपेक्षता की होगी परीक्षा (राष्ट्रीय सहारा)

हाल में अमय सेन ने अपने एक साक्षात्कार में-जिसमें उन्होंने मोदी के चार साल को तेजी से विकासमान भारत के पूरी तरह से उल्टी दिशा में एक लंबी छलांग बताया है-एक महत्त्वपूर्ण बात कही कि 2019 के चुनाव में भारत का अपना सत्य दांव पर होगा, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक भारत का सत्य। इसे दार्शनिक भाषा में कहें तो 2019 का चुनाव भारत की सभी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों के सारे भेदाभेद के उपरांत धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक भारत के अभेद सत्य की प्राप्ति का चुनाव होगा। इसमें व्यक्तिगत या दलगत, दूसरी किसी भी आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। जो लोग चुनावी गणित या ज्योतिषी फलन की तरह की अटकलबाजियों में इस चुनाव के सत्य को, इसके द्वंद्व के अभेद को धुंधलाते हैं, इसे व्यक्तियों की महत्त्वाकांक्षाओं से जोड़ कर देखते या दिखाने की कोशिश करते हैं, आप बेधड़क कह सकते हैं कि अगर वे अपने को धर्मनिरपेक्ष और जनतंत्रवादी मानते हैं तो धर्मनिरपेक्ष भारत की नहीं, किसी-न-किसी रूप में शत्रु पक्ष की ही सेवा कर रहे होते हैं। भारत में संसदीय चुनाव के अवसरों पर हमने पहले भी बार-बार कहा है कि इनमें कभी नव-उदारवाद (अर्थात आज के युग का पूंजीवाद) चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता है। यह संसदीय जनतंत्र के अपने जगत का एक अभिन्न सत्य, उसकी नियंतग्रता है। इसमें किसी भी प्रकार के ''समाजवादी' प्रकार के मुद्दों को सामने लाना चुनाव के असली परिप्रेक्ष्य को गड्ड-मड्ड करने की तरह होता है, जो अंततः इस जगत पर फासीवाद के हमलों के लिए सहायक होता है। आज के अखबारों में सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी के कोलकाता में हुए एक संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट छपी है। अपनी पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी की बैठक के बाद वह संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। इसमें उन्होंने जोर देकर सबसे मार्के की बात यही कही है कि ''देश में धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक संविधान की रक्षा और आम लोगों के जीवन-जीविका में सुधार, यह सब पूरी तरह से मोदी सरकार को खत्म करके ही मुमकिन है। यह बात अब सब लोग समझ रहे हैं कि इस सरकार के रहते देश और जनता की रक्षा नहीं की जा सकती है। सभी राजनीतिक दलों पर मोदी सरकार को खत्म करने के लिए जनमत का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह बहुत तात्पर्यपूर्ण लक्षण है कि पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ जनता की एकता बढ़ रही है और विपक्ष की सभी पार्टियाँ जनमत के इस दबाव को महसूस करने लगी है।' इसमें सीताराम ने बिल्कुल सही, दूसरे किसी भी चुनावी लक्ष्य को शामिल करने, व्यक्तियों और दलों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को तरजीह देने को एक प्रकार का बचकानापन ही बताया है। उन्होंने सही कहा है कि इसके लिए चुनाव के पहले ही किसी प्रकार का महागठबंधन बनना जरूरी नहीं है। अधिक जरूरी है-मोदी की पराजय को सुनिश्चित करना, जिसे हर राज्य की जनता अपने प्रकार से सुनिश्चित करेगी। आज

पाकिस्तान का जन्म धार्मिक आधार पर हुआ था। वर्ष 1947 में भारत धार्मिक देश नहीं बना। गांधी और नेहरू के साथ पटेल की भी दृष्टि ऐसी नहीं थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बनता। पाकिस्तान भी 'टेररिस्तान' बाद में बना है।

धर्म पर आधारित राष्ट्र में बाद में आतंक और हिंसा प्रमुख हो जाती है। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद- किसी ने भी भारत की कल्पना हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं की थी। गोलवलकर-सावरकर के विचारों के विरुद्ध उनके विचार थे। स्वतंत्र भारत में धर्म और जाति की राजनीति प्रमुख होती गयी है। आज भारत में हिंदू धर्म की राजनीति प्रमुख है। यह राजनीति धर्मनिरपेक्ष भारत के, भारतीय संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र के विरुद्ध है।

आज भारतीय राजनीति के विमर्श में 'हिंदुत्व' का एजेंडा प्रमुख है। यह अचानक सामने नहीं आया है। वाजपेयी की सरकार में भाजपा बहुमत में नहीं थी। उस समय 'हिंदुत्व' और 'हिंदू राष्ट्र' का स्वर धीमा था। साल 2014 के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला, तब से यह स्वर कहीं अधिक तीव्र और प्रबल है। आज 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है।

आज देश के सभी प्रमुख पदों पर संघ के लोग आसीन हैं। पिछले चार वर्ष के भारत पर देश-विदेश में बार-बार चिंताएं प्रकट की गयी हैं। भाजपा से जुड़े लोगों ने ही 'अघोषित आपातकाल' की बात कही है। भीड़ हिंसा, लव जिहाद, घर वापसी से लेकर रसोईघर, शयनकक्ष, बोली-बानी, परिधान- सब पर ताक-झांक ही नहीं की जाती, दखल भी दिया जाता है। इसी वर्ष शशि थरूर ने 'व्हाई आई एम ए हिंदू' पुस्तक लिखी. थरूर लेखक-राजनीतिज्ञ हैं। भाजपा के पास 'विकास' और 'हिंदुत्व' के जो दो एजेंडे (प्रत्यक्ष-परोक्ष) हैं, उन पर संवाद क्यों नहीं होना चाहिए?

येचुरी ने संसद में 'हिंदू पाकिस्तान' कहा था। थरूर ने अपने भाषण में 'हिंदू पाकिस्तान' की बात कही। उनकी चिंता में भावी भारत है, समावेशी भारत है।

केवल थरूर को नहीं, अनेक भारतीयों को इसकी चिंता है कि भाजपा अगला आम चुनाव (2019) जीतने के बाद देश के संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन करेगी। उस स्थिति में भारत अपना सेकुलर रूप खोकर 'हिंदू पाकिस्तान' (पाकिस्तान की तरह का धार्मिक राष्ट्र) बन जायेगा।

इस आशंका का खंडन भाजपा यह कहकर कर सकती है कि वह सावरकर-गोलवलकर और संघ के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर नहीं चलेगी। सरकार उसकी है। वह आश्वस्त कर सकती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सदैव बना रहेगा।

विश्व के सामने भारत की बिगड़ती छवि (बिजनेस स्टैंडर्ड)

हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने देश की जीवंत, बहुलतावादी और सफल लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संकटग्रस्त लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक झटका है। इस विषय पर बात करना आवश्यक है क्योंकि आम चुनावों में एक वर्ष से भी कम वक्त बचा है और हमारी राजनीतिक और सामाजिक बहस में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का मुद्दा उभार पर है।

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर सामग्री के नियंत्रणहीन और अत्यंत तेज प्रसार की वजह से इनका असर कई गुना बढ़ गया है। हम गर्व से कहते हैं कि हम सबसे अधिक सहिष्णु लोग हैं। हमारे यहाँ विविध आस्थाओं, संस्कृतियों, परंपराओं के लोग, विभिन्न जीवनशैलियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। विविधता तो साझेदारी से फलती-फूलती है। परंतु अगर इसे लोगों को एक दूसरे से अलग करने का जरिया बना लिया जाए तो इसे जहर बनने में वक्त नहीं लगता।

कोई भी व्यक्ति हिंदू-मुस्लिम विभाजन को आधार बनाकर अपनी सशक्त हिंदू पहचान स्थापित करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर एक बार किसी मामले में विभाजन की इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान कर के चुनावी मोड की एक बड़ी सचाई यह है कि यदि जनता की धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों के किसी भी अंश की अपनी ऐसी कोई राजनीति सामने नहीं आती है तो वे लोगों को अपने शत्रुओं की राजनीति का मोहरा बनाएंगे। राजनीति में शून्य का कोई स्थान नहीं होता। अधकचरे बुद्धिजीवी इसी शून्य का व्यवसाय करते हैं। हर क्षेत्र में सर्व-नकारवाद और हताशा की तारीफ करते हैं। अपने को राजनीति के, खास तौर पर संसदीय राजनीति के सरोकारों से ऊपर बताते हैं। विद्रोही बनते हैं। किसी एक तानाशाह की पूजा में या बहुलतावादी विभाजन में मतवाले ये तत्व अक्सर सबसे अधिक नफरत जिस चीज से करते हैं, वह है सीधे दो के बीच टक्कर से, अर्थात द्वंद्ववाद से। द्वंद्ववाद के बारे में लेनिन की बात याद आती है। वे कहते हैं कि ''द्वंद्ववाद का सार कभी भी कोई मजबूत और पूर्व-निर्धारित एकता में नहीं होता, बल्कि विरोधों की एकता में होता है, जो तत्काल (हमेशा) उस अभेद से संदद्दभत होता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता..एकता (संयोग, एकरूपता, बराबरी) शर्त-सापेक्ष, सामयिक, संक्रमणकारी और संदद्दभत होती है। दो धुर-विरोधों के बीच संघर्ष वैसे ही एक परम-तत्व है, जैसे विकास और गति परम तत्व होते हैं।' इसीलिए इस ''अभेद'', अंतिम लक्ष्य या गंतव्य के पहलू को संदर्भ में लिये बिना कभी भी आप दो की टकराहट में प्रत्येक पक्ष के अपने सत्य को नहीं समझ सकेंगे। अमय सेन कहते हैं, आगामी चुनाव में दांव पर भारत है। भारत-एक अभेद सोच। हजारों वर्षो में वैविध्य में एकता से निर्मित भारत। सबसे अधिक समझने की बात यह है कि द्वंद्ववाद की समस्या इस अभेद पर दिए जाने वाले अत्यधिक बल में नहीं है, बल्कि उसके प्रति किसी भी प्रकार की कमजोरी में है। इसके प्रति निष्ठा में कमी में है। अभी शशि थरूर ने अपने वक्तव्य में एक कटु सत्य कहा है कि 2019 में अगर मोदी जीतते हैं तो वे भारत को हिन्दू पाकिस्तान बना देंगे। उनके इस कथन न कोई अत्युक्ति है और न कोई कुउक्ति। पाकिस्तान का मतलब है धर्म आधारित राज्य। आरएसएस भारत में हिन्दुओं का धर्म आधारित राज्य ही तो बनाना चाहता है । फिर शशि थरूर ने गलत क्या कहा? तब उनके इस कथन के प्रति किसी प्रकार की दुविधा का कोई औचित्य नहीं है। लेनिन कहते हैं कि ''द्वंद्व वाद का सार-तत्व कभी मजबूत और पूर्व-निर्धारित एकता में नहीं होता, बल्कि विरोधों की एकता में होता है, जो तत्काल उस अभेद से संदद्दभत होता है, जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता।' इससे यदि कोई यह अर्थ निकाले कि असली एकता आपस में लड़ने या बंटने में हैं-ऐसे वामपंथी या ढुलमुलपंथी बचकानेपन को सैद्धांतिक/दार्शनिक आधार पर परखने की जरूरत है। वे विरोधों की एकता के असली मायने को ही नहीं पकड़ रहे हैं और अपने अलग, अवांतर एजेंडे को घुसा कर उस अभेद लक्ष्य को बांट देने में अपनी मुक्ति समझते हैं। यह उन्हें वस्तुतः शत्रु शिविर की सेवा में लगा देता है। द्वंद्ववाद में एक और एक दो नहीं होता, बल्कि एक ही रहता है। दोनों (अर्थात प्रत्येक एक) किसी-न-किसी अभेद में ही अपने को चरितार्थ करते हैं। या तो आप जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्ष में होंगे या फासीवादी धर्म आधारित भारत के पक्ष में। हम फिर दोहराएंगे, राजनीति के समर में बीच का रास्ता, या शून्य कुछ नहीं होता। यह शून्य अधकचरे बुद्धिजीवियों के अपने कारोबार का माल जरूर हो सकता है।

कट्टरवाद और तुष्टिकरण की राजनीति (अमर उजाला)

कुछ दिन पहले कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रांगण में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दो पत्थर रखकर चले गए। उसके बाद न जाने कब उन पत्थरों पर लोगों ने फूल रख दिए, फिर उनकी पूजा शुरू हो गई। अब उन्हें हटाना मुश्किल था। फिर भी एक नास्तिक ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने भारी विरोध किया।

कोलकाता के कुछ उदारवादी लोगों का कहना था कि प्रगतिशील लोगों के सांस्कृतिक प्रांगण में, उदार चिंतकों के विचार-विमर्श की जगह पर मंदिर निर्माण की कोशिश हो रही है। मंदिर बन जाने पर आसपास

दी गई तो इसके बाद इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। आस्था के आधार पर, विभिन्न समुदायों के इतिहास के आधार पर और आहत पहचानों में अभिव्यक्त सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में इसका प्रकटीकरण होने लगेगा। लोकतंत्र में हमेशा भिन्नता के लिए जगह होती है, यह लेनदेन की संस्कृति में पनपता है। यह केवल तभी संभव है जब चीजों को काले-सफेद के रूप में देखने के बजाय समझौतों और समन्वय की गुंजाइश हो। ध्रुवीकरण लोकतंत्र को कमजोर करता है। जबकि सांप्रदायिकता तो लोकतंत्र को ही असंभव बना देती है।

हमें अक्सर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग भी यह कहते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिम, ईसाई और अन्य गैर हिंदू भारत में रहने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें 'हमारी शर्तों' पर रहना होगा। कहने का अर्थ यह कि उन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की उदारता की वजह से हासिल हो। परंतु इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम लोकतंत्र और देश के सभी नागरिकों के समान अधिकारों के सिद्घांत को ही ठुकरा देंगे। यह एक अधिनायकवादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाली व्यवस्था होगी जो देश के लाखों-करोड़ों लोगों पर एक भेदभाव वाली व्यवस्था थोपेगी।

यह विधि के शासन के भी प्रतिकूल बात है। विधि का शासन देश के हर नागरिक के समान अधिकार पर केंद्रित है। आखिरकार अगर देश का कानून सभी समुदायों को समान दर्जा देता है तो हम या आप किसी एक समुदाय को श्रेष्ठ कैसे ठहरा सकते हैं? ऐसा करने के क्रम में समान अधिकारों की धारणा को त्यागना होगा और पिछले दिनों हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब देश के केंद्रीय मंत्रियों ने उन तत्त्वों के प्रति सहानुभूति और समर्थन जताया जिन्होंने अपने और पीडितों के बीच अंतर को आधार बनाते हुए उन्हें पीडित किया था। वे उन लोगों के साथ 'न्याय' कर रहे थे जिन्हें समाज में अपना स्थान नहीं पता था। यह काफी हद तक श्वेत अमेरिकियों द्वारा अश्वेतों की हत्या जैसा मामला था।

हर देश को अपनी ऐतिहासिक और वर्तमान उपलब्धियों पर गर्व होता है। ये बताती हैं कि हम कौन हैं और भारतीय होने का क्या अर्थ है। हमारे इतिहास में भी हिंसात्मक झड़पों की कमी नहीं है लेकिन उनको बार-बार दोहराने से एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। जोखिम यह है कि हम अपने इतिहास को सांप्रदायिक बना सकते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ हो सकता है और सबके पास अपना इतिहास और अपने नायक होंगे।

भारत की उपलब्धियों में गर्व करने लायक काफी कुछ है लेकिन हर बात को उचित ऐतिहासिक संदर्भ में पेश करना होगा। उन्होंने यकीनन मानव ज्ञान को समृद्ध करने में भूमिका निभाई है लेकिन उससे श्रेष्ठता का दावा तो सही साबित नहीं होता। दुख की बात है कि प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों में यह साफ नजर आ रहा है और यह देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की शीर्ष भूमिका को धक्का पहुंचा रहा है। देश के आधुनिक और डिजिटल भविष्य का निर्माण इस आधार पर नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक लोकतंत्र की प्रगति सीधे तौर पर तार्किक विचारधारा से जुड़ी हुई है। यह हमारी विरासत का सबसे अहम घटक है। एक बात जो भारत को सदियों से दूसरों से अलग बनाती आई है वह है हमारी जिज्ञासु संस्कृति तथा सवाल पूछने और असहमत होने की काबिलियत। देश को एक आधुनिक और फलता-फूलता लोकतंत्र बनाने के लिए हमें एक बार फिर इन मूल्यों की आवश्यकता है। हां हमें अतीत से कई नकारात्मक और पुरातनपंथी सामाजिक व्यवहार मिले हैं लेकिन हमारा भविष्य उनको खत्म करके आगे बढने में ही है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए उन्हें बढ़ावा दिया है जबकि उनके खात्मे पर जोर दिया जाना चाहिए था।

संस्कृति चर्चा के बदले धर्म की चर्चा ही होगी। अति धार्मिक लोग धर्म को ही संस्कृति बनाना चाहते हैं, वे संस्कृति को धर्म का दर्जा देने के इच्छुक नहीं हैं। कुछ लोगों ने साहस का परिचय देते हुए यह भी कहा कि मंदिर बनाने के लिए फाइन आर्ट्स के परिसर को ही क्यों चुना जाना चाहिए? वह परिसर फाइन आर्ट्स के लिए तय है, मंदिर के लिए नहीं। किसी मंदिर के परिसर में कोई फाइन आर्ट एकेडमी स्थापित करने नहीं जाता, ऐसे में, एकेडमी परिसर में मंदिर का क्या औचित्य!

धार्मिक लोगों के साथ मुश्किल यह है कि वे पृथ्वी की पूरी जगह पर अधिकार जमा लेना चाहते हैं। वे सभी सरकारों को अपना प्रचारक, और सभी प्रतिष्ठानों को अपना समर्थक बना लेना चाहते हैं। वे खुद जिस पर विश्वास करते हैं, चाहते हैं कि दुनिया के तमाम लोग उसी पर विश्वास करें। बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में ढाई हजार मस्जिद और मदरसे बनाए गए हैं। रात में मुल्ले-मौलवी वहाँ तकरीर करते हैं, उन रोहिंग्याओं को सलाह देते हैं कि म्यांमार अगर उन्हें वापस बुलाए, तब भी उन्हें नहीं जाना चाहिए। शिविरों में खेलते रोहिंग्या बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है। हममें से बहुतों को पता है कि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को जेहादी बनाने की सुनियोजित कोशिशें हो रही हैं।

कोलकाता के एकेडमी परिसर में मंदिर बनाने की कोशिश सफल नहीं हुई। चूंकि मुस्लिमों की तरह बहुसंख्यक हिंदू कट्टर नहीं हैं, इसलिए इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा। कहीं कोई दंगा नहीं भड़का। चूंकि मैं धर्म में विश्वास नहीं करती, इस्लाम धर्म की निर्मम आलोचक हूं, इसलिए फाइन आर्ट्स एकेडमी मुद्दे पर मैं भी उदारवादियों के साथ ही थी। मेडिकल कॉलेज के परिसर में अस्पताल बन सकता है, नाट्य मंच के बगल में नाटक अकादमी का औचित्य समझ में आता है, मंदिर परिसर में गुरुकल की स्थापना स्वाभाविक है। वैसे ही जैसे, मस्जिद के बगल में मदरसे होते हैं। दरअसल जिस चीज का जहाँ औचित्य हो, उसे वहाँ ही होना चाहिए। जिस कोलकाता की मैं बात कर रही हूं, वहीं हवाई अड्डे के दूसरे रनवे के सामने एक मस्जिद है। आठ नंबर गेट से रोज तीस-चालीस लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ने वालों की संख्या सौ से अधिक हो जाती है। उस गेट से मस्जिद तक के रास्ते को कांटेदार तार से घेर दिया गया है। लेकिन यह तो कोई समाधान नहीं है। मस्जिद के कारण हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाके में बाहरी लोगों के घुस जाने की आशंका है।

उस मस्जिद को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है। भविष्य में ऐसा हो पाएगा, इस बारे में भी दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। रनवे के पास मस्जिद की जगह अगर कोई दुकान होती, तो उसे हटाने में समस्या नहीं आती। मस्जिद है, इसीलिए समस्या है। वहाँ से उस मस्जिद को हटाने के लिए कुछ राजनेताओं ने दारूल उलूम के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। इस संबंध में मस्जिद कमेटी तथा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बैठक होने की भी बात थी। लेकिन अभी तक ठोस कुछ हो नहीं पाया है। यह सबको मालूम है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से रनवे के सामने से मस्जिद को हटा देने की जरूरत है।

हवाई अड्डे के अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद को हटा देने से दूसरे रनवे को बड़ा किया जा सकता है, साथ ही, रनवे तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जा सकती है। अगले कुछ साल में कोलकाता हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उड़ानों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसी कारण एक नया टर्मिनल भी बन रहा है। लेकिन रनवे अगर ऐसा ही रह जाता है, तो टर्मिनल बढ़ाने का भी कोई खास लाभ नहीं होगा। हवाई अड्डे के अधिकारी इन सारे तथ्यों से अवगत हैं। पर वे क्या कर सकते हैं?

किसी भी राजनेता ने मस्जिद को वहाँ से हटाने के मामले में सक्रियता दिखाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसा करने पर

Committed To Excellence

यह सिलसिला कुछ समय से चल रहा है लेकिन अब इसे सामाजिक और राजनीतिक वैधता मिलती दिख रही है। सांप्रदायिक और जातीय पूर्वग्रह हमारे समाज में मौजूद रहे हैं लेकिन उन्हें खुलकर अभिव्यक्त नहीं किया जाता था। इन पर यकीन करने वाले लोग हमेशा से थे लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिलती थी। अक्सर उन्हें तार्किक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। अब इन प्रतिरोधों को हिंसा और धमकी के जरिये खामोश कर दिया जा रहा है।

हमारे देश की प्रतिष्ठा ने हमारे राजनयिकों के काम को बढ़ावा दिया है। हमने अपनी विविधता के साथ आर्थिक प्रगति की है। इस दौरान लोगों की व्यक्तिगत आजादी बरकरार रखी गई है। भारत ऐसा देश है जहाँ के लोगों का एक गौरवशाली और शालीन अतीत तो है ही, वे वैज्ञानिक चेतना से भी संपन्न हैं। कुछ तत्त्वों की वजह से हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही है लेकिन मेरा मानना है कि वे देश की वैचारिकी की मुख्यधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। परंतु दुनिया तो उन्हीं को सुनती है जो ऊंचा बोलते हैं और उन्हें देखती है जो हिंसा करते हैं। हमें देश के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों पर जोर देते हुए एक प्रबुद्ध भारत की ओर सफर जारी रखना होगा। केवल तभी हम दुनिया के सामने गुण संपन्न विश्वगुरु के रूप में आ सकेंगे।

भारत के पाकिस्तानीकरण का डर (अमर उजाला)

भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई, तो वह संविधान का पुनर्लेखन कर भारत को हिंदू पाकिस्तान बना देगी- कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस बयान पर राजनीतिक भूचाल स्वाभाविक था। थरूर ने इस वक्तव्य से वैचारिक द्वंद्व को इस बिंदु तक पहुंचा दिया कि कांग्रेस ने भी सार्वजनिक तौर पर पल्ला झाड़ लिया, हालांकि वह इस आशंका से शायद ही असहमत हो। भाजपा कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों के नकार पर आधारित है। कांग्रेस की स्थापना के 40 साल बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ही वर्ष अस्तित्व में आए। कुछ साम्य के बावजूद कम्युनिस्टों का दर्शन भी मूलतः कांग्रेस के विपरीत था। इस तरह 1947 में भारत के सामने तीन दिशाएं थीं। इन सत्तर वर्षों में कम्युनिस्ट अपनी जमीन खो चुके हैं। यह दौर संघ परिवार के वर्चस्व का है।

यह वर्चस्व क्या आमूल-चूल परिवर्तन की हद तक जा सकता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए बगैर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मुश्किल है। अफगानिस्तान की सीमा से लेकर विंध्य के इस पार तक समूचा भारत नफरत की लपटों में था, पाकिस्तान बन चुका था और संविधान सभा के बनने तक विद्वेष फैला हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बहुमत जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं था। उनसे कई मसलों पर इत्तफाक न रखने वालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज थे, ऐसे नेता, जिन्हें भाजपा अपनी पंगत में शामिल करने की कोशिश करती रही है। उन स्थितियों में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ, क्योंकि वह भारत की मेधा का उल्लंघन होता। अनेक सीमाओं के बावजूद संविधान सभा भारत की विविधताओं का प्रतीक थी और प्रतिनिधि संस्था भी। सर्वग्राही गणतांत्रिक संविधान एक अनिवार्य प्रक्रिया का परिणाम था।

1947 में भारत की तरह मुस्लिम बहुल, तुर्की में भी पहले विश्व युद्ध के बाद युगपरिवर्तनकारी अध्याय शुरू हुआ। तुर्की की फौज से निकले युवा तुर्को के नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सरकार ने इस्लाम के इतिहास में पहली बार कई क्रांतिकारी परिवर्तन एक साथ शुरू किए। सबसे बड़ा फैसला था खिलाफत का खात्मा। भारत सहित दुनिया भर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। कमाल पाशा ने खिलाफत संस्था के जिस खोखलेपन और निरर्थकता को बारीकी से देखा, उसे ज्यादातर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे। वोट के कारण भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति दशकों से चल रही है, वह अब भी बरकरार है। यह कहना गलत होगा कि ऐसे राजनेता मुस्लिम समुदाय की बेहतरी चाहते हैं। अगर वे मुस्लिमों की बेहतरी के आकांक्षी होते, तो मुसलमानों की मानवीय गरिमा का ख्याल रखते, उन्हें शिक्षित, सजग और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते, उन्हें प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी बनाने की कोशिश करते।

वोट खिसकने के भय से जब राजनेता इस संबंध में कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे, तब मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़कर मस्जिद को वहाँ से हटा लेने के बारे में सक्रियता दिखानी चाहिए। अगर वे यह कदम उठाते हैं, तो मुसलमानों पर आम आदमी का भरोसा बढ़ेगा। वे मानेंगे कि मुसलमान सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सुरक्षा और देशहित के बारे में भी सोचते हैं। अगर मुस्लिमों के प्रति गैर मुस्लिमों की धारणा बदलती है, तो इससे मुसलमानों को ही लाभ होगा।

वास्तविक खतरे से अनजान थरूर ने 'हिंदू पाकिस्तान' और 'हिंदू तालिबान' से हलचल पैदा कर दी (दैनिक जागरण)

हाल में कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर ने अपने 'हिंदू पाकिस्तान' और 'हिंदू तालिबान' आदि विचारों से हलचल पैदा कर दी। जब आलोचना हुई तो उन्होंने दो लेख लिखकर अपने विचार फिर दोहराए और नए बिंदु भी जोड़े। उन बातों को अन्य कांग्रेसी निजी विचार कह रहे हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि वैसी बातें अनेक प्रोफेसर, पत्रकार और बुद्धिजीवी अपनी-अपनी तरह से कहते रहे हैं। इसलिए उन विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका राजनीतिक महत्व है। ऐसे विचार हमारे शैक्षिक जगत को प्रभावित करते हैं। वस्तुतः ऐसी बातें कहना स्वयं हमारी प्रचलित शिक्षा और राजनीतिक विमर्श से प्रभावित है। यह विमर्श देश से निकल कर विदेशों तक जाता है और भारत की छवि और वैदेशिक संबंधों को प्रभावित करता है।

यद्यपि थरूर में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आदर है, किंतु हिंदू इतिहास से संबंधित उनके मंतव्य तथ्यपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि 2019 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव पुनः जीता तो भारत हिंदू पाकिस्तान' बन जाएगा जहाँ 'एक ही रिलीजन का दबदबा' होगा। ऐसा कहते हुए थरूर इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को 'रिलीजन' कहते हैं। धर्म और रिलीजन नितांत भिन्न धारणाएं हैं। चूंकि इसे गंभीर विदेशी विद्वान भी जानते हैं अतः यह कल्पना अनर्गल है कि 'एक रिलीजन के वर्चस्व' से पाकिस्तान में जो दुर्गति हुई वही भारत में हिंदू धर्म के वर्चस्व से होगी। सच्चाई ठीक उलटी है। जिस हद तक आज भी भारत में हिंदू वर्चस्व है उसी कारण यहाँ सेक्युलरिज्म और अन्य धर्मावलंबियों का सम्मानजनक स्थान है। यह तथ्य मौलाना बुखारी, प्रो. मुशीर-उल-हक, एमआरए बेग जैसे अनेक विद्वान भी मानते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी वर्चस्व की तुलना में ही यह नोट किया था। दूसरी ओर यह जगजाहिर तथ्य है कि जब भारत में केवल हिंदू थे तभी यह देश धन-वैभव, ज्ञान-विज्ञान-कला, हर क्षेत्र में विश्व में अग्रणी था। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव संपूर्ण एशिया, रूस के पूर्वी हिस्से और अरब देशों तक फैला हुआ था। यही नहीं दुनिया में कहीं भी उत्पीड़ित लोगों, समुदायों के लिए यह सदैव उदार शरणस्थली रहा।

यहूदी और पारसी समुदाय इसके उदाहरण हैं जिन्हें हिंदू भारत ने ही शरण और सहायता दी। इसलिए शत-प्रतिशत हिंदू देश उस धारणा के ठीक विपरीत होगा जिसका भय थरूर को सता रहा है। सो 'भाजपा-आरएसएस के हिंदू राष्ट्र' को 'पाकिस्तान की दर्पण-छवि' कहना निराधार कल्पना है। भाजपा के किसी दस्तावेज में हिंदू राष्ट्र का उल्लेख तक नहीं। जनसंघ वाले समय से ही वे सदैव 'बेहतर सेक्युलर' साबित होने में लगे रहे हैं। वह नीति यथावत है। भाजपा कांग्रेसी नीतियों को ही 'अधिक ईमानदारी' से लागू करती रही है। इसलिए भाजपाई एकाएक बंटाधार कर देंगे, यह

Committed To Excellence

मुसलमान नहीं देख पाए। अरबी लिपि की जगह रोमन अपना ली गई, फेज कैप और परदे पर रोक लगा दी गई। सेक्युलर संविधान लागू हो गया। अतातुर्क के निधन के बाद भी जनता और सेना के सहयोग से सेक्युलर व्यवस्था चलती रही। पर पिछले एक दशक के दौरान सब उलटफेर हो गया। अब तुर्की पर इस्लामपसंदों का झंडा फहरा रहा है।

हमारे पड़ोसी, करीब 90 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने सेक्युलर, गणतांत्रिक संविधान लागू किया। शेख ने एलान किया, हमने सांप्रदायिकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पांच साल भी पूरे नहीं हुए थे कि शेख की हत्या के बाद मेजर जनरल जियाउर रहमान की सरकार ने बांग्लादेश को इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया। जनरल जिया, जनरल मोहम्मद इरशाद और जनरल जिया की पत्नी खालिदा बेगम की सरकारों के दौरान जमात-ए-इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समाज व सरकार पर हावी रहे। यह दौर हिंदुओं और बौद्धों के उत्पीड़न का रहा। बौद्ध बहुल चटगांव पहाड़ी का जनसांख्यकीय स्वरूप काफी हद तक बदल दिया गया। शेख हसीना की सरकार बनने के बाद बंगबंधु की विरासत की ओर लौटने की शुरुआत हो पाई। फिर भी हसीना पर जमातियों का खतरा लगातार मंडराता रहा है।

याहिया खान की फौजी हुकूमत की देखरेख में हुए चुनाव (दिसंबर,1970) में अवामी लीग ने सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में मिली सीटों के बूते पाकिस्तान असेंबली में भी बहुमत हासिल कर लिया था। फिर भी कट्टरपंथियों ने सत्ता हथिया ली। पूर्वी बंगाल की जनता की सांस्कृतिक सोच पश्चिमी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से हमेशा अलग रही। उनके दिल में रवींद्र ठाकुर और नजरुल बसे हुए थे। इसीलिए कट्टरपन की काली रात का खात्मा जल्द हो गया। प्रश्न यह है कि भारत में क्या नया संविधान लागू करना या वर्तमान संविधान के मूलाधार को नष्ट कर डालना संभव है? सांविधानिक स्वरूप और प्रावधानों को बदले बगैर भी उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? याद रहे, आपातकाल के दौरान कुछ दरबारियों ने राष्ट्रपति प्रणाली लागू करवाने की चेष्टा की थी।

लोकसभा, राज्यसभा और समस्त विधानसभाओं में किसी भी दल के पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद यथास्थिति बनी रहेगी? सहज बुद्धि कहती है कि आसेतु हिमालय एकरूपतावादी तंत्र नहीं चल सकता। इतिहास गवाह है, उसे जगह-जगह चुनौती अवश्य मिलेगी। सत्तर साल की सेक्युलर लोकतांत्रिक परंपरा ने बड़े मजबूत स्पीडब्रेकर बना रखे हैं और न जाने कहां-कहां सड़कें बंद भी हैं। लेकिन जब बार-बार 'सबका साथ, सबका विकास' नामक सिद्धांत का हनन हो रहा हो, न्यायालय से दंडित अपराधियों का अभिनंदन किया जा रहा हो, 'एकम सत विप्रा बहुधा वदंति' की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, भारत माता के पुत्रों में भेदभाव किया जा रहा हो और विधि की प्रक्रिया का उल्लंघन विनाशकारी अराजकता को जन्म देता है, इस सभ्यतागत अनुभव की अनदेखी कर, जब सरेआम सड़कों पर कानून अपने हाथ में लिया जा रहा हो, तब इस सनातन राष्ट्र के लिए संकट के बादल दिखाई पड़ने लगते हैं।

कुछ ताकतें किस तरह बेलगाम हो रही हैं, इसकी एक मिसाल : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को अयोध्या में सरयू के किनारे वजू और कलाम पाक की तिलावत करने से रोक दिया गया। एक 'संत' ने धमकी दे डाली कि यह कार्यक्रम हुआ, तो वह सरयू में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। कुछ मुसलमान सरयू किनारे पहुंच चुके थे, इसलिए सरयू को पवित्र करने के लिए दुग्धाभिषेक किया गया। पुण्यसलिला, पतितपावनी सरयू का शुद्धिकरण। कल्पना करें, दूधनाथ सिंह (आखिरी कलाम) और कैफी आजमी (दूसरा वनवास) अगर आज जीवित होते और अयोध्या जाते, तो उनका क्या हश्र होता।

सोचना व्यर्थ है। थरूर को संविधान संशोधन का डर भी है, लेकिन यह तो मामूली बात है। संविधान-परिवर्तन कोई भयावह नहीं होता। यह तो समय और जरूरत से करना होता है। संविधान को स्वयं कांग्रेस ने 1976 में बड़े पैमाने पर विरुपित किया था।

स्वतंत्रता आंदोलन पर भी थरूर का कथन दोषपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को 'दो' विचारों से संचालित बताया। एक गांधीवादी कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। किंतु एक और अधिक प्रभावशाली विचार भी श्री अरविंद के नेतृत्व में 'स्वदेशी' का हिंदू विचार भी था। उसी की देन 'वंदे मातरम्' की प्रतिज्ञा और 'वंदे मातरम्' गीत था जो स्वतंत्रता-प्राप्ति तक सर्वमान्य राष्ट्रगीत बना रहा। श्री अरविंद ही 'भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर' माने गए। इस नाम से कांग्रेस के अन्य विद्वान नेता डॉ. कर्ण सिंह की एक पुस्तक भी है। इसी स्वदेशी हिंदू विचार ने भारतीय राष्ट्रवादी को 'सिंह गर्जना' में बदला था। वही विचार संपूर्ण भारत को अनुप्राणित करता रहा। अत:, नेहरूवाद और इस्लामवाद के अलावा तीसरा स्वदेशी हिंदू विचार भी था। गांधी-नेहरू को भी उसी का सहारा मिलता रहा। यह और बात है कि उन्होंने अंत में इसके साथ धोखा किया।

थरूर यह भूलते हैं कि भारतीय नेताओं ने 'एक रिलीजन का वर्चस्व' सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। तब 1947 में देश-विभाजन किस सिद्धांत पर हुआ था? वस्तुत: उसे मानकर भी शेष भारत पर लागू न करने से ही फिर वही समस्याएं पनपीं जिनके समाधान के लिए विभाजन हुआ था। जिन्ना और आंबेडकर, दोनों ने चाहा था कि विभाजन के बाद मुसलमान भारत में न रहें। इसे ठुकराना दूसरी भयंकर भूल हुई। यह पुराने कांग्रेसी भी मानते हैं। थरूर हिंदू फेथ' के 'समाहितकारी' स्वभाव की भी सही व्याख्या नहीं करते। चूंकि हिंदू राज्य और मजहबी शासन यानी थियोक्रेसी दो विपरीत ध्रुव जैसे हैं इसलिए उनका भय निर्मूल है। विवेकानंद की शिक्षा का भी थरूर काट-छांटकर, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मत-वैभिन्य की स्वीकृति हिंदू धर्म की विशेषता है, किंतु यह अधर्म की भी स्वीकृति नहीं है। विवेकानंद ने ही कहा था कि 'एक हिंदू का मुसलमान या ईसाई बनना केवल एक हिंदू कम होना नहीं, एक शत्रु बढ़ना भी है।' यदि थरूर को अपने हिंदुत्व पर विश्वास है तो उन्हें विवेकानंद जैसे हिंदू मनीषियों के विचारों से उसकी पुन: परख करनी चाहिए।

कोई व्यक्ति नेहरूवादी और सचेत हिंदू नहीं हो सकता। वह दो में एक ही हो सकता है, क्योंकि नेहरूवाद तीन हिंदू-विरोधी मतवादों मसलन पश्चिमी श्रेष्ठता, कम्युनिज्म और इस्लाम-परस्ती का सहमेल है। जबकि भारतवर्ष और हिंदू धर्म अभिन्न हैं। इन दो को अलग करना, अथवा देश को हिंदू धर्म से ऊपर दिखाना अज्ञान या सियासी चाल है। सीधी सचाई यह है कि भारत हिंदू-भूमि है। यहाँ के मुसलमानों की पुरानी पीढ़ियां हिंदू ही थीं जिन्हें उत्पीड़न और भयवश मुसलमान बनना पड़ा था। वे आज भी मानसिक कैद में परेशान, प्रताड़ित हैं। इसके उदाहरण आते रहते हैं। इसी रूप में उनसे सहानुभूति होनी चाहिए।

यदि भारत हिंदू भूमि न रहा तो सबकी स्थिति बदतर होगी। इतिहास-वर्तमान की सारी तुलनाएं यही दर्शाती हैं। ऐसे में भारत की हिंदू पहचान की रक्षा करना प्रथम प्रतिज्ञा होनी चाहिए। यदि उपमा ही देनी हो तो भारत 'हिंदू इजरायल' जैसा अकेला, नियमित लांछित, और विविध प्रकार के शत्रुओं की चोट सहता हुआ देश है। विश्व की तीन सशक्त, संगठित राजनीतिक-वैचारिक ताकतें लंबे समय से हिंदू भारत को हड़पने या तोड़ने में लगी रही है। इस्लामी साम्राज्यवाद, चर्च-मिशनरी और कम्युनिस्ट-वामपंथी। उनकी घोषित मंशा सर्वविदित है। उनके सामने हमारा दुनिया में कोई भी समर्थक सहयोगी नहीं रहा है। भारत को भी इजरायल जैसा ही नितांत आत्मनिर्भर, कटिबद्ध, निर्मम नीति और मनोबल वाला बनाना होगा। वरना यहाँ तो खुलेआम प्रेस कांफ्रेंस करके तीसरा-चौथा पाकिस्तान बनाने के दावे होते रहते हैं। क्या शशि थरूर नहीं देखते कि वास्तविक खतरा किधर से है?

GS World
Committed To Excellence

सारांश

- शशि थरूर ने 11 जुलाई को तिरुअनंतपुरम में 'इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म' पर अपने भाषण में भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनने-बनाने की एक संभावना प्रकट की। पिछले वर्ष 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में राज्यसभा में सेकुलर भारत को शक्तिशाली बनाने की बात कही थी, न कि भारत को 'हिंदू पाकिस्तान' बनाने की।
- सर्वप्रथम 19वीं सदी में राजनारायण बसु (7 सितंबर, 1826- 18 सितंबर, 1899) (अरबिंदो घोष के नाना) ने 'हिंदू राष्ट्र' को नींद से जागने की बात कही थी।
- साल 1899 में ही लाला लाजपत राय (28 जनवरी, 1865-17 नवंबर, 1928) ने हिंदुओं को अपने आप में एक 'राष्ट्र' बताया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म (1925) के एक वर्ष पहले (1924) में 'संयुक्त भारत' की बात न कहकर 'हिंदू और मुस्लिम इंडिया' की बात कही थी।
- संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार (1 अप्रैल, 1889-21 जून, 1940) के गुरु बालकृष्ण शिवराम मुंजे (12 दिसंबर, 1872-3 मार्च, 1948) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के दो वर्ष पहले 1923 में स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और जर्मन नागरिकों का देश है, उसी प्रकार भारत हिंदुओं का देश है। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी धार्मिक राष्ट्र नहीं हैं, जबकि भारत को धार्मिक राष्ट्र के रूप में देखने का चलन पुराना है।
- बीडी ग्राहम ने 'हिंदू नेशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स' (1993, पृष्ठ-11) में नाथूराम गोडसे के 'हिंदू राष्ट्र दल' से जुड़े होने की बात कही है।
- साल 1943 में 'हिंदू राष्ट्र दल' के गठन की बात वाल्टर के एंडरसन और श्रीधर डी डामले ने अपनी पुस्तक 'द ब्रदरहुड इन सैफरन' (1943) के पृष्ठ 43 पर कही है।
- वर्ष शशि थरूर ने 'व्हाई आई एम ए हिंदू' पुस्तक लिखी। थरूर लेखक-राजनीतिज्ञ हैं।
- कांग्रेस की स्थापना के 40 साल बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ही वर्ष अस्तित्व में आए। कुछ साम्य के बावजूद कम्युनिस्टों का दर्शन भी मूलत: कांग्रेस के विपरीत था।
- तुर्की में भी पहले विश्व युद्ध के बाद युगपरिवर्तनकारी अध्याय शुरू हुआ। तुर्की की फौज से निकले युवा तुर्कों के नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सरकार ने इस्लाम के इतिहास में पहली बार कई क्रांतिकारी परिवर्तन एक साथ शुरू किए। सबसे बड़ा फैसला था खिलाफत का खात्मा। अरबी लिपि की जगह रोमन अपना ली गई, फेज कैप और परदे पर रोक लगा दी गई। सेक्युलर संविधान लागू हो गया। अतातुर्क के निधन के बाद भी जनता और सेना के सहयोग से सेक्युलर व्यवस्था चलती रही।
- करीब 90 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने सेक्युलर, गणतांत्रिक संविधान लागू किया। शेख ने एलान किया, हमने सांप्रदायिकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पांच साल भी पूरे नहीं हुए थे कि शेख की हत्या के बाद मेजर जनरल जियाउर रहमान की सरकार ने बांग्लादेश को इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया।
- याहिया खान की फौजी हुकूमत की देखरेख में हुए चुनाव (दिसंबर,1970) में अवामी लीग ने सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में मिली सीटों के बूते पाकिस्तान असेंबली में भी बहुमत हासिल कर लिया था।
- स्वतंत्रता आंदोलन पर भी थरूर का कथन दोषपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को 'दो' विचारों से संचालित बताया। एक गांधीवादी कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। किंतु एक और अधिक प्रभावशाली विचार भी श्री अरविंद के नेतृत्व में 'स्वदेशी' का हिंदू विचार भी था। उसी की देन 'वंदे मातरम' की प्रतिज्ञा और 'वंदे मातरम' गीत था जो स्वतंत्रता-प्राप्ति तक सर्वमान्य राष्ट्रगीत बना रहा। श्री अरविंद ही 'भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर' माने गए। इस नाम से कांग्रेस के अन्य विद्वान नेता डॉ. कर्ण सिंह की एक पुस्तक भी है।

धर्मनिरपेक्षता

- धर्मनिपेक्षता का अर्थ है देश में सभी धर्मो के बीच समानता तथा राज्य द्वारा किसी धर्म भी के लिए पक्षपात नहीं करना।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य कि विशेषता में सभी धर्मो के बीच समानता होता है, कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है, सभी धर्मो के लोग को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार की आजादी होती है, राज्यों द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाता है।

धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल:

- धर्म और राज्यों का एक-दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप न करने कि अटल नीति होती है, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान दिया जाता है, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता, एक मुख्य सरोकार होता है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल:

- राज्यों द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, एक धर्म के भिन्न-भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर ध्यान देना, व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण देना

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ :

- ये धर्म विरोधी हैं, ये पश्चिम से आयातित है, अल्पसंख्यकवाद पर ज्यादा केन्द्रित है, बहुत अधिक हस्तक्षेप, इसे वोट बैंक कि राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है

धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ:-

- किसी एक समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए, एक ही धार्मिक समुदाय के भीतर व्यक्ति के किसी एक समूह का दुसरे समूह पर हावी होना उचित नहीं है, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए आवश्यक बातें:

1. भिन्न धर्मो के अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो
2. किसी एक धार्मिक समुदायों के भीतर सभी वर्ग तथा समूहों की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार समान रूप से प्राप्त हो

3. नास्तिकों को भी जीवित रहने और उन्नति के उतने ही अधिकार हो जितने किसी भी मजहब के मानने वाले को हो
4. धर्म व्यक्ति के जीवन का एक निजी मामला है। हिन्दुत्व, इस्लाम और इसाई को एक निजी विषय ही रखा जाये किसी भी स्थिति मे धर्म का सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय न बनाया जाए और न ही उसमें राजननैतिक प्रवेश होने दिया जाए।

भारत में धर्मनिरपेक्षता:- भारत के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए आवश्यक सभी बातें शामिल की गई हैं-

1. संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वंतत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने या उस पर आचरण करने का अधिकार प्रदान किया है।
2. पूर्णतया राज्यकोष से संचलित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।
3. सभी धार्मिक समुदायों को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार होगा।
4. ऐसा कोई कर न वसूला जाए जिसका उद्देश्य किसी भी धर्म समूह व समुदाय को धार्मिक सहायता प्रदान करता हो।

धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल:- धर्मनिरपेक्ष राज्य पादरियों द्वारा नहीं चलाया जाता है और न ही इसका कोई सरकारी या स्थापित धर्म संघ होता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में धर्मनिरपेक्षवाद एक आन्दोलन के रूप मे बदला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी शुरू से धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगी जो धर्मसंघ की स्थापना करता हो या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता हो।

धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य की भूमिका:-

1. राज्य धर्म के मामले में तथस्ट या निरपेक्ष रहता है और किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी सहायता या लाभ प्रदान नहीं करता।
2. राज्य धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करता।
3. प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबकों एक जैसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद पश्चिमी धर्मनिरपेक्षवाद से भिन्न है:-

1. राज्य तथा धर्म के बीच पृथककारी कोई दीवार नहीं है- हमारे संविधान राज्य को धर्म से पूर्ण रूप से अलग नहीं करता, भारत में राज्यों विभिन्न धार्मिक समुदायों के आर्थिक वित्तीय राजनैतिक या अन्य क्रियाकलापों को नियमित करने की अनुमति दी गयी है।
2. धार्मिक और भाषीय समूहों के अधिकार- व्यक्ति को अत:करण की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों रक्षा करता है ताकि वह गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके।
3. किसी धर्म परिवर्तन पर रोक- धर्म के प्रचार का अर्थ है कि धार्मिक मान्यताओं को किसी अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाने का अधिकार या अपने धर्म के सिद्धांतो की व्याख्या करना।

आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता के कारण :-

1. व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा।
2. धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज की प्रमुख विशेषता है।
3. धर्म निरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगा और उन्हें अपने जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा।
4. धर्मनिरपेक्ष राज्य, राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा स्थायी होते हैं।

- भारतीय संविधान द्वारा भारत 'धर्मनिरपेक्ष देश' घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की पूर्वपीठिका में 'सेक्युलर' शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया।
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह एक खास धर्म, जाति, जन्म की सेक्स या जगह के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव है।
- संविधान के मूल निर्माताओं ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा था। उनका संभवत: यह विचार था कि सेक्यूलरिज्म भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं में से एक है, और इसलिये इसका अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संविधान की किसी धारा में कहीं ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि नागरिकों के बीच किसी भी आधार पर कोई भेदभाव किया जायेगा, इसलिये संविधान-निर्माता यह मानकर चल रहे थे कि संविधान तो सेक्युलर है ही, और उसका अलग से उल्लेख निरर्थक होगा
- धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में बयालीसवाँ संशोधन (1976) द्वारा डाला गया था। यह सभी धर्मों और धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान की समानता का अर्थ है। भारत, इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म वे चुनाव प्रचार करने का अधिकार है।
- बोम्मई बनाम भारतीय संघ (1994) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ सामान्य बातें कहीं, जैसे धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत विशिष्ट है (और यह 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 'सेक्युलर' शब्द जोड़ देने के कारण नहीं है।); सेक्यूलरिज्म धर्मों से समान व्यवहार का एक सकारात्मक विचार है; यद्यपि व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, पर राज्य व्यक्तियों से उनके धर्म के अधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इत्यादि।
- धर्मनिरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) शब्द का पहले-पहल प्रयोग बर्मिंघम के जॉर्ज जेकब हॉलीयाक ने सन् 1846[2] के दौरान, अनुभवों द्वारा मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के तौर तरीकों को दर्शाने के लिए किया था। उनके अनुसार, "आस्तिकता-नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उलझे बगैर मनुष्य मात्र के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम संभावित बिंदु तक विकसित करने के लिए प्रतिपादित ज्ञान और सेवा ही धर्मनिरपेक्षता है"।
- यूरोप में सन् 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से 'सेक्युलरिज्म' या धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि शासक अपने राज्य में अन्य मतावलंबियों को जान से नहीं मारेगा और उन पर मत परिवर्तन के लिए दबाव भी नहीं डालेगा।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' राष्ट्र किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
   (a) 41वें (b) 42वें
   (c) 43वें (d) 44वें

(उत्तर-B)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द बाद में जोड़ा गया है।
   2. इसे संविधान में वर्ष 1976 में जोड़ा गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-C)

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय राज्य धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करता।
   2. राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में सही है?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-C)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय संविधान की उद्देशिका में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का उल्लेख है।
   2. इसे बाद में संविधान-संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-C)

5. भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने पश्चिमी स्वरूप से कैसे भिन्न है? समीक्षा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. यदि भारत में एक धार्मिक पंथ/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो क्या विशेष फायदे उसे मिलेंगे?
   1. यह विशिष्ट शैक्षिक संस्थान स्थापित एवं प्रशासित कर सकता है।
   2. भारत का राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से समुदाय के प्रतिनिधि को लोक सभा के लिए नामांकित करेगा।
   3. यह प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय कार्यक्रम से फायदे ले सकता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2011, उत्तर-C)

2. भारतीय संविधान स्वीकृति देता है-
   (a) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
   (b) कवेल भाषायी अल्पसंख्यकों को
   (c) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को
   (d) धार्मिक, भाषायी एवं जातीय अल्पसंख्यकों को

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-1999, उत्तर-C)

3. धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद-विवाद, पश्चिम में वाद-विवादों से किस प्रकार भिन्न हैं?

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2014)

4. ''बहुधार्मिक एवं बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है।'' ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2014)

5. सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2017)

6. स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

बढ़ते प्रदूषण के हानिकारक परिणाम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (पर्यावरण) से संबंधित है।

भारत में प्रति वर्ष प्रदूषण के स्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में कचरे के प्रबंधन संबंधी विषयों में सरकारें नाकाम है। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात् कुछ उम्मीदें बंधी है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'पत्रिका' और 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

परिदृश्य बदले तो थमे प्रदूषण (पत्रिका)

पारिस्थितिकी संबंधी मुद्दे कभी कभार ही राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। इसलिए जब सर्दियों में दिल्ली के वायु प्रदूषण को प्राइम टाइम का विषय बनाया गया तो काफी अच्छा लगा। संभवत: देश की राजधानी में रहने वाले कुछ प्रभावशाली लोगों पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल असर की आशंका ही ऐसे मुद्दों की ओर अपेक्षित ध्यान आकर्षित करने में मददगार हो सकती है।

अक्सर आधिकारिक स्तर पर ऐसे मसलों में लीपापोती पर ही ध्यान दिया जाता है। कई वर्षों से ऐसा ही होता आया है। सीएनजी व अन्य साफ ईंधन का प्रयोग, पुराने वाहनों को सडकों पर चलने की अनुमति न देना, वाहनों के लिए यूरो मापदंड तय करना, ऑड और इवन नंबर प्लेट वाले वाहन, पावर स्टेशनों के लिए सख्त मापदंड आदि उपाय कारगर तो हैं, पर इनसे केवल कुछ समय के लिए ही राहत मिलती है।

पारिस्थितिकीय संकट का हल तभी संभव है जब इसके कारणों को जड़ से पहचाना जाए, जैसे कौन किसे फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय ले रहा है। इसके अलावा सबकी भलाई और विकास के लिए कौन-सा/से मॉडल अपनाए जा रहे हैं आदि। कई दशकों से भारतीय राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपतियों ने विकास का ऐसा स्वरूप लोगों के सामने रखा है, जिसका आशय केवल आर्थिक विकास है, जिसके चलते न्यायसंगतता के सारे पहलू बिसरा दिए गए हैं।

अप्रत्याशित लाभ कमाने की अभिलाषा और चुनावी प्रतिस्पर्धा के जरिए सत्ता पाने की होड़ इसका बड़ा कारण है। यही विरोधाभास है कि पिछले 25 सालों से विश्व में सर्वाधिक विकास दर के संदर्भ में औसतन दूसरे स्थान पर रहने वाले देश में भुखमरी, कुपोषण, असमानता, ''''' भेद, जातिवाद और पारिस्थितिकी के ह्रास जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। विकास का सबसे भयावह परिणाम वायु प्रदूषण के रूप में सामने आया है। सर्वाधिक क्षति इसी वजह से हुई है।

उपरोक्त समस्याओं का सार्थक समाधान क्या हो सकता है, यह जानने के लिए हमें 'एअरपोकैलिप्स' (ग्रीनपीस, इंडिया द्वारा प्रयुक्त शब्द) के हर कारण पर विचार करना होगा। कोयले के स्थान पर हमें बिजली के गैर-पारंपरिक स्रोत अपनाने होंगे जो सामाजिक व पारिस्थितिकीय पहलुओं को शामिल करते हुए कोयले से विद्युत उत्पादन की तुलना में सस्ते साबित होते हैं। इस संबंध में और ऊर्जा उपभोग के विषय पर व्यापक स्तर पर संवाद का महत्त्व भी समझना होगा।

दूसरा प्रमुख कारण है सड़कों पर वाहनों की अत्यधिक भीड़। वैश्वीकरण के बाद लगता है जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने

शहरीकरण की दयनीय दशा: कचरा, प्रदूषण और बेतरतीब विकास से जूझते शहर (दैनिक जागरण)

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अनेक राज्य सरकारों को इसलिए फटकार लगाई, क्योंकि उनके पास कचरे के निस्तारण की कोई ठोस योजना नहीं थी। कचरा प्रबंधन संबंधी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी पर राज्यों द्वारा ध्यान न दिए जाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन राज्यों ने कहने के बावजूद इस आशय का हलफनामा दाखिल नहीं किया था कि वे कचरे का निस्तारण कैसे करेंगे? इससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि साफ-सफाई के मामले में संपन्न माने वाले राज्य भी उतने ही लापरवाह हैं जितने गरीब समझे जाने वाले राज्य। कुछ समय पहले इसी मामले की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आठ सौ पेज के हलफनामे को ही कचरा करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नीति-नियंताओं को कठघरे में खड़ा करते हुए दिल्ली और मुंबई की दयनीय दशा का भी जिक्र किया। उसने कहा कि दिल्ली कूड़े के पहाड़ में दब रही और मुंबई पानी में डूब रही, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसके दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल को कूड़े की समस्या का समाधान न कर पाने के लिए फटकारा। यह डांट-फटकार यही बताती है कि स्वच्छ भारत अभियान के इस दौर में भी साफ-सफाई के मामले में वैसी तत्परता नहीं दिखाई जा रही है जैसी अपेक्षित है। सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार न केवल स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दे रही है, बल्कि शहरों को संवारने के लिए स्मार्ट सिटी योजना को भी आगे बढ़ा रही है।

नि:संदेह स्वच्छ भारत अभियान ने आम लोगों को साफ-सफाई के लिए जागरूक किया है, लेकिन जमीनी हालात बहुत नहीं बदले हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी योजना भी अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही है। यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के अन्य बड़े शहरों में स्थान-स्थान पर गंदगी और बेतरतीब विकास की बानगी देखी जा सकती है। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि देश के महानगर भी कचरे के निस्तारण की ठोस व्यवस्था बना पाने में नाकाम हैं।

समस्या केवल यह नहीं है कि हमारे छोटे-बड़े शहर गंदगी और प्रदूषण से सही तरह नहीं निपट पा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे बेतरतीब विकास, अतिक्रमण, अराजक यातायात से भी जूझ रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कचरा निस्तारण सरीखे बुनियादी काम को अंजाम नहीं दे पा रही हैं। इस

Committed To Excellence

के लिए सरकार ने सारे संसाधन लगा दिए। जहाँ कभी पैदल यात्री या साइकल सवार ही नजर आते थे, वहाँ रातों रात सड़कें, फ्लाईओवर और पार्किंग स्थल बन गए। ऐसे में साफ ईंधन के इस्तेमाल का उपाय खास असरदार नहीं लगता। दिल्ली में सीएनजी का प्रयोग इसका उदाहरण है। इसी तरह निर्माण सामग्री की बारीक धूल भी प्रदूषण का बड़ा स्रोत है।

अन्य मूलभूत समस्या है बड़े पैमाने पर हो रहा पलायन। इसके लिए व्यापक नए आधारभूत ढांचे की जरूरत है। यदि गांवों में स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था सुधारने और सामाजिक विषमता दूर करने की नीति अपनाई जाए, वर्तमान में शहरों पर केंद्रित निवेश का रुख बदला जाए और स्वास्थ्य, शिक्षा व संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

इसके अलावा फसल अवशिष्ट भी बड़ी समस्या है, खास तौर पर उत्तर भारत में। हरित क्रांति के मॉडल से जुड़े घटकों – पर्यावरणीय क्षति, खेती की बढ़ती लागत और बाजार में उचित मूल्य न मिल पाना – ने किसानों की मुश्किल बढ़ाई है। जरूरत है कि किसान जैविक व विविध प्रकार की फसलें उगाएं, उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले और ग्राम-आधारित कृषि प्रसंस्करण व सीधे उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद बेचने की व्यवस्था सुदृढ़ हो।

अंततः तीन बिंदु काफी महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त उपायों में से कुछ भी संभव नहीं है जब तक निर्णय लेने का अधिकार सरकार और उद्यमियों के पास निहित है। लोकतंत्र की परंपराओं को जीवित रखते हुए हमें उन निर्णयों में भागीदारी करनी ही होगी जो हमारे शहर और पड़ोस को प्रभावित करते हों। दूसरा, वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले वर्ग यानी गरीब तबके को प्राथमिकता देना जरूरी है। तीसरा, हमें अपनी वैश्विक विचारधारा भी बदलने की जरूरत है।

अधिकांश 'पढ़े-लिखे' लोग यह मान बैठे हैं कि जिंदगी भौतिकवाद के चारों ओर घूमती है और इसी कारण जीवन की बहुत सी आधारभूत चीजों से दूर होते जा रहे हैं, जैसे हवा, पानी, सुकून भरे पल, प्रकृति और अपनों का साथ। साफ हवा और पानी को, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, प्रदूषित किया जाना एक तरह का सामूहिक पागलपन कहा जा सकता है। यदि हम आने वाली पीढियों को शिक्षित करने का तरीका बदलें, तो संभव है कि इस उन्माद से छुटकारा पा लें। हमें अपने भीतर झांकना होगा और तलाशना होगा दायित्व, प्रेम और मूल्यों को। हम में से हर एक ऐसा करने में सक्षम है। याद रखना होगा कि सिर्फ साफ ईंधन जैसे प्रयासों से बात बनने वाली नहीं है।

मामले में जो स्थिति दिल्ली और मुंबई की है वही करीब-करीब अन्य शहरों की भी है। इस पर हैरत नहीं कि हमारे शहर बीमारियों के घर बन रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जगह-जगह देखे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली कचरे की समस्या से नहीं उबर पा रही है वैसे ही देश की वित्तीय राजधानी मुंबई बारिश में होने वाले जानलेवा जलभराव से मुक्त नहीं हो पा रही है। साफ-सफाई के मामले में इन दोनों महानगरों के साथ अन्य शहरों की हालत शहरीकरण की दयनीय दशा की ही सूचक है।

कचरा निस्तारण को लेकर राज्य सरकारों के रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें कुछ करती नहीं और जब अदालतें हस्तक्षेप करती हैं तो न्यायिक सक्रियता का उल्लेख करते हुए न्यायाधीशों पर निशाना साधा जाता है। यह टिप्पणी एक बड़ी हद तक सही है। अपने देश में तमाम ऐसे मसले सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जो शासन-प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कचरा निस्तारण ऐसी समस्या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े, लेकिन उसे करना पड़ रहा है। उसे अन्य अनेक ऐसी ही समस्याओं पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। प्रदूषण, अतिक्रमण जैसे अनेक मसले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कहना कठिन है कि कचरा निस्तारण पर सुप्रीम कोर्ट क्या व्यवस्था देगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि उसके आदेश-निर्देश के बाद हालात सुधर ही जाएं। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें शहरों को संवारने के मामले में अपनी जिम्मेदारी समझें।

शहरों को संवारने का काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर करना होगा, क्योंकि वे ही विकास के वाहक हैं और यह भी साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में गांवों में रहने वाली आबादी का शहरों की ओर पलायन और तेजी से बढ़ेगा। दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। भारत भी इस चलन से अछूता नहीं रह सकता। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि रोजगार के अवसर नहीं बन रहे हैं। एक तरह से शहर गरीबी दूर करने का जरिया भी बन गए हैं। ऐसे में कोशिश यह होनी चाहिए कि शहरीकरण ढंग से हो।

यदि गंदगी, प्रदूषण आदि समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका तो शहरी जीवन और अधिक कष्टकारी बनेगा। यदि ऐसा होता है तो शहर समस्या भरे जीवन के लिए जाने जाएंगे, न कि सुविधाजनक जीवन के लिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि दिल्ली, मुंबई आदि बड़े शहरों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष ध्यान देने का यह काम स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों को करना होगा। इस मामले में नेताओं और नौकरशाहों को ईमानदारी से सक्रियता दिखानी होगी। अभी तो वे थोथे दावे करने और समय काटने तक सीमित हैं। यदि देश के प्रमुख शहरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा सके तो वे दूसरे शहरों के लिए एक नजीर बनेंगे और उनमें खुद को संवारने की प्रतिस्पर्द्धा भी शुरू होगी।

अभी हमारे शहर साफ-सफाई, बुनियादी ढांचे और अन्य अनेक मामलों में दुनिया के अन्य देशों के शहरों से बहुत पीछे हैं। यदि भारत के कई शहर दुनिया के प्रदूषित शहरों में गिने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम उनका नियोजन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अगर शहरों को गंदगी एवं प्रदूषण से मुक्त नहीं किया जा सका तो वे शहरी जीवन को असुविधाजनक बनाने के साथ गरीबी दूर करने के लक्ष्य में भी बाधक बनेंगे। कचरे और प्रदूषण से जूझते शहर बीमारियों को निर्मंत्रित करते हैं और आम लोगों का वह पैसा इलाज में खर्च होता है जो अन्य किसी काम में उपयोग हो सकता है। निःसंदेह शहरों को संवारने के लिए थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और नियम-कानूनों में परिवर्तन भी करना होगा। ऐसा करना समय की मांग है। चूंकि शहरों के नियोजित विकास पर ध्यान देने में पहले ही देर हो चुकी है और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं इसलिए और देरी की तनिक भी गुंजाइश नहीं है।

Committed To Excellence

सारांश

- सीएनजी व अन्य साफ ईंधन का प्रयोग, पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति न देना, वाहनों के लिए यूरो मापदंड तय करना, ऑड और इवन नंबर प्लेट वाले वाहन, पावर स्टेशनों के लिए सख्त मापदंड आदि उपाय कारगर तो हैं, पर इनसे केवल कुछ समय के लिए ही राहत मिलती है।
- पिछले 25 सालों से विश्व में सर्वाधिक विकास दर के संदर्भ में औसतन दूसरे स्थान पर रहने वाले देश में भुखमरी, कुपोषण, असमानता, भेद, जातिवाद और पारिस्थितिकी के ह्रास जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं।
- कोयले के स्थान पर हमें बिजली के गैर-पारंपरिक स्रोत अपनाने होंगे जो सामाजिक व पारिस्थितकीय पहलुओं को शामिल करते हुए कोयले से विद्युत उत्पादन की तुलना में सस्ते साबित होते हैं।
- यदि गांवों में स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था सुधारने और सामाजिक विषमता दूर करने की नीति अपनाई जाए, वर्तमान में शहरों पर केंद्रित निवेश का रुख बदला जाए और स्वास्थ्य, शिक्षा व संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।
- इसके अलावा फसल अवशिष्ट भी बड़ी समस्या है, खास तौर पर उत्तर भारत में। हरित क्रांति के मॉडल से जुड़े घटकों- पर्यावरणीय क्षति, खेती की बढ़ती लागत और बाजार में उचित मूल्य न मिल पाना- ने किसानों की मुश्किल बढ़ाई है। जरूरत है कि किसान जैविक व विविध प्रकार की फसलें उगाएं, उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले और ग्राम-आधारित कृषि प्रसंस्करण व सीधे उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद बेचने की व्यवस्था सुदृढ़ हो।
- कचरा प्रबंधन संबंधी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी पर राज्यों द्वारा ध्यान न दिए जाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने नीति-नियंताओं को कठघरे में खड़ा करते हुए दिल्ली और मुंबई की दयनीय दशा का भी जिक्र किया। उसने कहा कि दिल्ली कूड़े के पहाड़ में दब रही और मुंबई पानी में डूब रही, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसके दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल को कूड़े की समस्या का समाधान न कर पाने के लिए फटकारा।

प्रदूषण

- प्रदूषक या प्रदूषण के तत्त्व मनुष्यों द्वाया उत्पन्न किया गया बाह्य पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होता है जो की प्राकृतिक संसाधन जैसे की वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते है। प्रदूषक का रासायनिक प्रकृति, सांद्रता और लम्बी आयु इकोसिस्टम को लगातार कई वर्षो से असंतुलित कर रहा है। प्रदूषक जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते है।
- प्रदूषण का अर्थ है- हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं।
- वायु प्रदूषण: -वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदुषण कहते हैं। सामान्यत: वायु प्रदूषण कार्बनमोनोआक्साइड, सल्फरडाइआक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) और उद्योग और मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन आक्साइड जैसे प्रदूषको से होता है।
- वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं: वाहनों से निकलने वाला धुआँ, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुँआ तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल-कण, जंगलों में पेड़ पौधें के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआँ।
- जल प्रदूषण:- जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज के निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषकों के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण पौधों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है।
- जल प्रदूषण के विभिन्न कारण है: मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े-कचरे, मानव-शवों और पारम्परिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों मे छोड़ा जाना।
- भूमि प्रदूषण:- ठोस कचरे के फैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण फैलता है।
- भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं : कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाईयों, खानों तथा खादानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग, जो जमीन में दबकर नहीं गलती, घरों, होटलों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, काँच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं।
- ध्वनि प्रदूषण:- अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव जन्तुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है।
- दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोर के स्रोत परिवहन प्रणालियों, मोटर वाहन का शोर है, किंतु इसमें वैमानिक शौर-शराबा तथा रेल से होने वाला शोर भी शामिल है। अन्य स्रोतों में कार्यालय के उपकरण, फैक्टरी मशीनरी, निर्माण कार्य, उपकरण, बिजली उपकरण, प्रकाश व्यवस्था एवं ऑडियो मनोरंजन सिस्टम आते हैं।
- रेडियोधर्मी प्रदूषण:- परमाणु उर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहाँ अनायास या अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन-हाउस उत्सर्जक गैस नहीं है?
   (a) ओजोन (b) नाइट्रस ऑक्साइड
   (c) सल्फर डाइ-ऑक्साइड (d) मिथेन
   (उत्तर-B)

2. निम्नलिखित में से कौन-सा जल प्रदूषण का कारक है?
   (a) आर्सेनिक (b) मिथेन
   (c) क्लोरीन (d) कार्बन
   (उत्तर-A)

3. 'ईताई-ईताई' बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं?
   (a) लीड (b) आर्सेनिक
   (c) कैडमीयम (d) मरकरी
   (उत्तर-A)

4. 'मिनमाटा कन्वेंशन' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
   (a) मरकरी (b) लीड
   (c) कैडमीयम (d) मिथेन
   (उत्तर-A)

5. भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी कार्यक्रमों की सफलता पर टिप्पणी कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC), G-20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है।
   2. CCAC मेथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रो-फ्लोरो-कार्बनों पर केन्द्रित करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) कवेल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-B)

2. अपने देश के शहरों में 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन-सी वातावरणीय गैसों को सामान्यतया शामिल करते हैं?
   1. कार्बन डाइ-ऑक्साइड
   2. कार्बन मोनो-ऑक्साइड
   3. नाइट्रोजन डाइ-ऑक्साइड
   4. सल्फर डाइ-ऑक्साइड
   5. मिथेन

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1, 2 और 3
   (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 4 और 5
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-B)

3. भारत में स्टील-उद्योग से निकलने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में निम्नलिखित में से कौन-सा/से हैं?
   1. सल्फर के ऑक्साइड
   2. नाइट्रोजन के ऑक्साइड
   3. कार्बन मोनो-ऑक्साइड
   4. कार्बन डाइ-ऑक्साइड

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   (a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-D)

4. वातावरण के प्रदूषण से होने वाले 'एसिड रेन' (अम्लीय वर्षा) का कारक है-
   (a) कार्बन डाइ-ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन
   (b) कार्बन मोनो-ऑक्साइड एवं कार्बन डाइ-ऑक्साइड
   (c) ओजोन एवं कार्बन डाइ-ऑक्साइड
   (d) नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइ-आक्साइड
   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2013, उत्तर-D)

5. मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन विराट नगर हैं, परन्तु दिल्ली में वायु प्रदूषण, अन्य दो नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है?
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2015)

6. क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं ? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के, और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों के, प्रकाश में चर्चा कीजिए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2015)

7. पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2015)

8. सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व, अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयला गर्त-शिखरों (पिटहेड्स) पर अवस्थित कोयला-अग्नित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा कीजिए।
   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2014)

GS World Committed To Excellence

सोशल मीडिया का दूसरा पहलू

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 (समाज) से संबंधित है।

विश्व में सोशल मीडिया एक क्रांति के तौर पर सामने आया है। एक तरफ इसके अनगिनत फायदे हैं तो दूसरी ओर नुकसान भी हैं। भारत में हाल में इसके माध्यम से उड़ी अफवाहों से कई जाने चली गयी। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'दैनिक ट्रिब्यून', 'नवभारत टाइम्स' तथा 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

बेलगाम सोशल मीडिया (दैनिक ट्रिब्यून)

रविवार को कर्नाटक के बिदर क्षेत्र में हुई घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। व्हाट्सएप के जरिए फैली अफवाह ने एक इंजीनियर की जान ले ली और भीड़ से उसे बचाने में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक इंजीनियर, जो अपने मित्र से मिलने आया था और आसपास के बच्चों को चाकलेट बांट रहा था, उसकी वीडियो शूटिंग करके सोशल मीडिया के शरारती तत्वों ने व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज फैला दिया, जिसमें लिखा था कि कोई बच्चों का अपहरण करता लाल कार में घूम रहा है। ऐसी अफवाहों से किसी अनजान आदमी को अपराधी की निगाह से देखा जाने लगा है। सोशल मीडिया के जरिये फैलने वाली बेबुनियाद अफवाहें समाज के लिये घातक होती जा रही हैं। इसे लेकर सरकार, सामाजिक संस्थाएं व सर्वोच्च न्यायालय भी काफी चिंतित है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को किसी ऐसे कदम के बाबत आगाह किया है कि लोगों के बीच सोशल मीडिया संपर्क और चैटिंग की जासूसी की जाए। कोर्ट ने चेताया है कि एक सोशल मीडिया सर्विलेंस हब की स्थापना वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल की निगाह से देखी जाएगी। जिसका सरकारी तंत्र के हाथों दुरुपयोग भी संभव है।

सवाल है कि ऐसे आपत्तिजनक संदेशों पर रोक लगाने का प्रभावी रास्ता क्या हो। निश्चित रूप से ऐसे संदेश तैयार करने, वीडियोग्राफी करने और उसे प्रसारित करने वालों की पहचान व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफार्म पर टैग किया जाना और संदेश के साथ मूल वेबकास्टर का मोबाइल नंबर, मेल आईडी या जैसी पहचान अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया ग्रुप के हर सदस्य, हर कड़ी तक पहुंचते जाना पुलिस तथा इससे प्रभावित पक्ष के लिये मददगार हो सकती है। दरअसल, इन अफवाहों का प्रसार बहुत तेजी से होता है और अधिकतर सूचनाएं अविश्वसनीय और झूठ के ताने-बाने में बुनी गई होती हैं। लोग भावनाओं में बहकर बिना सोचे-समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेतीं। हालांकि व्हाट्सएप ने इस दिशा में कुछ पहल की है परंतु ऐसा नियम नहीं आया है जो इनके द्वारा प्रयुक्त सूचनाओं के अनधिकृत प्रयोग को नियंत्रित कर सके। इस विषय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का रोल बढ़ जाता है ताकि कोई इन माध्यमों का सामाजिक घृणा फैलाने में प्रयोग न कर सके।

सोशल मीडिया पर नजर (नवभारत टाइम्स)

देश में सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग के एक से एक खतरनाक आयाम इतनी तेजी से सामने आ रहे हैं कि इस पर नजर रखने और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ समय से कार्रवाई करने की जरूरत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अगर सरकार सोशल मीडिया पर जारी गतिविधियों पर निगरानी की कोई व्यवस्था कर रही है तो पहली नजर में इसे स्वाभाविक और उचित ही कहा जाएगा। हालांकि इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की, उसके पीछे छिपी चिंताओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई कि हर वॉट्सऐप संदेश और ट्वीट की निगरानी कहीं इस देश को सर्विलांस स्टेट की ओर न ले जाए। बहरहाल, इस आशंका के बावजूद कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत नहीं समझी है और सरकार को नोटिस जारी करके उसका पक्ष जानना चाहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तथ्य से अवगत है कि देश में सोशल मीडिया, खासकर वॉट्सऐप संदेशों का दुरुपयोग कैसे खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। पहले गोरक्षा और फिर बच्चा चोरी के नाम पर कई निर्दोष लोग जान से हाथ धो चुके हैं। जाहिर है, सोशल मीडिया नाम का यह हथियार लोगों के हाथ में पहुंच चुका है और इसकी मारक क्षमता आने वाले दिनों में और बढ़नी ही है। ऐसे में इसके दुरुपयोग को रोकने के इंतजाम तो हमें करने ही होंगे। दिक्कत यह है कि इस हथियार का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने की जितनी आशंका है, उतना ही बड़ा खतरा राजनीतिक दलों द्वारा अपने संकीर्ण चुनावी हित में इसका अलोकतांत्रिक इस्तेमाल किए जाने का भी है।

स्वाभाविक है कि इसका ज्यादा फायदा सरकारी पार्टियां उठाएंगी। इसलिए यह डर भी है कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए बनाई जा रही व्यवस्था सरकारी पक्ष को फायदा दिलाने में काम आ जाए। ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभी अदालत की और बाद में चुनाव आयोग की होगी। इसके अलावा नागरिकों की निजता के अधिकार का मसला भी खासा अहम है। हमारे इस मूल अधिकार के अकारण उल्लंघन की इजाजत शासन को किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा उपाय खोजा जा सकता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नजरदारी की प्रक्रिया पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाकर किसी खास राजनीतिक दल के अनुचित प्रभाव की आशंका घटाई जा सकती है। तेजी से वायरल हो रहा कोई कंटेंट रोका जाना चाहिए या नहीं, यह जिम्मा मैजिस्ट्रेट स्तर के किसी अधिकारी को सौंपा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो निष्पक्षता और निजता को सुनिश्चित किया जा सके तो यह एक सही कदम साबित होगा।

Committed To Excellence

निजता का संचार (जनसत्ता)

आम लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार में इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता के साथ-साथ यह सवाल भी पैदा हुआ है कि उपभोक्ताओं से जुड़ी जानकारियां कितनी सुरक्षित हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आती रही हैं जिनमें उपभोक्ताओं से जुड़े ब्योरे के किसी और के हाथों चले जाने की खबरें आईं और उनके बेजा इस्तेमाल को लेकर आशंका खड़ी हुई। खासतौर पर इंटरनेट में अलग-अलग सुविधाओं के इस्तेमाल के दौरान विभिन्न कंपनियां उपभोक्ता से जुड़ी जानकारियों तक पहुंच बना लेती हैं और कई बार अपनी मर्जी से उनका उपयोग करती हैं। इसी तरह के मामले लगातार सामने आने के बाद आंकड़ों के स्वामित्व, संरक्षण और उनकी निजता से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए कानूनी उपाय करने पर जोर दिया गया। फिलहाल ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए जो नियम हैं, उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब ट्राई ने डेटा की निजता के मामले में जो सिफारिशें की हैं, अगर उन्हें सरकार मंजूरी दे देती है तो खुद से जुड़ी जानकारी पर केवल उपभोक्ताओं का अधिकार होगा और बिना उनकी सहमति के उसका उपयोग कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी और न ही उसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि दूरसंचार सेवाओं के लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के तहत किसी उपभोक्ता की बातचीत का रिकॉर्ड तीसरे पक्ष के साथ साझा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई कानूनी बाध्यता डिजिटल इकाइयों के मामले में सुनिश्चित नहीं की गई है। इसलिए ट्राई ने अपनी सिफारिश में साफ कहा है कि सरकार की ओर से सामान्य डेटा सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया है, लेकिन निजता की सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू नियम या लाइसेंस की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिए। इसलिए सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और ऐप्लिकेशन के नियमन के लिए नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कोई दूरसंचार कंपनी उपयोगकर्ता से प्राप्त जानकारी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ट्राई ने इस पर साफ सुझाव दिया है कि ग्राहकों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि उनसे प्राप्त सूचनाएं भुला दी जाएं, न कि कंपनियां अपने फायदे के लिए उन्हें सहेज कर रखें। इसके अलावा, लोगों को अपनी पसंद का चुनाव करने, असहमति जाहिर करने से लेकर कंपनी बदलने तक का अधिकार होना चाहिए।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बढ़ते प्रसार की वजह से देश में जितने लोगों की पहुंच इंटरनेट तक हुई है, उनमें से ज्यादातर के पास इसके उपयोग और उससे जुड़ी शर्तों को लेकर अपेक्षित स्तर तक की जागरूकता नहीं है। यही वजह है कि स्मार्टफोन में किसी ऐप का उपयोग शुरू करते समय लोग इस पर विचार नहीं करते कि अन्य जानकारियों तक पहुंच के लिए मांगी जाने वाली इजाजत का मतलब क्या है। जबकि हो सकता है कि इस तरह उनसे जुड़ी किसी जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा किया जा रहा हो। इस लिहाज से देखें तो ट्राइ की सिफारिशें आने वाले कानून के मद्देनजर काफी अहम हैं। इससे संचार माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कंपनियां जो कवायदें करती हैं, उन पर एक तरह से नियंत्रण कायम होगा। इसलिए संभव है कि इस मसले पर कंपनियों की ओर से विरोध भी हो। लेकिन सच यह है कि भारत में इंटरनेट के उपयोग को लेकर जिस तरह की लापरवाही देखी जाती है, उसमें आमजन की निजता की सुरक्षा से लेकर उनसे जुड़ी जानकारियों के संरक्षण से सवाल पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

दुरुपयोग रोकने को जरूरी जागरूकता (दैनिक ट्रिब्यून)

इधर व्हाट्सएप पर गहन चर्चा हो रही है। व्हाट्सएप की कंपनी को तमाम अखबारों में पूरे पेज का इश्तिहार देकर बताना पड़ा कि व्हाट्सअप संदेशों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को किस तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। कहते हैं कि अफवाहों के पांव नहीं होते, लेकिन पिछले दिनों सीरिया के 2013 के एक वीडियो की वजह से जिस तरह हमारे देश में मासूम लोगों को बच्चा चोरी के इलजाम में मौत के घाट उतार दिया गया, उससे तो ये ही लगता है कि अफवाहों के भी पांव होते हैं। आज के समय में अफवाहों को पांव देने का काम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया करता है। फिर चाहे गुज्जर आन्दोलन हो या कश्मीर में दंगे या फिर बिहार के किसी जिले में अराजक माहौल, प्रशासन सबसे पहले व्हाट्सएप और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाता है।

व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया आज के समय में संचार के सबसे सशक्त माध्यम बन कर उभर रहे हैं। जितनी जल्दी और ज्यादा लोगों तक कोई भी बात व्हाट्सएप और सोशल मीडिया द्वारा पहुंचाई जा सकती है, उतनी तेजी संचार के किसी और माध्यम से सम्भव नहीं। इससे उपजा विवाद यह सोचने पर मजबूर करता है कि पारम्परिक संचार के तरीकों में ऐसा क्या है जो आज के इन नए संचार साधनों में नदारद है।

महाराष्ट्र में भीड़ द्वारा कई लोगों को मार दिये जाने की घटना के बाद जिस तरह से व्हाट्सएप को प्रिंट मीडिया में आकर विज्ञापन देना पड़ा है, उससे यह समझ आता है कि हम नयी-नयी टेक्नोलॉजी को आम जनता के बीच में लोकप्रिय तो बना देते हैं, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये नहीं बताते। महाराष्ट्र की घटनाओं के बाद जो विज्ञापन दिया गया है, वह बहुत पहले ही दिया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया के ऐसे इस्तेमाल के बारे में लोगों को पहले से बताया जाना चाहिए। इस विज्ञापन में जो मुख्य बातें कही गयी हैं, वो हैं -1. अग्रेषित किये संदेशों से सावधान रहें, 2. ऐसी जानकारी की जांच करें, जिस पर यकीन करना कठिन हो, 3. संदेशों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखें, 4. अन्य स्रोतों का उपयोग करें, 5. आप जो देखना चाहते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं, 6. ऐसी जानकारी या तथ्यों पर सवाल उठाएं जो आपको परेशान करती हों, 7. ऐसे संदेशों से बचें जो थोड़े अलग दिखते हों, 8. लिंक की जांच करें, 9. सोच-समझकर संदेशों को साझा करें।

पारम्परिक संचार साधनों की एक पूरी व्यवस्था होती है, जिसमें से गुजरने के बाद ही कोई खबर आम जनता तक पहुंचती है। वहाँ किसी भी खबर की पुष्टि जब तक कई स्रोतों से न हो जाए और जब तक उसमें दिखाई जानी वाली सामग्री पर सहमति न बन जाए कि वो आम जनता के लिए हानिकारक नहीं है तब तक उसे प्रसारित नहीं किया जाता है।

हालांकि व्हाट्सएप भी यह प्रयास कर रहा है कि उसके द्वारा प्रसारित होने वाले संदेशों में कुछ भी फेक न हो। इसके लिए उसने उन लोगों की एक टीम बनाने की घोषणा की है जो फेक न्यूज पर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप में उन लोगों को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है जो इस तरह के अफवाहों के स्रोत के बारे में सूचना देंगे। दुनिया भर में 180 देशों में डेढ़ अरब यानी करीब 150 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं रखते और हर सन्देश को सही समझते हैं। ऐसे में हम खबरों को आगे बढ़ाने से पहले खुद उनकी परख कर लें। हमने अपने माता-पिता से लेकर बड़ी आयु वर्ग के लोगों को स्मार्ट फोन तो थमा दिया है लेकिन इस बारे में उन्हें जागरूक नहीं किया कि कैसे इन साधनों से मिलने वाले संदेशों की सत्यता परखी जाए।

Committed To Excellence

फिलहाल एहतियात (जनसत्ता)

अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए वाट्सऐप ने संदेशों की संख्या सीमित करने का जो कदम उठाया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वह कारगर साबित होगा और अफवाहों पर लगाम लगेगी। ऐसा सख्त कदम तात्कालिक जरूरत है। पिछले कुछ महीनों में देश भर में भीड़ द्वारा हत्याओं के जितने मामले सामने आए, उन सबके पीछे पहला और बड़ा कारण अफवाहों का फैलना था। ज्यादातर अफवाहें बच्चा चोर को लेकर उड़ीं। ऐसी अफवाहें वाट्सऐप के जरिए फैलाई जातीं, लोग जमा होते और कोई निर्दोष इनकी हिंसा का शिकार हो जाता। इसके अलावा और भी कई ऐसी दहला देने वाली घटनाएं हुई, जिनका कारण वाट्सऐप के जरिए फैली अफवाहें बनीं। संदेशों और बातचीत के इस ऐप का ऐसा भयानक दुरुपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।

वाट्सऐप ने फिलहाल जो रास्ता निकाला है, उससे अफवाहों को फैलने से कितना रोका जा सकेगा, यह देखने की बात है। लेकिन फिलहाल इतनी उम्मीद तो की जानी चाहिए कि भड़काऊ और झूठे संदेश जिस तेजी से फैल रहे थे, उसमें कमी जरूर आएगी। हालांकि हकीकत यह है कि इसे पूरी तरह से बंद कर पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वाट्सऐप में अभी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह से आए संदेशों को दूसरों को भेजने की संख्या पांच तक सीमित कर दी गई है। कंपनी ऐसे तरीकों पर विचार कर रही है, जिनसे वीडियो और फोटो वाट्सऐप के जरिए न भेजे जा सकें, इनके लिए अलग से बंदोबस्त होगा। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही हैं जो आए हुए संदेशों, वीडियो और फोटो को दूसरों की तरफ बढ़ा देते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए ही सरकार ने वाट्सऐप को चेताया था कि वह इसका रास्ता निकाले। लेकिन सवाल है कि क्या वाट्सऐप ऐसे समूहों की पहचान कर सकता है, जो अफवाहें और झूठ फैलाने के काम को अंजाम दे रहे हैं? क्या वाट्सऐप ऐसा तरीका निकाल सकता है, जिसमें फर्जी और झूठे संदेशों, वीडियो और फोटो को शुरू में ही पहचान कर रोक दिया जाए?

ऐसा नहीं है कि इस तरह के कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते या इनके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोगों के पास में इस तरह के अपराधों और उनकी सजा के बारे में ज्ञान न होना भी उन्हें अपने कृत्य की गंभीरता का अहसास नहीं होने देता। यह सरकार और आम जनता के संयुक्त प्रयास से ही संभव है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म का उपयोग सही तरीके से और समाज की भलाई के लिए हो। इसके लिए आवश्यक है कि सही शिक्षा और इसके कानूनी प्रावधानों को आम जनता तक पहुंचाया जाये।

पत्रकारिता के तमाम कोर्सों तक में व्हाट्सएप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। टीवी चौनलों पर सरकारी खर्च पर इश्तिहार आ सकता है। यानी कुल मिलाकर यह मसला जन शिक्षण और जन जागरण का है। इसे सिर्फ कानूनी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। जरूरत है इस बारे में व्यापक समझदारी पैदा करने की। इसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग जरूर किया जाये क्योंकि अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ इंगलिश तक ही सीमित नहीं है।

लेकिन समस्या की जड़ कहीं और भी है। स्मार्टफोन और डाटा क्रांति ने सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट सुलभ करा दिया है। हालत यह है कि लोग ज्यादातर वक्त वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया की लत के शिकार हो गए हैं। मुश्किल यह भी है कि जितने और जैसे संदेश, वीडियो और फोटो वाट्सऐप और दूसरे जरियों से हमें मिलते हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि कैसे हो। किसी भी संदेश को पढ़ने या वीडियो-फोटो देखने के बाद ज्यादातर लोग विवेक का जरा भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। सोचते तक नहीं कि यह सच भी होगा या नहीं और यहीं से भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। यह सरकार और समाज के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि फर्जी खबरों की असलियत जानने के लिए वाट्सऐप ने वैरिफिकेडो मॉडल लाने की बात कही है। ऐसा मॉडल मैक्सिको और ब्राजील में चुनाव से पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में भी आगामी चुनावों में फर्जी खबरों, अफवाहों के खतरों को देखते हुए इसके प्रयोग की बात उठी है। जरूरी है कि सोशल मीडिया के ऐसे दुरुपयोग पर रोक लगे। इसके लिए लोगों को जागरूक और विवेकशील बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार को निभानी होगी।

OLD NCERT + CURRENT AFFAIRS
TEST-SERIES
11TH AUG.
3:00 P.M.
Medium- (Eng. / हिन्दी)
Offline & Online
दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Program- DLP)
for more details
9654349902
Visit us our
You Tube Channel
GS World IAS Institute
& Subscribe...
DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322
ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579
LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894
http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

सारांश

- व्हाट्सएप के जरिए फैली अफवाह ने एक इंजीनियर की जान ले ली और भीड़ से उसे बचाने में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक इंजीनियर, जो अपने मित्र से मिलने आया था और आसपास के बच्चों को चाकलेट बांट रहा था, उसकी वीडियो शूटिंग करके सोशल मीडिया के शरारती तत्वों ने व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज फैला दिया, जिसमें लिखा था कि कोई बच्चों का अपहरण करता लाल कार में घूम रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को किसी ऐसे कदम के बाबत आगाह किया है कि लोगों के बीच सोशल मीडिया संपर्क और चैटिंग की जासूसी की जाए। कोर्ट ने चेताया है कि एक सोशल मीडिया सर्विलेंस हब की स्थापना वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल की निगाह से देखी जाएगी। जिसका सरकारी तंत्र के हाथों दुरुपयोग भी संभव है।
- ऐसे संदेश तैयार करने, वीडियोग्राफी करने और उसे प्रसारित करने वालों की पहचान व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफार्म पर टैग किया जाना और संदेश के साथ मूल वेबकास्टर का मोबाइल नंबर, मेल आईडी या जैसी पहचान अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया ग्रुप के हर सदस्य, हर कड़ी तक पहुंचते जाना पुलिस तथा इससे प्रभावित पक्ष के लिये मददगार हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई कि हर वॉट्सऐप संदेश और ट्वीट की निगरानी कहीं इस देश को सर्विलांस स्टेट की ओर न ले जाए। बहरहाल, इस आशंका के बावजूद कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत नहीं समझी है और सरकार को नोटिस जारी करके उसका पक्ष जानना चाहा है।
- दूरसंचार सेवाओं के लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के तहत किसी उपभोक्ता की बातचीत का रिकॉर्ड तीसरे पक्ष के साथ साझा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई कानूनी बाध्यता डिजिटल इकाइयों के मामले में सुनिश्चित नहीं की गई है। इसलिए ट्राई ने अपनी सिफारिश में साफ कहा है कि सरकार की ओर से सामान्य डेटा सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया है, लेकिन निजता की सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू नियम या लाइसेंस की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिए। इसलिए सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और ऐप्लिकेशन के नियमन के लिए नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिए।
- ट्राई ने इस पर साफ सुझाव दिया है कि ग्राहकों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि उनसे प्राप्त सूचनाएं भुला दी जाएं, न कि कंपनियां अपने फायदे के लिए उन्हें सहेज कर रखें। इसके अलावा, लोगों को अपनी पसंद का चुनाव करने, असहमति जाहिर करने से लेकर कंपनी बदलने तक का अधिकार होना चाहिए।
- व्हाट्सएप की कंपनी को तमाम अखबारों में पूरे पेज का इश्तिहार देकर बताना पड़ा कि व्हाट्सअप संदेशों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को किस तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- इस विज्ञापन में जो मुख्य बातें कही गयी हैं, वो हैं- 1. अग्रेषित किये संदेशों से सावधान रहें, 2. ऐसी जानकारी की जांच करें, जिस पर यकीन करना कठिन हो, 3. संदेशों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखें, 4. अन्य स्रोतों का उपयोग करें, 5. आप जो देखना चाहते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं, 6. ऐसी जानकारी या तथ्यों पर सवाल उठाएं जो आपको परेशान करती हों, 7. ऐसे संदेशों से बचें जो थोड़े अलग दिखते हों, 8. लिंक की जांच करें, 9. सोच-समझकर संदेशों को साझा करें।
- दुनिया भर में 180 देशों में डेढ़ अरब यानी करीब 150 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- वाट्सऐप में अभी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह से आए संदेशों को दूसरों को भेजने की संख्या पांच तक सीमित कर दी गई है।
- फर्जी खबरों की असलियत जानने के लिए वाट्सऐप ने वैरिफिकेडो मॉडल लाने की बात कही है। ऐसा मॉडल मैक्सिको और ब्राजील में चुनाव से पहले इस्तेमाल किया गया था।

सोशल मीडिया

- सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है, जो बाकी सारे मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और समानांतर मीडिया) से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम) आदि का उपयोग कर पहुंच बना सकता है।
- सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया (nontraditional media) है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है, जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह द्रुत गति से सूचनाओं के आदान-प्रदान करने, जिसमें हर क्षेत्र की खबरें होती हैं, को समाहित किए होता है।
- सोशल मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इन्टरनेट फोरम, वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लागिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं।
- फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है जिसमें उनकी आयु, रूचि, लिंग, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है
- सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं जिनसे कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है।
- 2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव के जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी।
- सोशल मीडिया के माध्यम से ही निर्भया को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया एवं ज्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई।
- लोकप्रियता के प्रसार में सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने किसी उत्पाद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज फिल्मों के ट्रेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।
- वीडियो तथा ऑडियो चैट भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुगम हो पाई है जिनमें फेसबुक, व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है?
   (a) फेसबुक
   (b) व्हाट्सएप
   (c) गूगल
   (d) स्नैपचैट

   (उत्तर-C)

2. निम्नलिखित में से 'सोशल मीडिया' ने हाल ही में इश्तिहार देकर संदेशों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर कैसे ध्यान दिया जाए यह बताया है?
   (a) व्हाट्सएप
   (b) माइक्रोसॉफ्ट
   (c) फेसबुक
   (d) वीचैट

   (उत्तर-A)

3. सोशल मीडिया से संबंधित 'वैरिफकेडो मॉडल' का प्रयोग किस कंपनी ने करने की बात की है?
   (a) फेसबुक
   (b) व्हाट्सएप
   (c) स्नैपचैट
   (d) गूगल

   (उत्तर-B)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और समानान्तर मीडिया) से अलग है।
   1. ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के उदाहरण हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-C)

5. भारत में सोशल मीडिया के प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं?

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

2. कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप 'इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम युद्ध' (ब्लइमत ॅतिम) से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूप-रेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

3. डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस. क्या है और इसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है?

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2015)

4. विचार करते हुए कि साइबरस्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक 'डिजिटल सशस्त्र बल' की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2015)

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है?

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2016)

6. भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2016)

7. गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद् चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2016)

8. भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए, इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

भारतीय अर्थव्यवस्था की नई छलांग

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (आर्थिकी) से संबंधित है।

हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व बैंक के अनुसार फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसकी रिपोर्ट यह भी कहती है कि एक औसत भारतीय और एक औसत फ्रांसीसी की कमाई में बीस गुणा से अधिक अंतर है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'पत्रिका', 'प्रभात खबर' और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

खुशफहमी क्यों (पत्रिका)

वर्ल्ड बैंक के हवाले से हाल ही खुशखबरी दी गई है कि भारत ने फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की हैसियत हासिल कर ली। यह आकलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आधारित है। भारत की जीडीपी वर्ष 2017 के अंत तक 2.597 लाख करोड़ डॉलर जबकि फ्रांस की 2.582 लाख करोड़ डॉलर रही। भारत की आबादी 135 करोड़ और फ्रांस की करीब साढ़े छह करोड़ है। यानी इस कुल रकम में से प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी में भारी अंतर के बावजूद इतराने की वजह अबूझ है। एक दशक में भारत की जीडीपी 116 फीसदी से भी अधिक बढ़ गई लेकिन फ्रांस की जीडीपी इस अवधि में 2.8 फीसदी घटी। भारत का, विकसित फ्रांस से आगे निकलना, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक का शीर्ष पर पहुंचना सरकारी प्रचार के लिहाज से अच्छी सामग्री हो सकती है। सवाल यह है कि जीडीपी के इस पहाड़ के बरक्स एक आम भारतीय के जीवन में कितना फर्क पड़ा। क्या हमारे गांवों में सौभाग्य व खुशहाली के गीत गाए जाने लगे हैं।

वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट से स्पष्ट है कि एक औसत भारतीय और एक औसत फ्रांसीसी की कमाई में बीस गुना से अधिक अंतर है। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने भारत को 123वें स्थान पर रखा है, जबकि फ्रांस 25वें स्थान पर है। अगर इन सभी पैमानों को शहरी और ग्रामीण भारत में विभाजित किया जाए तो हकीकत और तकलीफदेह दिखेगी। सरकार के आंकड़ों को ही उधेड़कर आर्थिक विशेषज्ञ मोहन गुरुस्वामी दिखाते हैं कि जीडीपी का यह पहाड़ कितना खोखला है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाया जा रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की चिमनियों में धुआं नहीं है, नतीजा - बेरोजगारी की स्थिति देश में भयावह हो चुकी है। फ्रांस को पछाड़ने वाले देश में मेक इन इंडिया का हश्र हमारे सामने है। पड़ोसी चीन हमें धूपबत्ती-अगरबत्ती से लेकर हैवी मशीनरी तक बेच रहा है। आंकड़े तो यह भी बता रहे हैं कि पड़ोसी बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय जिस रफ्तार से बढ़ रही है, दो साल में वे भारतीयों से आगे निकल जाएंगे।

बहरहाल, जीडीपी के आंकड़ों की हकीकत की विवेचना से परे, यह जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत हो। जनता का स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की समझ, संतुष्टि और इन पहलुओं पर उसके नागरिकों की स्थिति का आकलन आज के दौर में ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। वरना इसी देश में पंजाब, हरियाणा व कुछ अन्य क्षेत्रों में खेती से

भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां (प्रभात खबर)

यकीनन आर्थिक सुधारों के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में तेज वृद्धि हुई है। जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपये और कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सार्वजनिक बैंकों में बढ़ता खराब कर्ज (एनपीए) मार्च 2018 तक चिंताजनक स्तर पर पहुंचते हुए 10.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ठोस प्रयासों से जहाँ अर्थव्यवस्था को और ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकेगा, वहीं आम आदमी की खुशहाली भी बढ़ सकेगी।

बीते 11 जुलाई को प्रकाशित विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017 के अंत में भारत की जीडीपी 2.6 लाख करोड़ डॉलर (178.59 खरब रुपये) हो गयी। पांच अन्य अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं। विश्व बैंक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है।

यदि भारत आर्थिक और कारोबार सुधारों की प्रक्रिया को वर्तमान की तरह निरंतर जारी रखता है, तो वह वर्ष 2018 में ब्रिटेन को पीछे करते हुए दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी अपनी नयी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है।

भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जिलेवार कृषि-उद्योग के विकास, बुनियादी ढांचे में मजबूती एवं निवेश मांग के निर्माण में यथोचित वृद्धि करने के लिए जो रणनीति बनायी गयी, उससे 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5,000 अरब डॉलर तक पहुंच जायेगा, जो अभी 2,500 अरब डॉलर के करीब है।

चीन में 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और 2019 मे 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि आईएमएफ का कहना है कि 2018 में भारत की विकास दर 7.4 फीसदी रहेगी तथा 2019 में 7.8 फीसदी हो जायेगी। जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा है। आर्थिक उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था को चमकाने में भारतीय मध्यम वर्ग की भी विशेष भूमिका है।

देश की विकास दर के साथ-साथ शहरीकरण की ऊंची वृद्धि दर के बलबूते भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ी है और भारत का मध्यम वर्ग लंबे समय तक भारत में अधिक उत्पादन, अधिक बिक्री और अधिक मुनाफे का स्रोत बना रहेगा।

Committed To Excellence

कमाई के उदाहरण दिए जाते थे, वहाँ अंधाधुंध रासायनिक खाद ने कृषि भूमि बंजर बनाकर कैंसर रोगियों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ाई है, हमारी आंखें खोलने के लिए क्या काफी नहीं? इसी साल संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में कुल 156 देशों की लिस्ट में भारत 11 स्थान और फिसलकर 133वें नंबर पर था। अमरीका 18वें, फ्रांस 23वें और फिनलैंड पहले स्थान पर थे। समृद्धि के आर्थिक पैमाने इस खुशहाली के आगे बेमानी हैं।

जोखिम में है वृहद स्थिरता की स्थिति (बिजनेस स्टैंडर्ड)

कुछ माह पहले वर्ष 2018 के आरंभ में देश की वृहद अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी। विश्व अर्थव्यवस्था भी पूरे एक दशक की सबसे तेज गति से वृद्धि कर रही थी। हमारी आर्थिक वृद्धि भी नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के दोहरे झटके से उबरकर ठीकठाक ढंग से आगे बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति की दर 5 फीसदी से नीचे थी, राजकोषीय रुझान भी ठीक थे और पूंजीगत आवक चालू खाते के घाटे की तुलना में बेहतर होने के कारण भुगतान संतुलन भी प्रबंधन के स्तर पर था।

पिछले छह महीनों में यह सबकुछ बदल गया है। तेल कीमतों में इजाफा तथा अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के बीच गंभीर कारोबारी युद्ध की आशंका ने वैश्विक उत्पादन और कारोबार में वृद्धि की संभावनाओं को सीमित किया है। इससे भारत समेत उभरते बाजारों में पूंजी की आवक भी प्रभावित हुई है। निवेशकों को अमेरिका में निवेश सुरक्षित नजर आ रहा है। रुपये का तेजी से अवमूल्यन हुआ है और वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर की पोर्टफोलियो पूंजी देश से बाहर चली गई। इसका दो तिहाई हिस्सा डेट में और बाकी इक्विटी में था। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, राजकोषीय स्थिति भी तनाव में नजर आ रही है और ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। भुगतान संतुलन दबाव में आ चुका है।

आखिर हो क्या रहा है? अधिकांश टीकाकार विपरीत बाहरी कारकों पर निर्भर हैं। मेरी दृष्टि में देश की वृहद अर्थव्यवस्था में मध्यम अवधि की कमजोरी की भी इसमें अहम भूमिका है। हाल के वर्षों में ऐसी दो बड़ी कमजोरी हैं देश के सरकारी बैंकों का गहरा और लंबा खिंचता संकट और विदेशी व्यापार में भारी कमी। इस कमी के लिए भी देश के वाणिज्यिक निर्यात में आया ठहराव जिम्मेदार है। यह भुगतान संतुलन में सबसे अधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। दोनों समस्याओं की जड़ पिछली सरकार के कार्यकाल में निहित है लेकिन मौजूदा सरकार को भी इससे जूझना पड़ा है।

वाणिज्यिक बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या, खासतौर पर सरकारी बैंकों की समस्या के मामले में सरकार और आरबीआई ने इन परिसंपत्तियों को चिह्नित करने की गति तेज कर दी है। सरकारी बैंकों को पूंजी भी मुहैया कराई गई है और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता प्रस्तुत की गई है ताकि निस्तारण और वसूली की प्रक्रिया तेज की जा सके। गत सप्ताह सरकार द्वारा स्वीकृत सुनील मेहता पैनल की अनुशंसाओं में सरकारी बैंकों में निस्तारण प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए पंचकोणीय रुख की बात कही गई। हालांकि इसके प्रभाव का आकलन अभी होना है। आशंका तो यह भी है कि यह आईबीसी की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

इन पहलों के बावजूद आरबीआई की जून 2018 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में इजाफा हो सकता है और यह 11.6 फीसदी से बढ़कर 12.2 फीसदी हो सकता है। 11 सरकारी बैंकों के लिए यह अनुपात 21 फीसदी से बढ़कर 22.3

देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी चुनौती तुलनात्मक रूप से कम प्रतिव्यक्ति आय से संबंधित है। देश में आर्थिक असमानता चिंताजनक है। देश में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

लेकिन आम आदमी की आमदनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इन चुनौतियों का समाधान करने पर ही अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी। इसलिए बुनियादी ढांचा मजबूत करना होगा। निवेश में वृद्धि करनी होगी। नयी मांग का निर्माण करना होगा। विनिर्माण के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना होगा। मेक इन इंडिया योजना को गतिशील करना होगा।

उन ढांचागत सुधारों पर भी जोर देना होगा, जिसमें निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। तभी भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की नयी संभावनाएं आकार ग्रहण कर सकती हैं। मेक इन इंडिया की सफलता के लिए कौशल प्रशिक्षित युवाओं की कमी को दूर करना होगा। उद्योग-व्यवसाय में कौशल प्रशिक्षितों की मांग और आपूर्ति में बढ़ता अंतर दूर करना होगा।

पिछले दिनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज' ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और रुपये की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट से अब पेट्रोल और डीजल में आ रही तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

ऐसे में यह उचित होगा कि देश को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से बचाने के लिए सरकार अपना ध्यान ऊर्जा नीति को नये सिरे से तैयार करने पर केंद्रित करे, ताकि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से होनेवाली आर्थिक मुश्किलों को कम किया जा सके। सरकार द्वारा बिजली से चलनेवाले वाहनों पर काफी जोर देना होगा। इलेक्ट्रिक कारों को टैक्स कम करके बढ़ावा देना होगा।

जून, 2018 में नीति आयोग द्वारा दिये गये उस महत्वपूर्ण सुझाव पर गौर करना होगा, जिसमें कहा गया है कि राज्य परिवहन निगमों को लक्ष्य देना होगा कि वे अपने परिवहन बेड़े में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करें। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सार्वजनिक परिवहन सुविधा को सरल बनायें।

हम आशा करें कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के मद्देनजर दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चमकते हुए भारत को आगामी 10-12 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील करने के लिए सरकार विनिर्माण क्षेत्र एवं कौशल प्रशिक्षण को नये आयाम देगी. सरकार मांग और निवेश में वृद्धि करने की डगर पर आगे बढ़ेगी। साथ ही वह स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर यथोचित ध्यान देगी।

सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रही तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और पेट्रोल-डीजल के विकल्पों पर वह नयी रणनीति बनायेगी। आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के लिए भी वह रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। ऐसा होने पर निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगी।

चमकीली तस्वीर (बिजनेस स्टैंडर्ड)

कई क्षेत्रों में फैले निराशावाद के बावजूद असल में ऐसे साक्ष्य बढ़ रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की पुष्टि करते हैं। वस्तुनिष्ठ रूप से देखने पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्त्व इतने सशक्त नजर आते हैं कि देश उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बहने

Committed To Excellence

फीसदी हो सकता है। यह सब आरबीआई का अनुमान है जो आमतौर पर आशावादी माना जाता रहा है। लब्बोलुआब यह कि बैंकिंग व्यवस्था अगले 2-3 साल तक दिक्कत में रहेगी। ऋण वृद्धि सीमित रहेगी और समर्थन व पुनर्पूंजीकरण का राजकोषीय बोझ बढ़ता जाएगा। सरकारी बॉन्ड को लेकर बैंकों की मांग कमजोर रहेगी और ब्याज दरों पर दबाव बनेगा।

देश में बाहरी भुगतान की स्थिति भी बीते कुछ वर्ष में खराब हुई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2017-18 में 6.2 फीसदी बढ़ा है। जबकि आयात में बढ़ोतरी हुई तथा निर्यात 14 साल में पहली बार 12 फीसदी के नीचे आ गया। आश्चर्य की बात है कि डॉलर के संदर्भ में देश के निर्यात का मूल्य वर्ष 2017-18 में 2011-12 से मामूली कम रहा। हालिया रुझान के लिए अकेले तेल क्षेत्र को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जीडीपी के 3.4 फीसदी के साथ गैर तेल कारोबार का घाटा वर्ष 2017-18 में सन 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर है। वर्ष 2017-18 में गैर तेल निर्यात का अनुपात 10.2 फीसदी रहा जो 15 साल में सबसे कम है। काफी संभावना है सरकार और आरबीआई ने जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक रुपये की वास्तविक विनिमय दर में 20 फीसदी तक का इजाफा हुआ। इसने देश के व्यापारिक प्रदर्शन को खराब करने में अहम भूमिका निभाई।

शुद्ध 'अदृश्य अनुपात' में भी लगातार गिरावट आई और यह वर्ष 2013-14 के 6.2 फीसदी से गिरकर 2017-18 में 4.3 फीसदी रह गया। यह एकदम वैसा ही है जैसी गिरावट सॉफ्टवेयर निर्यात और निजी स्थानांतरण (विदेश से आने वाला धन) के रूप में दो प्रमुख निर्यात में देखने को मिली। इनका निर्यात 7.1 फीसदी से घटकर 5.2 फीसदी पर आ गया। इन रुझानों के साथ आश्चर्य नहीं कि चालू खाते का घाटा वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1.9 फीसदी हो गया। वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 2.5 से 3.0 फीसदी हो सकता है।

मध्यम अवधि की इन अनसुलझी वृहद कमजोरियों को अगर मौजूदा विपरीत बाहरी परिस्थितियों मसलन बढ़ती तेल कीमतों, कारोबारी जंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकदी की तंगी से जोड़कर देखा जाए तो ये सब देश की वृहद आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि रुपये की विनिमय दर, मुद्रास्फीति और ब्याज दर तीनों दबाव का विषय हैं। ये सभी कठिन वक्त का संकेत दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किया जाना चाहिए? आदर्श स्थिति में तो हमें चार साल में रुपये की विनिमय दर इतनी नहीं बढने देनी थी। हमें जल्दी कदम उठाना था और बैंकिंग संकट को समय पर पहचानना और हल करना था। अब हम क्या कर सकते हैं? मेरी राय में कुछ बातें हैं, हालांकि चुनावी वर्ष में उनमें से कुछ का क्रियान्वयन मुश्किल हो सकता है:

रुपये को बाजार के हिसाब से अवमूल्यित होने देना चाहिए। आरबीआई अस्थिरता के हिसाब से कुछ हस्तक्षेप कर सकता है।

निर्यातकों को जीएसटी रिफंड की गति बढ़ाई जाए।

केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल के दिनों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और राज्यों की कर्ज माफी जैसे कदम उठाए गए। उनसे लगता है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊंचा होगा। सरकार को अपनी उधारी बढ़ानी होगी और इससे ब्याज दर बढ़ेगी।

आईबीसी की दोहरी बैलेंस शीट की समस्या को हल करने को लेकर डटे रहने की जरूरत है।

ऐसे नीतिगत कदम न उठाए जाएं जिनका बचाव करना मुश्किल हो। मसलन आईडीबीआई बैंकों की खरीद के लिए एलआईसी की मदद लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि वृहद आर्थिक स्थिरता के दबाव में होने पर सरकारी की नीतिगत विश्वसनीयता भी दांव पर होती है।

वाली हवा से मामूली रूप से ही प्रभावित दिखता है। तुर्की और ब्राजील जैसे कई देश आज संकट के मुहाने पर खड़े हैं जिसके लिए अमेरिका में आर्थिक वृद्धि की बहाली होने से पूंजी की तीव्र निकासी और मौद्रिक नीति को कड़ा करने के फेडरल रिजर्व के संकेतों को जिम्मेदार माना जा सकता है। ये देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते घाटे और मुद्राओं में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी मुद्राओं को संभालने के लिए खास उपायों का सहारा लेना पड़ा है। फिर भी भारत इसका अपवाद बना हुआ है।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में हो रहे सुधार और अंतर्निहित वृहद आर्थिक स्थिरता का परिचायक है। आर्थिक स्थिरता आंशिक रूप से उस भरोसे से पैदा हुई है कि सरकार पिछले साल लक्ष्य से चूकने के बाद भी राजकोषीय सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने भले ही काफी संदेह और रिफंड के बारे में शिकायतों को जन्म दिया लेकिन राजस्व के आंकड़े अच्छे रहे हैं और जीडीपी के बरअक्स कर अनुपात अप्रत्याशित रूप से काफी अधिक है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा भी हासिल कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का मानना है कि वर्ष 2022 तक भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा।

सावधानी से देखें तो अर्थव्यवस्था में तेजी लौटने के कई संकेत नजर आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए निक्केई इंडिया का खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून महीने में 52.1 से बढकर 53.1 हो गया। पीएमआई के मुताबिक जून में सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है जो एक साल में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार है। साफ तौर पर मांग सुधरने के भी संकेत दिख रहे हैं। बैंकों की ऋण वृद्धि भी अब दोहरे अंक में पहुंच चुकी है और पिछले कुछ महीनों से इस दायरे में बनी हुई है। जून में यात्री वाहनों की बिक्री 37 फीसदी से अधिक बढ़ी जो एक दशक में सर्वाधिक है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि भी 2011-12 के स्तर पर नजर आई है। इसी तरह रेलवे की माल ढुलाई में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की वृद्धि हालांकि 2017 के आखिरी महीनों की तुलना में हल्की धीमी हुई है लेकिन फिर भी मई में भारत लगातार 45वें महीने दो अंकों में यात्री वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहा है। विमानन कंपनियां वित्तीय रूप से भी अच्छी स्थिति में नजर आ रही हैं। संभवत: सबसे अहम बात यह है कि लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद गैर-तेल निर्यात भी बढ़ता दिख रहा है।

इस उम्मीद की पर्याप्त वजह है कि अर्थव्यवस्था का यह सशक्त प्रदर्शन और उभरते बाजारों में भारत की अलग स्थिति आगे भी कायम रहेगी। वैश्विक प्रगति में सुधार हो रहा है और इस तरह निर्यात भी अनुकूल दिशा में ही रहना चाहिए। अमेरिका पूर्ण रोजगार के करीब है और भारत के बाकी निर्यात बाजारों का प्रदर्शन भी अच्छा है। सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं के निर्यात की संभावना भी बेहतर हो रही है। मॉनसून के भी छिटपुट भौगोलिक असमानताओं के बावजूद काफी हद तक अपेक्षा के अनुरूप रहने के आसार हैं। बारिश अच्छी होने से ग्रामीण मांग भी अच्छी रहने की उम्मीद है। नोटबंदी और जीएसटी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे दोहरे झटके अब अतीत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर वैश्विक पूंजी को वृद्धि एवं स्थायित्व देने वाले इकलौते उभरते बाजार के तौर पर भारत की असाधारण हैसियत कुछ समय तक जारी रह सकती है।

GS World
Committed To Excellence

सारांश

- वर्ल्ड बैंक के हवाले से हाल ही में खुशखबरी दी गई है कि भारत ने फ्रांस को पछाडकर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की हैसियत हासिल कर ली। यह आकलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आधारित है।
- भारत की जीडीपी वर्ष 2017 के अंत तक 2.597 लाख करोड़ डॉलर जबकि फ्रांस की 2.582 लाख करोड़ डॉलर रही। भारत की आबादी 135 करोड़ और फ्रांस की करीब साढ़े छह करोड़ है।
- इस कुल रकम में से प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी में भारी अंतर के बावजूद इतराने की वजह अबूझ है। एक दशक में भारत की जीडीपी 116 फीसदी से भी अधिक बढ़ गई लेकिन फ्रांस की जीडीपी इस अवधि में 2.8 फीसदी घटी।
- वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट से स्पष्ट है कि एक औसत भारतीय और एक औसत फ्रांसीसी की कमाई में बीस गुना से अधिक अंतर है। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने भारत को 123वें स्थान पर रखा है, जबकि फ्रांस 25वें स्थान पर है।
- इसी साल संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में कुल 156 देशों की लिस्ट में भारत 11 स्थान और फिसलकर 133वें नंबर पर था। अमरीका 18वें, फ्रांस 23वें और फिनलैंड पहले स्थान पर थे। समृद्धि के आर्थिक पैमाने इस खुशहाली के आगे बेमानी हैं।
- सार्वजनिक बैंकों में बढ़ता खराब कर्ज (एनपीए) मार्च, 2018 तक चिंताजनक स्तर पर पहुंचते हुए 10.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- बीते 11 जुलाई को प्रकाशित विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017 के अंत में भारत की जीडीपी 2.6 लाख करोड़ डॉलर (178.59 खरब रुपये) हो गयी। पांच अन्य अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं। विश्व बैंक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी अपनी नयी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है।
- भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जिलेवार कृषि-उद्योग के विकास, बुनियादी ढांचे में मजबूती एवं निवेश मांग के निर्माण में यथोचित वृद्धि करने के लिए जो रणनीति बनायी गयी, उससे 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5,000 अरब डॉलर तक पहुंच जायेगा, जो अभी 2,500 अरब डॉलर के करीब है।
- चीन में 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और 2019 मे 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि आईएमएफ का कहना है कि 2018 में भारत की विकास दर 7.4 फीसदी रहेगी तथा 2019 में 7.8 फीसदी हो जायेगी।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज' ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और रुपये की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट से अब पेट्रोल और डीजल में आ रही तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- जून, 2018 में नीति आयोग द्वारा दिये गये उस महत्वपूर्ण सुझाव पर गौर करना होगा, जिसमें कहा गया है कि राज्य परिवहन निगमों को लक्ष्य देना होगा कि वे अपने परिवहन बेड़े में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करें।
- रुपये का तेजी से अवमूल्यन हुआ है और वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर की पोर्टफोलियो पूंजी देश से बाहर चली गई। इसका दो तिहाई हिस्सा डेट में और बाकी इक्विटी में था।
- गत सप्ताह सरकार द्वारा स्वीकृत सुनील मेहता पैनल की अनुशंसाओं में सरकारी बैंकों में निस्तारण प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए पंचकोणीय रुख की बात कही गई।
- आरबीआई की जून, 2018 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में इजाफा हो सकता है और यह 11.6 फीसदी से बढ़कर 12.2 फीसदी हो सकता है। 11 सरकारी बैंकों के लिए यह अनुपात 21 फीसदी से बढ़कर 22.3 फीसदी हो सकता है।
- जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2017-18 में 6.2 फीसदी बढ़ा है। जबकि आयात में बढ़ोतरी हुई तथा निर्यात 14 साल में पहली बार 12 फीसदी के नीचे आ गया।
- जीडीपी के 3.4 फीसदी के साथ गैर तेल कारोबार का घाटा वर्ष 2017-18 में सन 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर है। वर्ष 2017-18 में गैर तेल निर्यात का अनुपात 10.2 फीसदी रहा जो 15 साल में सबसे कम है।
- तुर्की और ब्राजील जैसे कई देश आज संकट के मुहाने पर खड़े हैं जिसके लिए अमेरिका में आर्थिक वृद्धि की बहाली होने से पूंजी की तीव्र निकासी और मौद्रिक नीति को कड़ा करने के फेडरल रिजर्व के संकेतों को जिम्मेदार माना जा सकता है। ये देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते घाटे और मुद्राओं में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी मुद्राओं को संभालने के लिए खास उपायों का सहारा लेना पड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह विशाल जनशक्ति आधार, विविध प्राकृतिक संसाधनों और सशक्त वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों के कारण व्यवसाय और निवेश के अवसरों के सबसे अधिक आकर्षक गंतव्यों में से एक है। वर्ष 1991 में आरंभ की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में फैले नीतिगत ढाँचे के उदारीकरण के माध्यम से एक निवेशक अनुकूल परिवेश मिलता रहा है।
- 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ, परंतु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है

- आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विश्व के कुल जीडीपी का 32.9%% था ; सन् 1000 में यह 28.9% था ; और सन् 1700 में 24.4% था।
- ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आजादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई।
- आजादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ-साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया।
- तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने उस समय के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया, अब तक भारत 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुका।
- भारत बहुत से उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादको में से है। इनमें प्राथमिक और विनिर्मित दोनों ही आते हैं। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेंह, चावल, चाय, चीनी, और मसालों के उत्पादन में अग्रणियों मे से एक है यह लौह अयस्क, वाक्साइट, कोयला और टाईटेनियम के समृद्ध भंडार हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही उदाहरण है इसका अर्थ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सह-अस्तित्व और यहाँ कार्य करता है, साथ ही साथ। एक ओर, कुछ बुनियादी और भारी औद्योगिक इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र के तहत संचालित की जा रही हैं। जबकि, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारणों के कारण, क्षेत्र के दायरे में निजी क्षेत्र ने आगे बढ़े हैं। इससे यह एक एकल आर्थिक बादल के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का संचालन और समर्थन किया जा रहा है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था, मूल रूप से सेवा क्षेत्र (वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा प्रदान करता है) के योगदान और कृषि (जनसंख्या के लगभग 53% लोग) पर निर्भर है
- भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30 प्रतिशत का योगदान है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में योगदान 2 से 4 प्रतिशत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राय: सभी उद्योंगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान व विकास पर भी कम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ उद्योंगों में किया जाता है।

You Deserve the Best...

Niraj Singh (M.D.) Divyasen Singh (Co-ordinator)

IAS GS WORLD PCS

Committed To Excellence

ISO 9001 Certified

सिविल सेवा परीक्षा–2017 में सफल अभ्यर्थी

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch Starts...

दिल्ली केन्द्र	इलाहाबाद केन्द्र	लखनऊ केन्द्र
10 Aug.	16 Aug.	22 Aug.
11:45 am	8:00 am	8:30 am / 6:00 pm
	Bilingual	Bilingual
	Medium :- हिन्दी & English	Medium :- हिन्दी & English

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है?
   (a) लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था
   (b) जनवादी अर्थव्यवस्था
   (c) समाजवादी अर्थव्यवस्था
   (d) मिश्रित अर्थव्यवस्था

   (उत्तर-D)

2. भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में कितना है?
   (a) 2.8 ट्रिलियन डॉलर
   (b) 1.6 ट्रिलियन डॉलर
   (c) 2.2 ट्रिलियन डॉलर
   (d) 2 ट्रिलियन डॉलर

   (उत्तर-A)

3. 'क्रय-शक्ति समता' के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत किस क्रम पर है?
   (a) दूसरी
   (b) तीसरी
   (c) चौथी
   (d) पाँचवीं

   (उत्तर-B)

4. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत, फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके आकलन का आधार क्या है?
   (a) सकल घरेलू उत्पाद
   (b) क्रय-शक्ति समता
   (c) प्रति व्यक्ति आय
   (d) कुल राष्ट्रीय आय

   (उत्तर-A)

5. भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि भारत के समावेशी विकास की कसौटी पर कितना खरा है? चर्चा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस इंडेक्स' में भारत की रैंकिंग कभी-कभी समाचारों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन इस रैंकिंग की घोषणा करता है?
   (a) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
   (b) विश्व आर्थिक मंच
   (c) विश्व बैंक
   (d) विश्व व्यापार संगठन

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-C)

2. निम्नलिखित में से कौन 'वैश्विक आर्थिक संभावना' रिपोर्ट जारी करता है?
   (a) एशियन विकास बैंक
   (b) पुनर्रचना एवं विकास के लिए यूरोपीय बैंक
   (c) यू. एस. फेडरल रिजर्व बैंक
   (d) विश्व बैंक

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-D)

3. निम्नलिखित में से किस देश की जीडीपी प्रति व्यक्ति सबसे कम है?
   (a) चीन (b) भारत
   (c) इंडोनेशिया (d) श्रीलंका

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2003, उत्तर-B)

4. आर्थिक वृद्धि सामान्यतया संबंधित है-
   (a) अपस्फीति (b) मुद्रास्फीति
   (c) मुद्रास्फीति जनक मंदी (d) बेलग्राम मुद्रास्फीति

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2011, उत्तर-B)

5. एक देश की आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे उचित तरीका क्या है?
   (a) सकल घरेलू उत्पाद
   (b) कुल घरेलू उत्पाद
   (c) कुल राष्ट्रीय उत्पाद
   (d) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2001, उत्तर-D)

6. भारत में अठारहवीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2014)

7. "लेनिन की नव आर्थिक नीति-1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात् भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था।" मूल्यांकन कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2014)

8. परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2017)

9. क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है?

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2016)

GS World
Committed To Excellence

भारतीय न्यायपालिका एवं पारदर्शिता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन प्रणाली) से संबंधित है।

भारत में न्यायालयों में होने वाली कार्यवाही के लाईव-टीवी प्रसारण के संदर्भ में चर्चा जारी है। इससे जहाँ न्यायपालिका में पारदर्शिता आएगी वहीं मुकद्मों के बोझ से मुक्त होने की भी संभावना है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'पत्रिका', 'दैनिक जागरण', 'दैनिक ट्रिब्यून' तथा 'अमर उजाला' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

इन्साफ सबके लिए समान फिर भी भेद क्यों? (पत्रिका)

हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक ही कानून व्यवस्था हमारे समाज में लागू है पर परेशानी कहाँ है? सवाल यह है, अगर कानूनों के पालन करने वाले यानी नागरिकों की बात की जाए तो यहाँ बड़े तौर पर भेदभाव पाया जाता है। भेदभाव? यह एक गहरा अध्ययन का विषय है। जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता पर समाज इसकी बड़ी चपेट में है इसमें देश के मामूली से मामूली नागरिक शामिल हैं। अब सवाल उठता है क्यों और कैसे?

कानून व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली का योगदान ज्यादा होता है जो अपराधों की सूची को कम करने का प्रयास करता है पर न्याय मिले या नहीं यह बात अलग है न्याय स्थान (थाना क्षेत्र, कोर्ट, नेता के घर) पर भेद पाए जाते हैं यह भेद धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप में भी हो सकते हैं। अब किस तरह न्याय को समाज के सामने परोस रहे हैं यह जान पाना मुश्किल है। नागरिक अगर परेशान (अपराधी या पीड़ित) हैं उसे दूर करने के लिए वह सबसे पहले थाने जाकर न्याय की उम्मीद करता है चाहे वह गरीब हो या अमीर, एक अच्छे कपड़ों, गाड़ी आदि के साथ व्यक्ति थाने जाता है तो उसे आदर के साथ बिठा कर सम्मान दिया जाता है चाहे वह अपराधी क्यों न हो। उसको हर तरफ से सहारा दिया जाता है अगर कोई निर्दोष गरीब लोगों इंसाफ के लिए जाता है तो उससे बात तक नहीं की जाती। क्यो? इस वजह से की वो गरीब है।

कोर्ट में लाखों केस दर्ज किए जाते हैं पर न्याय क्यो नहीं किया जाता? अपराधियों को मोहलत क्यों दी जाती है सिर्फ इसलिए तुमने कम महान काम किया है अभी तो जमानत होकर तुम्हें और काम करने है। कानून का उल्लंघन करने के लिये भी कई कानून बनाए जाते हैं पर उसका फायदा किया? कानूनों को लागू करने के बाद उसको माना नहीं जाता क्यों? कानून संविधान का अंश होता है क्या संविधान इतना कमजोर है या उसे बना दिया है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों अपराध हो रहे हैं, इसलिए ही न्याय नहीं होता यह भी एक व्यवसाय बन गया है, जरा पैसे कमालें तभी तो इंसाफ देंगे नहीं तो कहाँ से चलेगा खर्चा वाकिलों का, पुलिस वालों का, इसी तरह कई लोग इंसाफ की देहलीज पर आते ही नहीं क्योंकि यहाँ इंसाफ को पैसों से तोला जाता है अपराधों से नहीं।

निर्भया केस ने रूह को झिंझोड़ के रख दिया था आज भी वही क्यो और कब तक,और हम से कितनी बेटियों को खो देंगे अगर उस समय निर्भया को हाथों हाथ इंसाफ दे दिया जाता तो शायद आसिफा के साथ यह ना हुआ होता। आसिफा.. तुम बहादुर थी,तुम्हारी मासूमियत को उनकी हैवानियत ने लूट लिया, ऐसा क्यो किया, तुम वापस तो नहीं आ सकती

न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए (दैनिक जागरण)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दायर अनेक जनहित याचिकाओं को पहले रद करने के बाद उन पर गौर करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत, खुली अदालतों की कार्यवाही देखने का भी अधिकार है। विधानसभा और संसद की तरह यदि अदालतों की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण हो जाए तो देश में करोड़ों लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। हर मुकदमे में यदि दो पक्षकार हों और हर पक्षकार के परिवार में औसतन चार सदस्य हों तो 2.86 करोड़ लंबित मुकदमों में देश के 25 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से त्रस्त होंगे। इसमें उन लोगों की संख्या शामिल नहीं है जो नगर निगम इंस्पेक्टर, आयकर अधिकारी और पटवारी जैसे सरकारी अधिकारियों के नोटिस का जवाब देने में परेशान रहते हैं। अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं। मुकदमेबाजी के सभी पक्षकार यदि अदालतों की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हर तारीख में आ जाएं तो अदालतों के साथ देश की अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी।

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1991 में यह निर्णय दिया था कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम उठाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1990 और निचली अदालतों में 1997 से कंप्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद तारीख पता करने और फैसले की नकल लेने के लिए अदालतों का चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है। देश में सूचना क्रांति और उदारीकरण के शुरुआती दौर में 1989 से दूरदर्शन के माध्यम से लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण शुरू होने के बावजूद अदालतों को इससे क्यों गुरेज है? सभी इससे परिचित हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने विधायकों की खरीद फरोख्त और अराजकता पर लगाम लगी थी। सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस के बाद लोगों की अदालती मामलों में दिलचस्पी बढ़ गई है। अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू होने से देश में न्यायिक सुधारों को एक नया मुकाम मिल सकता है।

संविधान के अनुसार देश में खुली अदालतों का चलन है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कुछ निचली अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी हुई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के एक

पर इंसाफ तो मिल सकता है।. आज इंसानियत खत्म हो गई और हैवनियत शुरु कहा गए वो लोग जो इज्जत दिया करते थे, ऊँची आवाज तक नहीं करते थे, कल भी वही धार्मिक लोग हुआ करते थे जो आज है फिर इतनी हवस कहां से आई, हवस जो एक बड़ी बर्बादी है।. इस हवस को खतम करके आसिफा जैसी कितनों को बचाया जा सकता है इसमें बड़ा योगदान न्याय का है अगर न्याय ऐसा हो जिससे अपराधियों की रूह कांप उठे फिर पता चलेगा कि क्या होती है हवस..।

न्याय का तकाजा (दैनिक ट्रिब्यून)

सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने के बाबत सिफारिश दोहराने के साथ ही जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को अनदेखा करने की मंशा स्पष्ट कर दी है। यानी सरकार के साथ उलझा विवाद अभी सुलझने वाला नहीं है। कोलेजियम ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की आपत्तियों को इसलिये खारिज किया कि न्यायमूर्ति जोसेफ की काबिलियत पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का पदोन्नति ही एक मुद्दा नहीं था। कोलेजियम ने कानून मंत्रालय की अन्य आपत्तियों, उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखा है और अपने कुछ पुराने निर्णयों को वापस लेने की भी मंशा जताई है। दरअसल, कानून मंत्रालय ने सिर्फ न्यायाधीश जोसेफ की नियुक्ति पर आपत्ति नहीं दर्ज की थी, बल्कि उनका विचार है कि सभी हाईकोर्टों का सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व हो और पहले के कुछ निर्णयों को भी वापस लेने का सुझाव दिया था। उच्चतम न्यायालय की 9 रिक्तियों में से दो न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायाधीश विनीत शरण हैं। दोनों अपनी वरिष्ठता के आधार पर चुने गए।

दरअसल, इनके अलावा तीसरी बार सिफारिश न्यायाधीश जोसेफ के लिए की गई थी। इस सिफारिश में कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों का भी ख्याल रखा गया था, जैसे कि जस्टिस गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल सिर्फ 4 महीने के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित की गई क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में वे मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसका विशिष्ट दर्जा है। वही सोच न्यायाधीश ऋषिकेश राय, न्यायाधीश ताहिल रमानी और न्यायाधीश के.एस. जबेरी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित करने का आधार थी। कोलेजियम ने न सिर्फ सरकार की दो चिंताओं वरिष्ठता और न्यूनतम प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा है बल्कि केंद्र की न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने पर अनुभवहीनता की आपत्ति का भी ख्याल रखा है। जिसके बदले उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिल्ली स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका ने मास्टर ऑफ रोस्टर का जो विवाद था, उसको हल करने की कोशिश की है, जिससे कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित न कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी प्रजातंत्र का आधार होती है।

नियुक्तियों पर अब भी जारी गतिरोध (दैनिक ट्रिब्यून)

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में आज भी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। शीर्ष अदालत में ही इस समय न्यायाधीशों के नौ पद रिक्त हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 411 पद रिक्त हैं। हाल के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर केन्द्र और न्यायपालिका के बीच मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के भीतर वकील और पत्रकारों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत के बाद अदालती कार्यवाही का लिखित प्रसारण जब होने ही लगा है तो फिर सजीव प्रसारण को अब अनुमति मिलनी ही चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और अटार्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण होने से वकीलों की जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ढींगरा के अनुसार दीवानी कानून (सीपीसी) में 2002 के बदलाव के बाद मुकदमों में तीन बार से अधिक स्थगन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कई मामलों में सौ से अधिक बार तारीख पड़ती है जो मुकदमों के बढ़ते बोझ का मुख्य कारण है।

वीडियो रिकॉर्डिंग से ऐसी गड़बड़ियां और अनावश्यक स्थगन पर लगाम लगेगी, क्योंकि न्यायाधीशों को ऊंची अदालतों का और वकीलों को अपने मुवक्किल का भय रहेगा। इससे आपराधिक मामलों में गवाह या अभियुक्त अपना बयान नहीं बदल पाएंगे। एक ही मामले पर देश की अनेक अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के चलन को भी सीधे प्रसारण के माध्यम से रोका जा सकेगा। देश में सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद सरकार भी यह सुनिश्चित कर पाएगी कि उनके मामलों में सही पैरवी हुई या नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे वकीलों को मुकदमों में पेश होना मुश्किल हो जाएगा। तमाशबीनों की संख्या कम होने से अदालतें अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगी।

मुवक्किल, वकील, गवाह या आम जनता या अन्य पक्ष अपने मामलों की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को शुल्क देकर हासिल कर सकेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के इतने सारे फायदों के बाद न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी के बगैर ही मुकदमों के ढेर को कम करने में मदद मिल सकती है। अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से न्यायिक क्रांति होने के साथ सही अर्थों में डिजिटल इंडिया का निर्माण संभव हो सकेगा।

दुष्कर्म या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों के नाम पर सीधे प्रसारण में आपत्ति की जा रही है। कानून के अनुसार ऐसे मामलों में कैमरा कार्यवाही का प्रावधान है। जाहिर है कि इन मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण पर स्वतः प्रतिबंध लग जाएगा। यूरोप, अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ रही है।

दिल्ली में कचरे के पहाड़ पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है, परंतु मुकदमों के बढ़ते ढेर के बीच करोड़ों लोगों की कचरा होती जिंदगी के लिए भी तो जवाबदेही लेनी होगी। गवर्नेंस के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में 18 लाख सीसीटीवी लगाने की मुहिम चलाने की बात हो रही है तो फिर न्यायिक क्रांति के लिए 20 हजार अदालतों में कैमरे लगाने पर किसे आपत्ति हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच ने 1997 में यह प्रस्ताव पारित किया था कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। देश की सभी अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण की अनुमति देकर उस संवैधानिक संकल्प को पूरा करने का समय अब आ गया है।

न्यायिक सुनवाई का सीधा प्रसारण (अमर उजाला)

यह विडंबना ही कही जाएगी कि खुले में न्याय की अवधारणा पहली बार ईसा पूर्व तीसरी सदी में जिस भारतभूमि में आई थी, इसे यहाँ लागू होने के लिए इक्कीसवीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। कौटिल्य ने

गतिरोध की स्थिति बन रही है। इस गतिरोध की मूल वजह उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की कोलेजियम की सिफारिश फिर से दोहराने का फैसला लग रही है।

सरकार अभी तक न्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल ही नहीं बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की उसकी सिफारिश भी पुनर्विचार के लिये लौटा चुकी है। यही नहीं, सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी लौटा दी थी।

संविधान पीठ द्वारा अक्तूबर, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून और इससे संबंधित संविधान संशोधन निरस्त किये जाने के बाद से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस गतिरोध की एक वजह संविधान पीठ का वह निर्देश भी है, जिसमें नियुक्तियों और तबादले से संबंधित मेमोरैण्डम आफ प्रोसीजर को नया रूप देने की सिफारिश की गयी थी। इसके कुछ बिन्दुओं पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहमति नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कोलेजियम के तीन सदस्यों की 10 जनवरी की बैठक में न्यायमूर्ति बोस को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी परंतु सरकार ने न्यायमूर्ति बोस की फाइल लौटा दी थी। सरकार ने कोलेजियम से दो बिन्दुओं पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। पहला बिन्दु तो यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ बेहद पेचीदे कानूनी मुद्दे विचार के लिये आते हैं और दूसरा, इसकी बागडोर हमेशा ही ऐसे अनुभवी न्यायाधीश को सौंपी जाती रही है जो पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।

हालांकि कोलेजियम ने सरकार के इस आग्रह पर पुनर्विचार के बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कोलेजियम ने पिछले साल अप्रैल से दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल का जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर तबादला करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद के मार्च में सेवानिवृत्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है।

इस बीच, कोलेजियम ने 16 जुलाई को न्यायमूर्ति जोसेफ को पदोन्नति देने के निर्णय संबंधी अपनी सिफारिश फिर दोहराई है। इसके अलावा, कोलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जी और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनीत शरण को भी पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। यदि न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने के कोलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी तो यह पहला मौका होगा जब यहाँ एक साथ तीन महिला न्यायाधीश कार्यरत होंगी। इस समय न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शीर्ष अदालत में न्यायाधीश हैं।

हालांकि, कोलेजियम ने पारदर्शिता के अभाव के आरोप को कुछ हद तक खत्म करने का प्रयास करते हुए अब उन नामों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, जिनकी न्यायाधीश पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिये सिफारिश की जाती है। इसके बावजूद अब सरकार ने ही कुछ नामों को पुनर्विचार के लिये भेजकर यह संकेत देने का प्रयास किया है कि कोलेजियम की चयन प्रक्रिया में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ एक तरह से बगावत करने वाले न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर ने तो न्यायाधीश पद के लिये नामों के चयन की समूची प्रक्रिया पर ही सवाल उठाये थे।

अपने मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में न्यायाधीशों से खुले में सुनवाई करने और न्याय देने को कहा था। यह बात और है कि कौटिल्य के देश के बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अमेरिकी न्याय व्यवस्था भी कुछ अपवादों को छोड़कर इसे स्वीकार कर चुकी है। खुले में भी सुनवाई हो सकती है, यह भारतीयों ने पहली बार 1998 में देखा था। अपनी इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ यौन संबंधों को लेकर महाभियोग का सामना कर रहे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मामले की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खुले में सुनवाई की थी। सीधी सुनवाई का क्या असर होता है, दुनिया ने तब महसूस किया, जब दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति अपना बयान देते वक्त भर्रा उठा था।

अपने देश में खुले में न्याय की मांग को गति 2005 में सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए पारित सूचना के अधिकार कानून के बाद मिली। अन्य सरकारी विभागों की तरह न्याय तंत्र पर भी भ्रष्टाचार और इंसाफ में हीला-हवाली के आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद अपने यहाँ सबसे ज्यादा भरोसा न्यायतंत्र पर ही है। खुले में सुनवाई की मांग इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया था, कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो सकता है, तो भारतीय न्यायतंत्र की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं। उन्होंने मांग की थी कि सांविधानिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्रित सुनवाई का लाइव प्रसारण होना चाहिए। जिस तरह 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से राय मांगी, उससे साफ है कि कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए उसने मन बना लिया है। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि वैवाहिक और बेहद निजी मामलों की सुनवाई नहीं होगी।

अगर लाइव प्रसारण का फैसला लागू होता है, तो इसके फायदे ज्यादा होंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों की आस्था पहले की तुलना में कहीं और बढ़ेगी। फिर लोगों को न्याय होते दिखेगा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट की आशंका भी जताई जा रही है। न्यायतंत्र पर भी दबाव होगा कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करे, ताकि जनता के बीच उसकी छवि खराब न हो और लोगों का भरोसा उस पर से न डिगे।

2004 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शुरुआत के पीछे की मंशा यही थी कि लोगों की अपने लोकतंत्र में न सिर्फ आस्था बढ़े, बल्कि वे यह जान सकें कि उनके प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में कैसा व्यवहार करते हैं। किसी सांविधानिक कार्यवाही का पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रसारण 1996 में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार भले ही विश्वासमत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन उसके विश्वास मत पर हुई बहस के सीधे प्रसारण ने वाजपेयी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के शुरुआती दिनों में न्यायमूर्तियों और सुप्रीम कोर्ट की लोकप्रियता में भी वैसी ही बढ़ोतरी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई कक्षों से कभी-कभी वकीलों और बेंच के बीच तनातनी और तुर्श बहसों की खबरें छनकर बाहर आती भी हैं। लाइव प्रसारण के लिए तैयारी के बीच इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अन्यथा न्यायतंत्र की छवि पर बट्टा लगते देर नहीं लगेगी।

अब चूंकि, कोलेजियम द्वारा केन्द्र सरकार से न्यायाधीशों के तबादले और पदोन्नति के लिये की गयी सिफारिशों में से कम से कम तीन सिफारिशें लौटाई जा चुकी हैं, इससे यही लगता है कि वर्तमान चयन प्रक्रिया में सब कुछ ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया में सुधार किया जाये।

GS World
Committed To Excellence

सारांश

- संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत, खुली अदालतों की कार्यवाही देखने का भी अधिकार है।
- हर मुकदमे में यदि दो पक्षकार हों और हर पक्षकार के परिवार में औसतन चार सदस्य हों तो 2.86 करोड़ लंबित मुकदमों में देश के 25 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से त्रस्त होंगे।
- अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं।
- ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1991 में यह निर्णय दिया था कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम उठाया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1990 और निचली अदालतों में 1997 से कंप्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद तारीख पता करने और फैसले की नकल लेने के लिए अदालतों का चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है।
- देश में सूचना क्रांति और उदारीकरण के शुरुआती दौर में 1989 से दूरदर्शन के माध्यम से लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण शुरू होने के बावजूद अदालतों को इससे क्यों गुरेज है?
- कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने विधायकों की खरीद फरोख्त और अराजकता पर लगाम लगी थी।
- संविधान के अनुसार देश में खुली अदालतों का चलन है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कुछ निचली अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी हुई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के एक मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी गई।
- सर्वोच्च न्यायालय के भीतर वकील और पत्रकारों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत के बाद अदालती कार्यवाही का लिखित प्रसारण जब होने ही लगा है तो फिर सजीव प्रसारण को अब अनुमति मिलनी ही चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और अटार्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण होने से वकीलों की जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन में बढ़ोतरी होगी।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ढींगरा के अनुसार दीवानी कानून (सीपीसी) में 2002 के बदलाव के बाद मुकदमों में तीन बार से अधिक स्थगन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कई मामलों में सौ से अधिक बार तारीख पड़ती है जो मुकदमों के बढ़ते बोझ का मुख्य कारण है।
- यूरोप, अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच ने 1997 में यह प्रस्ताव पारित किया था कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने के बाबत सिफारिश दोहराने के साथ ही जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को अनदेखा करने की मंशा स्पष्ट कर दी है। कोलेजियम ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की आपत्तियों को इसलिये खारिज किया कि न्यायमूर्ति जोसेफ की काबिलियत पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं है।
- कानून मंत्रालय ने सिर्फ न्यायाधीश जोसेफ की नियुक्ति पर आपत्ति नहीं दर्ज की थी, बल्कि उनका विचार है कि सभी हाईकोर्टों का सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व हो और पहले के कुछ निर्णयों को भी वापस लेने का सुझाव दिया था।
- उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में आज भी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। शीर्ष अदालत में ही इस समय न्यायाधीशों के नौ पद रिक्त हैं जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 411 पद रिक्त हैं।
- खुले में न्याय की अवधारणा पहली बार ईसा पूर्व तीसरी सदी में जिस भारतभूमि में आई थी, कौटिल्य ने अपने मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में न्यायाधीशों से खुले में सुनवाई करने और न्याय देने को कहा था।
- अपनी इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ यौन संबंधों को लेकर महाभियोग का सामना कर रहे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मामले की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खुले में सुनवाई की थी।
- 2004 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शुरुआत के पीछे की मंशा यही थी कि लोगों की अपने लोकतंत्र में न सिर्फ आस्था बढ़े, बल्कि वे यह जान सकें कि उनके प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में कैसा व्यवहार करते हैं। किसी सांविधानिक कार्यवाही का पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रसारण 1996 में किया गया।

न्यायिक प्रणाली

- हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को तीन अंगों में बाँटा गया है। ये तीन अंग हैं- कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इसके अनुसार विधानपालिका का काम विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का काम विधियों का कार्यान्वयन तथा न्यायपालिका को प्रशासन की देख-रेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करने का काम सौंपा गया।
- न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार।
- भारतीय न्यायिक प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। इसको आम कानून (कॉमन लॉ) व्यवस्था के रुप में जाना जाता है जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं।
- 1773 के अधिनियम में बंगाल के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश एलीजा इम्पे के नेतृत्व में 1774 में कलकत्ता में हुआ। यह संघीय भावनाओं के अनुरूप नहीं था। इसीलिए संविधान में इसे स्थान नहीं दिया गया।

- 1935 के अधिनियम में संघीय भावनाओं के अनुरूप फेडरल न्यायालय का प्रावधान किया गया, जिसका गठन 1937 में दिल्ली में मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता में हुआ। फेडरल कोर्ट को 26 जनवरी, 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनाते हुए संविधान में स्थान दिया गया और इसे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाया गया।
- भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो 65 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं देते हैं। किसी भी विवाद का अंतिम निर्णायक होने के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का रक्षक भी है और इसके उल्लंघन को रोकता है।
- भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और स्वीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद-124 में किया गया है।
- राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाईकोर्ट के पास होती है। देश में 24 हाईकोर्ट हैं, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। सन् 1862 में स्थापित होने के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है।
- भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। हाईकोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है।
- जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाईकोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाईकोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाईकोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
- उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक है और यह सरकार द्वारा या किसी अन्य शक्ति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा ये न्यायालय केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत् भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की सुनवाई करता है?

(a) अनुच्छेद 32 (b) अनुच्छेद 226
(c) अनुच्छेद 14 (d) अनुच्छेद 144

(उत्तर-A)

2. भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है?

(a) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(b) अमेरिकी संविधान
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(d) इंग्लैण्ड संविधान

(उत्तर-A)

3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
(c) मुख्य न्यायाधीश (d) संसद

(उत्तर-A)

4. भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता के समावेश के लिए सुनवाई का लाईव-प्रसारण कितना प्रासंगिक है?

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के कस्टोडियन हैं?

(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) भारत का प्रधानमंत्री
(c) लोकसभा सचिवालय
(d) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-D)

2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवादों को सुनने की शक्ति किसके तहत् आती है?

(a) सलाहकारी क्षेत्राधिकार (b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(c) वास्तविक (d) रिट

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-C)

3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की शक्ति निहित है-

(a) भारत के राष्ट्रपति में
(b) संसद में
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश में
(d) न्याय कमीशन में

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-B)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मुद्दों पर सलाह देता है-

1. अपनी पहल पर (किसी भी जनहित के मुद्दों पर)
2. यदि वह ऐसी सलाह मांगे तो
3. केवल यदि मुद्दे का संबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों से है

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 1 और 3

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-D)

5. 'संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2013)

6. भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

7. 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2014)

8. अध्यादेशों का आश्रय लेने वालों ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जाग्रत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नीट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए ?

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2015)

9. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम-2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

भारत में रोजगार की भयावह स्थिति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 (समाज) से संबंधित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार फल-फूल रही है, लेकिन इसका असर रोजगार की बेहतर स्थिति पर नहीं पड़ रहा है। भारत में रोजगार की स्थिति न केवल भयावह है बल्कि सरकारी नीतियों की असफलता का उदाहरण है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'अमर उजाला', 'प्रभात खबर' तथा 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण कौशल बन सकता है आधार (अमर उजाला)

दुनिया में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसकी चपेट से दुनिया का कोई भी देश नहीं बचा। अगर विकसित देशों की तरफ देख लें, तो वहाँ भी इसने पैर पसार रखे हैं। मसलन, विकसित देशों में शुमार अमेरिका में बेरोजगारी दर चार फीसदी है, वहीं चीन की आक्रामक आर्थिकी भी बेरोजगारी पर पूरा अंकुश नहीं लगा सकी।

अपने देश के हालात तो कई मामलों में गंभीर हैं। देश की वर्तमान आबादी का 35 फीसदी हिस्सा युवा है। देश में लगभग 4.5 करोड़ पढ़े-लिखे पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें 20 फीसदी युवा हैं। विश्व बैंक की रपट के अनुसार, तीस फीसदी युवा, जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच है, किसी भी रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण के दायरे में नहीं हैं। देश-दुनिया में कौशल विकास को मिशन मोड में लाने के पीछे बेरोजगारी दूर करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन यह इसकी समीक्षा का भी समय है, क्योंकि अपने देश में गत चार वर्षों में यह मिशन कितना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका यह भी देखना है। बात मात्र कौशल विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किस्सा इसके बाद का है कि हम कितनों को खपा पाए। इस बात पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं कि अपने देश में इस तरह के मिशन की आवश्यकता हमेशा से रही है। पर इसका लक्ष्य सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसा कि अक्सर हुआ है कि हम मात्र आंकड़ों को छूने तक सफलता पा लेते हैं।

दूसरा बड़ा सवाल, यह कि हमारे कौशल की दिशा क्या है। अगर यह फिर एक बार उन्हीं मुद्दों तक अटक जाएगी, जो हमेशा से रही है, तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिशन 2022 तक 40 करोड़ लोगों को हमें इसके तहत तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कौशल भारत मिशन का मकसद मात्र आंकड़ों का नया भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि पिछड़ों में आत्मविश्वास पैदा करना है।

इस मिशन की अहम बात यह है कि इस योजना में बड़ी भागीदारी महिलाओं की रही है। योजना के पहले ही साल में 20 लाख लोगों को इसके तहत जोड़ा गया था, जिसमें 40 फीसदी महिलाएं थी। वर्ष 2017 में भी करीब 30 लाख लोग इससे जुड़े। यह बात दूसरी है कि मात्र तीन लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। यह एक ऐसे अंतर की तरफ भी इशारा करता है, जो खपत और आपूर्ति के बीच पैदा होता है।

सबसे बड़ा सवाल जो आज खड़ा है, वह इस देश के ग्रामीण कौशल व आर्थिकी का है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि गांव मात्र उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं और देश के किसान सही और अपने उत्पादों के मूल्य के लिए रोजाना सड़कों पर हैं। ऐसे में सरकारों की सीमाएं

औरतों की अदृश्य बेरोजगारी (प्रभात खबर)

इन दिनों थामसन रायटर्स फाउंडेशन की एक ताजा रपट के बड़े चर्चे हैं, जिसके हिसाब से भारत महिलाओं के लिए आज दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन चुका है। पत्रकारों की याददाश्त दूर तलक जाती है। पिछली दफा (2011 में) इसकी रपट ने महिला सुरक्षा की दृष्टि से भारत को चौथी पायदान पर रखा था। तब अफगानिस्तान, कांगो, पाकिस्तान तथा सोमालिया शीर्ष पर थे। उस रपट पर काफी हो-हल्ला मचा था।

उस समय भाजपा ने महिला असुरक्षा की बाबत रपट की स्थापनाओं को ध्रुव सत्य मानते हुए मनमोहन सिंह सरकार को शर्मसार किया था। आज जब भाजपा जवाबदेह है, तो कहा जा रहा है कि यह रपट तो पश्चिम के पांचेक सौ जाने-माने विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, हमारे ताजा डाटा पर नहीं। पर जहाँ तक सरकारी डाटा का सवाल है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ वजहों से सरकार के पास ताजा रोजगार संबंधित सरकारी डाटा उपलब्ध नहीं है, लिहाजा वे जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, बेरोजगारी कम हो रही है और अर्थव्यवस्था फलफूल रही है।

तर्क जो भी हों, जिस तरह युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और घरेलू हिंसा, रेप और यौन बाजार में बच्चियों-औरतों की जबरिया खरीद-फरोख्त सरीखे गंभीर अपराध शहर से गांवों तक बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि हमें हर नकारात्मक रपट को किसी सरकार विरोधी अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरह देखने की बजाय इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना होगा।

क्योंकि 2018 की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में आठ साल की बच्ची के साथ मंदिर के भीतर गैंग रेप हुआ और जब राज्य सरकार के कुछ बड़े लोगों ने बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली, तो केंद्र गांधारी बना रहा। भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेकर शक की बिना पर हत्याएं हर कहीं हो रही हैं, पर शीर्ष की खामोशी तो जारी है।

यूपी में शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर चुकी, किंतु जायज तौर से शादीशुदा महिला को पासपोर्ट देने में नाहक सौ-सौ अड़ंगे लगाने और फिर मंत्री द्वारा मानवीयता प्रदर्शन कर अड़ंगेबाज कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का एक वाकया भी हुआ। जब विदेश मंत्री ने उसे न्याय दिलाया, तो सोशल मीडिया में ट्रोलों द्वारा देश की विदेश मंत्री के विरुद्ध भयावह गाली-गलौज की गयी. काफी देर से गृह मंत्री व यातायात मंत्री ने इसकी निंदा की, लेकिन उज्ज्वला योजना और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देनेवाले नेतृत्व ने मौन नहीं तोड़ा। शीर्ष की खामोशी को 'मौन सम्मति लक्षणम्' मानते हुए उत्तर प्रदेश के विधायक महोदय कह गये कि बलात्कार तो कुदरती प्रदूषण है, जिसे रामजी भी नहीं रोक सकेंगे।

भी समझी जा सकती हैं, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य को ताबड़तोड़ ज्यादा बढ़ा देना मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये गांव के ही उत्पाद हैं, जिनकी मूल्य वृद्धि के बाद देश की आर्थिकी चलती है। पर उस मूल्य वृद्धि के हिस्से में गांव नहीं आते, क्योंकि ये कहीं न कहीं उनके कौशल विकास से जुड़ा है, जो उन्हें बेहतर उत्पादन से लेकर बाजार नियंत्रण के तरीकों को भी सिखा सके। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि धान और गेहूं किसान पैदा करते हैं, पर आटा और चावल के बाजार में बड़े घरानों की भागीदारी है। मसाले हों या बाजार में बिकने वाले अन्य उत्पाद सबका स्रोत गांव ही है। अब कौशल विकास की दिशा ग्रामोन्मुखी भी होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी गांव से ही चलकर शहरों में पहुंचती है।

इस कौशल विकास से अगर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार खड़े करने की कोशिशें होंगी, तो एक तरफ पलायन पर अंकुश लगेगा और फिर संसाधनों की बढ़ोतरी भी होगी।

वैश्विक व्यापार वार्ताओं में उद्योग के साथ रोजगार पर भी हो चर्चा (बिजनेस स्टैंडर्ड)

एक वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने पहला हमला बोला है, जिसका जवाब यूरोपीय संघ, कनाडा, चीन और यहाँ तक कि भारत भी दे रहे हैं। जैसे को तैसे प्रतिक्रिया में कुछ निश्चित आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। विश्लेषक यह मानते हुए इसे सीमित युद्ध बताते हैं कि डॉनल्ड ट्रंप 'मुक्त-व्यापार' के पैरोकार हैं। लेकिन यह नजरिया इस तथ्य को नकार देता है कि विश्व में एक अहम बदलाव हो रहा है। यह वैश्विक अगुआ बनने का युद्ध है, यह अमेरिका और चीन के बीच का मुकाबला है।

चीन विश्व में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। चीन ने भविष्य की तकनीक - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने के लिए जुलाई, 2017 में महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। इस बारे में बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसे चीन नई तकनीकों का अधिग्रहण कर रहा है और दुनियाभर में परिचालन कर रहीं पश्चिमी कंपनियों को मात दे रहा है।

पिछली शताब्दी में अमेरिका और साम्यवादी रूस समेत यूरोप का दबदबा रहा। मगर दुनियाभर में मुक्त व्यापार प्रणाली शुरू होने से चीन इतना ताकतवर बनकर उभरा है। महज 35 साल पहले यह पश्चिमी देशों से पीछे था। लेकिन इसके बाद जनवरी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन वजूद में आया, जिससे चीन के व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई। उसने विश्व के विनिर्माण रोजगार हासिल कर लिए। भारत ने टेलीमार्केटिंग जैसी आउटसोर्सिंग सेवाएं देकर अपना मुकाम बनाया।

शब्दकोष में 'शांघाईड' और 'बैंगलोर्ड' जैसे शब्द आए क्योंकि नौकरियां (और प्रदूषण) दूसरे महाद्वीपों में चले गए। इस तरह वैश्वीकरण ने वैश्विक समृद्धि का एक नया युग करने का अपना उद्देश्य पूरा किया। लेकिन स्थितियां हमारी सोच के विपरीत रहीं।

इसके बजाय वैश्वीकरण ने विश्व को ज्यादा जटिल बना दिया है। 1990 के दशक में जब शुल्क एवं व्यापार के सामान्य समझौते (गैट) को लेकर चर्चा अपने चरम पर थी, तब उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई साफ दिखती थी। उस समय के विकसित विश्व ने व्यापार को खोलने की पुरजोर वकालत की। वे बाजार और 'पारदर्शी' व्यापार एवं बौद्धिक संपदा के नियमों के जरिये सुरक्षा चाहते थे।

यह तो हुई शारीरिक असुरक्षा की बात. महिला रोजगार की बाबत ठोस सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2016 तक कुल 4.3 लाख नये रोजगारों का ही सृजन हुआ, जो घोषित संख्या का आधा भी नहीं।

खुद सरकार के 2016 के श्रम आयोग (लेबर ब्यूरो) के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा योजना के तहत पिछले सालों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, जो सुस्त पड़ते शहरी उद्योग जगत और सुखाड़ के मारे ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमाण है। इनमें से भी 1.6 करोड़ आवेदकों को मनरेगा के तहत अनियतकालीन (साल में 120 दिन) काम तक नहीं मिला।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की चर्चित शोध संस्था ई-पॉड (एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन) ने भारतीय कामगार भारतीय महिलाओं की स्थिति पर सिकुड़ती शक्ति शोध रपट जारी की है, जिसके मद्देनजर इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं पर (तत्कालीन) मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ध्यान दिलाया और यह दर्ज कराया कि पिछले दशक में संगठित तथा असंगठित, दोनों ही तरह के भारतीय कामगारों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार गिरावट आयी है। और 2.5 करोड़ कमासुत महिला कामगार कार्यक्षेत्र से बेदखल हुई हैं। 'बेटी पढ़ाओ' सरीखी योजनाओं से फायदा लेकर बच्चियां स्कूल जरूर जाने लगी हैं, पर स्कूल पास कर लेने से क्या?

संगठित क्षेत्र को उच्च तकनीकी डिग्री और अंग्रेजी जाननेवाले दक्ष हाथ चाहिए। नतीजतन विकासशील देशों के गुट 'ब्रिक्स' में हम महिलाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में सबसे निचली पायदान पर और जी-20 देशों की तालिका में नीचे से दूसरी पायदान पर आ गये हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सीधा आकलन है, कि अगर आज भारत में काम करने की इच्छुक तमाम महिलाओं को रोजगार मिल जाये, तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय में आराम से 27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।

दरअसल, अधिकतर कामकाजी महिलाएं कम उम्र में मां नहीं बनतीं, उनके बच्चों के बीच का अंतराल भी सही होता है। जो विवाहिता लड़कियां काम पर जाती हैं, उनके परिवार अन्य बहनों की शादी भी असमय नहीं करते। कामकाजी महिलाएं अपनी बेरोजगार बहनों की तुलना में स्वतंत्र फैसले लेने में कम दब्बू और बेहतर रोजगार की खोज में बाहर जाने के लिए कहीं अधिक उत्साही होती हैं।

भारत सरकार की राष्ट्रीय सैंपल सर्वे रपट के अनुसार, आज 50 प्रतिशत महिलाओं में लगभग दो-तिहाई गृहिणियां काम पकड़ने की इच्छुक हैं। अगर उनको अपने घर के करीब रोजगार मिले, तब तो इस तादाद में अतिरिक्त 21 प्रतिशत की बढत हो सकती है। घर के पास रोजगार उपलब्ध होने से ही 'मनरेगा' में उनकी भागीदारी पुरुषों (48 प्रतिशत) से अधिक (52 प्रतिशत) है।

तरक्की हुई जरूर है, पर और होनी बाकी है। साल 1980 की सरकारी 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना ने सरकारी स्कूलों में शिक्षिकाओं के लिए 50 प्रतिशत कोटा तय किया था।

इससे तीन दशकों में शिक्षण का क्षेत्र शहर से गांव तक महिलाओं के लिए कृषि के बाद रोजगार पाने का सबसे बड़ा क्षेत्र तो बना ही, गांव-गांव में लड़कियों को भरपूर शिक्षा दिलाने के लिए भी यह कोटा एक बड़ी वजह बना है। सेवा क्षेत्र में काम करतीं केरल और पूर्वी राज्यों की लाखों महिलाएं आव्रजन से कमासुत बनने की उदाहरण बन गयी हैं।

हमारे युवा रोजगार अभ्यर्थियों में 68 प्रतिशत युवक और 62 प्रतिशत युवतियां इस पक्ष में हैं कि अगर अच्छा रोजगार पाने और चिर दारिद्र्य से उबरने के लिए घर से दूर जाना पड़े, तो अवश्य जाना चाहिए.

राज तथा समाज दोनों के समवेत प्रयास ही महिलाओं की बहुमुखी तरक्की का ग्राफ बनाते हैं। सरकार महिलाओं को सही तरह से सही किस्म के रोजगार, प्रशिक्षण तथा संरक्षण दे, तो समाज भी महिलाओं पर लगायी गयी अपनी कई सामाजिक वर्जनाएं खुद धीरे-धीरे शिथिल कर देता है।

GS World
Committed To Excellence

उस समय का विकासशील विश्व इस बात से चिंतित था कि इस मुक्त व्यापार समझौते का उनकी नई एवं कमजोर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा। विकासशील देश इस बात से भी चिंतित थे कि इन खुले व्यापार के नियमों का उनके किसानों पर क्या असर पड़ेगा, जिन्हें विकसित विश्व के मोटी सब्सिडी हासिल करने वाले किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

वर्ष 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में तनावपूर्ण स्थिति रही। इस समय तक वैश्वीकरण की हकीकत सामने आ चुकी थी और इसलिए धनी देशों के नागरिकों ने श्रम अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने रोजगार की आउटसोर्सिंग और पर्यावरण को नुकसान की चिंताएं जताई, लेकिन इन हिंसात्मक प्रदर्शनों को कुचल दिया गया। अगला एक दशक वित्तीय संकट में खराब हो गया। नए विजेताओं ने पुराने पराजितों को कहा कि 'सब कुछ ठीक है।'

आज ट्रंप सिएटल के उन वामपंथी प्रदर्शनकारियों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं, जबकि भारत और चीन मुक्त व्यापार को बनाए रखने के दो पैरोकार बनकर उभरे हैं। असल में भारत और चीन इससे भी ज्यादा चाहते हैं। लेकिन फिर क्या चीजें इतनी आसान हैं। ये सब व्यवस्थाएं रोजगार के संकट को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई।

वैश्वीकरण के पहले चरण से श्रम का कुछ विस्थापन हुआ है और ट्रंप की यही शिकायत है। लेकिन हकीकत यह है कि वैश्वीकरण के इस पहले चरण का मतलब पुराने धनी (व्यापार और उपभोक्तावाद की दुनिया में मध्य वर्ग) और नए धनियों के बीच युद्ध है। यह इतना लंबा या खतरनाक नहीं रहा कि कृषि से जुड़ी बहुसंख्यक गरीब आबादी की जीविका के आधार को ही नष्ट कर दे, लेकिन ये स्थितियां धीरे-धीरे बनती जा रही हैं। इसी क्षेत्र पर वैश्वीकरण का असली असर महसूस किया जाएगा।

वैश्विक कृषि कारोबार विकृत और अत्यधिक विवादास्पद बना हुआ है। वर्ष 1994 का मुक्त व्यापार युद्ध कृषि को लेकर हुआ। उस समय आर्थर डंकेल प्रारूप समझौते को विकासशील देशों के किसान अपने कारोबार के लिए पक्षपाती और विनाशकारी मान रहे थे। आर्थर डंकेल प्रारूप समझौता गैट की अगुआई करने वाले ब्रिटिश नागरिक के नाम पर रखा गया।

वर्ष 2014 में बाली में डब्ल्यूटीओ की नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हुआ समझौता अकाल से निपटने के लिए सरकारों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न के स्टॉक और किसानों को मुहैया कराए जाने वाले कीमत समर्थन-न्यूनतम समर्थन मूल्य के विचार के खिलाफ है।

इस समय भारत सरकार पुरजोर यह कह रही है कि वह अपने किसानों के साथ खड़ी होगी।

अगर हम यह नहीं पहचानेंगे कि रोजगार असल संकट है तो हम अत्यधिक असंतुलित व्यापार प्रणाली को संतुलित नहीं कर पाएंगे। यह उचित समय है कि व्यापार युद्ध का वर्तमान चरण आजीविका के अवसरों की जरूरत पर हो। वैश्विक व्यापार की चर्चाओं में केवल उद्योग नहीं बल्कि रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए। इसे वस्तुओं नहीं बल्कि श्रम को अहमियत देनी चाहिए। यह विश्व में असुरक्षा का अहम बिंदु है। ये व्यापार या वित्त नहीं है। यह सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों- हम, लोग और पूरे ग्रह से जुड़ा है।

GS World टीम...

सारांश

- एक वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने पहला हमला बोला है, जिसका जवाब यूरोपीय संघ, कनाडा, चीन और यहाँ तक कि भारत भी दे रहे हैं। जैसे को तैसे प्रतिक्रिया में कुछ निश्चित आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिए गए हैं।
- चीन विश्व में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। चीन ने भविष्य की तकनीक - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने के लिए जुलाई, 2017 में महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की थी।
- पिछली शताब्दी में अमेरिका और साम्यवादी रूस समेत यूरोप का दबदबा रहा। मगर दुनियाभर में मुक्त व्यापार प्रणाली शुरू होने से चीन इतना ताकतवर बनकर उभरा है। महज 35 साल पहले यह पश्चिमी देशों से पीछे था। लेकिन इसके बाद जनवरी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन वजूद में आया, जिससे चीन के व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई।
- वर्ष 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में तनावपूर्ण स्थिति रही। इस समय तक वैश्वीकरण की हकीकत सामने आ चुकी थी और इसलिए धनी देशों के नागरिकों ने श्रम अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन किया।
- वर्ष 1994 का मुक्त व्यापार युद्ध कृषि को लेकर हुआ। उस समय आर्थर डंकेल प्रारूप समझौते को विकासशील देशों के किसान अपने कारोबार के लिए पक्षपाती और विनाशकारी मान रहे थे। आर्थर डंकेल प्रारूप समझौता गैट की अगुआई करने वाले ब्रिटिश नागरिक के नाम पर रखा गया।
- वर्ष 2014 में बाली में डब्ल्यूटीओ की नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हुआ समझौता अकाल से निपटने के लिए सरकारों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न के स्टॉक और किसानों को मुहैया कराए जाने वाले कीमत समर्थन- न्यूनतम समर्थन मूल्य के विचार के खिलाफ है।
- देश की वर्तमान आबादी का 35 फीसदी हिस्सा युवा है। देश में लगभग 4.5 करोड़ पढ़े-लिखे पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें 20 फीसदी युवा हैं। विश्व बैंक की रपट के अनुसार, तीस फीसदी युवा, जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच है, किसी भी रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण के दायरे में नहीं हैं।
- देश-दुनिया में कौशल विकास को मिशन मोड में लाने के पीछे बेरोजगारी दूर करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन यह इसकी समीक्षा का भी समय है, क्योंकि अपने देश में गत चार वर्षों में यह मिशन कितना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका यह भी देखना है।
- दूसरा बड़ा सवाल, यह कि हमारे कौशल की दिशा क्या है। अगर यह फिर एक बार उन्हीं मुद्दों तक अटक जाएगी, जो हमेशा से रही है, तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिशन 2022 तक 40 करोड़ लोगों को हमें इसके तहत तैयार करना है।
- इस मिशन की अहम बात यह है कि इस योजना में बड़ी भागीदारी महिलाओं की रही है। योजना के पहले ही साल में 20 लाख लोगों को इसके तहत जोड़ा गया था, जिसमें 40 फीसदी महिलाएं थी। वर्ष 2017 में भी करीब 30 लाख लोग इससे जुड़े। यह बात दूसरी है कि मात्र तीन लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई।
- थामसन रायटर्स फाउंडेशन की एक ताजा रपट के बड़े चर्चे हैं, जिसके हिसाब से भारत महिलाओं के लिए आज दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन चुका है। पत्रकारों की याददाश्त दूर तलक जाती है। पिछली दफा (2011 में) इसकी रपट ने महिला सुरक्षा की दृष्टि से भारत को चौथी पायदान पर रखा था।

- महिला रोजगार की बाबत ठोस सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2016 तक कुल 4.3 लाख नये रोजगारों का ही सृजन हुआ, जो घोषित संख्या का आधा भी नहीं।
- खुद सरकार के 2016 के श्रम आयोग (लेबर ब्यूरो) के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा योजना के तहत पिछले सालों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, जो सुस्त पड़ते शहरी उद्योग जगत और सुखाड़ के मारे ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमाण है। इनमें से भी 1.6 करोड़ आवेदकों को मनरेगा के तहत अनियतकालीन (साल में 120 दिन) काम तक नहीं मिला।
- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की चर्चित शोध संस्था ई-पॉड (एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन) ने भारतीय कामगार भारतीय महिलाओं की स्थिति पर सिकुड़ती शक्ति शोध रपट जारी की है, जिसके मद्देनजर इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं पर (तत्कालीन) मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ध्यान दिलाया और यह दर्ज कराया कि पिछले दशक में संगठित तथा असंगठित, दोनों ही तरह के भारतीय कामगारों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार गिरावट आयी है। और 2.5 करोड़ कमासुत महिला कामगार कार्यक्षेत्र से बेदखल हुई हैं।
- संगठित क्षेत्र को उच्च तकनीकी डिग्री और अंग्रेजी जाननेवाले दक्ष हाथ चाहिए। नतीजतन विकासशील देशों के गुट 'ब्रिक्स' में हम महिलाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में सबसे निचली पायदान पर और जी-20 देशों की तालिका में नीचे से दूसरी पायदान पर आ गये हैं।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सीधा आकलन है, कि अगर आज भारत में काम करने की इच्छुक तमाम महिलाओं को रोजगार मिल जाये, तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय में आराम से 27 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय सैंपल सर्वे रपट के अनुसार, आज 50 प्रतिशत महिलाओं में लगभग दो-तिहाई गृहिणियां काम पकड़ने की इच्छुक हैं। अगर उनको अपने घर के करीब रोजगार मिले, तब तो इस तादाद में अतिरिक्त 21 प्रतिशत की बढ़ती हो सकती है। घर के पास रोजगार उपलब्ध होने से ही 'मनरेगा' में उनकी भागीदारी पुरुषों (48 प्रतिशत) से अधिक (52 प्रतिशत) है।
- साल 1980 की सरकारी 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना ने सरकारी स्कूलों में शिक्षिकाओं के लिए 50 प्रतिशत कोटा तय किया था।

भारत में रोजगार

- श्रम मंत्रालय के आकड़े व सर्वेक्षण प्रतिवेदन यह दर्शाते हैं कि वर्ष, 2016 में लगभग 5 करोड़ श्रम शक्ति अतिरिक्त है। भारत में श्रम आपूर्ति तो बढ़ रही है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं।
- भारत में प्रति वर्ष 50 लाख अतिरिक्त रोजगार चाहिए, लेकिन गत तीन वर्षों में अतिरिक्त रोजगार सृजन 10 प्रतिशत से भी कम हो पाया है। संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का 10 प्रतिशत ही हो पाता है लेकिन 90 प्रतिशत रोजगार असंगठित क्षेत्र से मिलता है, जहाँ पर की न्यूनतम वेतन या मजदूरी का पालन भी नहीं हो पाता है तथा नौकरी एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
- असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन अल्पकालिक होता है तथा उसकी प्रकृति स्थायी नहीं होकर तात्कालिक होती है। कभी भी आकस्मिकता के चलते रोजगार बेरोजगारी में बदल जाता है। यह उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र का अतिरिक्त रोजगार निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में खप जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
- भारत सरकार ने वर्ष, 2022 तक निर्माण क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25 प्रतिशत अर्जित किए जाने का लक्ष्य रखा है
- भारत का जनसांख्यकीय लाभ यह बताया जाता है कि भारत में लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या युवा है जबकि दुनिया के विकसित देशों में युवा जनसंख्या की तुलना में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है जो कि सामाजिक सुरक्षा के बोझ को बढ़ा रहा है।
- भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या खेती का कार्य करती है लेकिन कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की भी गंभीर समस्या है जो यह दर्शाती है कि कृषि क्षेत्र से श्रम शक्ति को हटा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन ने 2015-16 की एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि लगभग 6.3 करोड़ एन्टरप्राइजेज जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जो कि कारखाना या कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, अरजिस्टर्ड है में 11.1 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं जिनकी प्रति मासिक आप लगभग 7295 रुपये है लेकिन लगभग 11.5 लाख करोड़ मूल्य का उत्पादन देश को प्रदान करते हैं।
- श्रम ब्यूरो की ओर से रोजगार पर सालाना सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2015-16 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बीते पांच वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। इसमें कहा गया है कि इसी दौरान महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7 फीसदी तक पहुंच गई। देश के 68 फीसदी घरों की मासिक आय महज 10 हजार रुपये है। ब्यूरो ने अपनी इस रिपोर्ट के लिए बीते साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 1.6 लाख घरों का सर्वेक्षण किया था।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 साल से ज्यादा उम्र वाले पांच फीसदी लोगों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। इसे आंकड़ों में बदलने पर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा मिलता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 15 साल से ज्यादा उम्र वाले कामगरों की तादद 45 करोड़ थी। पांच फीसदी का मतलब है 2.3 करोड़ लोग। इसके अलावा 35 फीसदी यानी लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे साल नियमित रोजगार नहीं मिलता।
- भारत में 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की 66% जनसंख्या के तहत, दुनिया में सबसे अधिक आबादी है, इसलिए भारत में वित्तीय बाजार में गिरावट का सबसे बुरा असर रोजगार पर पड़ता है

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार कुल रोजगार का कितना प्रतिशत है?
   (a) 5 % (b) 10 %
   (c) 15 % (d) 20 %

(उत्तर-B)

2. सेवा-क्षेत्र में भारत में कुल का कितना प्रतिशत रोजगार मिलता है?
   (a) 11 % (b) 16 %
   (c) 22 % (d) 32 %

(उत्तर-D)

3. 'मुद्रा योजना' का उद्देश्य क्या है?
   1. स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना।
   2. छोटे उद्यमों के लिए रोजगार का सृजन करना।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-C)

4. ऐसी स्थिति जहाँ लोग अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, को कहा जाता है-
   (a) प्रच्छन्न बेरोजगारी
   (b) खुली बेरोजगारी
   (c) मौसमी बेरोजगारी
   (d) आधिकारिक बेरोजगारी

(उत्तर-A)

5. भारत में रोजगार सृजन की स्थिति एवं उपलब्ध कार्य-क्षमता पर चर्चा कीजिए।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है-
   (a) अधिक संख्या में लोगों का बेरोजगार रहना
   (b) वैकल्पिक रोजगार का उपलब्ध न होना
   (c) श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना
   (d) श्रमिकों की उत्पादकता का कम रहना

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-200?, उत्तर-C)

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका गारंटी अधिनियम-2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हर घर के वैसे वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हैं, को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देना एक मौलिक अधिकार बन चुका है।
   2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को उस हद तक प्राथमिकता दी जाएगी जब तक काम मांगने वाले कुल व्यक्तियों में रोजगार पाने वाले आधे महिला न हो।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2006, उत्तर-A)

3. निम्नलिखित में से कौन 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' जारी करता है?
   (a) भारतीय रिजर्व बैंक
   (b) आर्थिक मामलों का विभाग
   (c) श्रम ब्यूरो
   (d) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-C)

4. "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार-योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने से कोई चूक कर रहे हैं ? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2014)

5. पिछले चार दशकों में, भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2015)

6. हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीविहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2015)

7. "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधि शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-सा/से उपाय किए हैं?

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2016)

GS World
Committed To Excellence